

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 186668

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No.

H328
P31D

Accession No

Gr.#.1211

Author

पद्मिनी सीतारामय्या

Title

दुनिया के विधान

This book should be returned on or before the date last marked below.

प्रस्तावना

इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण को निकालने के लिये न तो कोई व्याख्या देने की आवश्यकता है और न क्षमा-प्रार्थना की। प्रथम संस्करण का विश्वविद्यालयों के छात्रों में अच्छा स्वागत हुआ। प्रस्तुत संस्करण उन राजनीतिज्ञों के लिए, जिनकी दिलचस्पी इस समय देश में होने वाले परिवर्तनों के कारण विधान-निर्माण कार्य में बहुत बढ़ गई है।

सभी तथ्यों और आंकड़ों को प्रोफेसर इन्द्रदत्त शर्मा, डी० ए० बी० कालेज, लाहौर के सौजन्य से संशोधित कर दिया गया है। मैं इस कठिन काम को सम्पादन करने के लिये उन्हें कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। फिर भी, इन पृष्ठों द्वारा मैं शासन-निर्मात्री परिषद् के सदस्यों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का दावा नहीं करता। किंतु मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में एक ही नज़र में, विधान निर्माण संबंधी विभिन्न देशों की सारी बातों का पता चल जावेगा। साथ में यह भी कह दूँ कि इस (अंगरेजी) संस्करण का प्रकाशन केवल इंडियन बुक कम्पनी, लाहौर की अत्यधिक रुचि दिखलाने के कारण ही हुआ है।

नई देहली
१-१०-१९४६

}

बी० पट्टाभि सीतारामैया

विषय सूची

१. क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन-विधान

१—आयरलैण्ड .	...	...	...	१
२—कैनेडा .	...	...	...	२
३—आस्ट्रेलिया	...	...	...	२
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	३
५—न्यूजीलैण्ड	...	...	...	४
६—फ्रान्स .	...	...	...	५
७—स्विट्ज़रलैण्ड .	...	...	...	७
८—जर्मनी	...	...	...	८
९—स्लावों, क्रोटों, तथा सर्वों का राज्य	...	...	...	१०
१०—रूस .	...	...	...	१०
११—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र .	...	...	...	१२
१२—पोलिश प्रजातंत्र	...	...	...	१४
१३—जैकोस्लोवाकिया	...	...	...	१५
१४—आस्ट्रिया	...	...	...	१७
१५—स्वीडन	...	...	...	१८
१६—नार्वे	...	...	...	१९
१७—ऐस्थोनिया	...	...	...	१९
१८—इङ्गलैण्ड .	...	...	...	२०
१९—स्पेन	...	...	...	२०
२०—बेल्जियम	...	...	...	२१
२१—जापान	...	...	...	२१
२२—डेनमार्क	...	...	...	२३
२३—मैक्सिको	...	...	...	२४
२४—इटली	...	...	...	२६

२. कैबिनेट व केन्द्रीय सरकार

१—आयरलैण्ड	...	...	...	२७
२—कैनेडा	...	...	...	२८
३—आस्ट्रेलिया	...	...	...	२८
४—फ्रान्स	.	...	...	२९
५—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	३०
६—जर्मनी	...	...	...	३०
७—स्विटजरलैण्ड	...	...	...	३१
८—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	...	...	...	३२
९—सोवियत् रूस	...	...	...	३३
१०—आस्ट्रिया	...	...	...	३४
११—जैकोस्लोविया	...	..	...	३५
१२—स्वीडन	..		...	३६
१३—नार्वे	...	...	..	३७
१४—एस्थोनिया	...	...	...	३७
१५—स्पेन	...	...	...	३७
१६—बेल्जियम	...	...	...	३८
१७—इंग्लैण्ड	...	..	..	३८
१८—डेनमार्क	...	...	...	४०
१९—जापान	...	...	...	४१
२०—इटली	...	...	...	४२

३. निचला भवन

१—आयरलैण्ड	...	...	...	४३
२—कैनेडा	...	...	...	४४
३—आस्ट्रेलिया	...	...	...	४५
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	४६
५—न्यूजीलैण्ड	...	...	...	४७
६—स्विटजरलैण्ड	...	.	...	४८

७—फ्रान्स	...	...	...	४६
८—जर्मनी	...	...	...	५१
९—सोवियत रूस	...	...	...	५३
१०—स्लावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य	...	...	...	५५
११—जैकोस्लोवाकिया	...	...	...	५६
१२—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	...	...	...	५७
१३—पोलिश प्रजातंत्र	...	...	...	५८
१४—आस्ट्रिया	...	...	...	५९
१५—स्वीडन	...	...	...	६०
१६—नार्वे	...	...	...	६१
१७—एस्थोनिया	...	...	...	६२
१८—इङ्गलैण्ड	...	...	...	६४
१९—स्पेन	...	...	...	६५
२०—फ्रान्स	...	...	...	६५
२१—बेल्जियम	...	...	...	६६
२२—डेनमार्क	...	...	...	६८
२३—इटली	...	...	...	६९
२४—मैक्सिको	...	...	...	७०
२५—जापान	...	...	...	७३
२६—सोवियत रूस	...	...	...	७५

५. उंचा भवन

१—आयरलैण्ड	...	...	...	७७
२—कैनेडा	...	...	...	७८
३—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	७९
४—आस्ट्रेलिया	...	...	...	८०
५—फ्रांस	...	...	...	८१
६—न्यूज़ीलैण्ड	...	...	...	८३
७—जर्मनी	...	...	...	८३

८—स्विट्ज़रलैण्ड	...	...	...	८५
९—सोवियत रूस	...	...	...	८५
१०—स्लावों क्रोटों तथा सर्वों का राज्य	...	...	...	८७
११—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	...	...	...	८७
१२—जैकोस्लोवाकिया	...	...	...	८६
१३—पोलिश प्रजातन्त्र	...	...	...	९०
१४—स्वीडन	...	...	...	९१
१५—नार्वे	...	...	...	९१
१६—आस्ट्रिया	...	...	...	९२
१७—इंग्लैंड	...	...	...	९३
१८—डैन्मार्क	...	...	...	९५
१९—बेल्जियम	...	...	...	९६
२०—इटली	...	...	...	९८
२१—जापान	...	...	...	९९
२२—मैक्सिको	...	...	...	१००

५—प्रान्त और न्यायालय

१—आयरलैण्ड	...	...	...	१०३
२—कैनेडा	...	...	...	१०४
३—आस्ट्रेलिया	...	...	...	१०५
४—न्यूज़ीलैण्ड	...	...	...	१०७
५—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	१०८
६—फ्रान्स	...	...	...	१०९
७—स्विट्ज़रलैण्ड	...	...	...	११०
८—जर्मनी	...	...	...	११२
९—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	...	...	...	११२
१०— ” ” ”	...	...	...	११५
११—जैकोस्लोवाकिया	...	...	...	११६
१२—स्लावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य	...	...	...	११७
१३—पोलिश प्रजातन्त्र	...	...	...	११७

१४—स्वीडन	...	...	...	११८
१५—आस्ट्रिया	...	...	...	११९
१६—नार्वे	...	...	...	१२१
१७—इंगलैण्ड	...	..	...	१२१
१८—बेल्जियम	...		...	१२३
१९—जापान	...	...	...	१२४
२०—एस्थोनिया	...	...	...	१२५
२१—डेनमार्क	...	...	...	१२६
२२—इटली	...	...	...	१२६
२३—मैक्सिको	...	...	...	१२७

६—आधार भूत अधिकार व स्थानीय सरकार

१—आयरलैण्ड	...	...	...	१२८
२—आस्ट्रेलिया	...	...	...	१२९
३—कनेडा	...	...	...	१२९
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	१२९
५—न्यूजीलैंड	...	...	...	१३१
६—फ्रांस	...	...	...	१३१
७—स्विट्ज़रलैण्ड	...	...	...	१३३
८—जर्मनी	...	...	...	१३४
९—सोवियत रूस	...	...	...	१३५
१०—जैकोस्लोवाकिया	...	...	...	१३७
११—अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र	...	...	...	१३७
१२—पोलिश प्रजातंत्र	...	...	...	१३९
१३—स्वीडन	...	...	...	१४०
१४—नार्वे	...	...	...	१४०
१५—आस्ट्रिया	...	..	...	१४१
१६—स्लावों, क्रोटों तथा सर्बों का राज्य	...	...	...	१४२
१७—एस्थोनिया	...	...	...	१४३
१८—इंगलैण्ड	...	...	...	१४३

१९—बेल्जियम	...	...	...	१४३
२०—स्पेन	...	..	...	१४४
२१—डेनमार्क	...	...	...	१४५
२२—इटली	...	...	...	१४५
२३—जापान	...	...	...	१४६
२४—मैक्सिको	...	...	...	१४८

७ राज्य और उद्योग तथा शासन विधान में परिवर्तन

१—आयरलैंड	...	...	...	१५०
२—कैनेडा	...	...	...	१५१
३—आस्ट्रेलिया	...	...	...	१५१
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	१५१
५—न्यूजीलैंड	...	...	...	१५२
६—फ्रांस	...	...	...	१५२
७—स्विट्ज़रलैंड	.	...	...	१५३
८—जर्मनी	...	...	...	१५३
९—सोवियतरूस	...	...	...	१५४
१०—जैकोस्लोवाकिया	...	...	...	१५५
११—पोलिश प्रजातंत्र	...	...	...	१५५
१२—अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र	...	...	...	१५५
१३—स्लावों, सर्बों, क्रोटों का राज्य	...	...	...	१५६
१४—स्वीडन	...	...	...	१५७
१५—नार्वे	...	...	...	१५७
१६—आस्ट्रिया	...	...	...	१५८
१७—इंगलैंड	..	...	...	१५८
१८—बेल्जियम	...	...	...	१५८
१९—डेनमार्क		...	...	१५९
२०—मैक्सिको	...	...	...	१५९

८—कुछ अन्य बातें

१—आयरलैंड	...	...	१६३
२—कैनाडा	...	...	१६३
३—आस्ट्रेलिया	...	...	१६४
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	१६५
५—फ्रांस	...	...	१६५
६—न्यूजीलैंड	...	...	१६६
७—जैकोस्लोवाकिया	...	...	१६७
८—स्विटजरलैंड	...	...	१६७
९—जर्मनी	...	...	१६८
१०—सोवियत रूस	...	...	१६९
११—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	...	...	१७०
१२—स्वीडन	...	...	१७१
१३—एस्थोनिया	...	...	१७२
१४—आस्ट्रिया	...	...	१७३
१५—बेल्जियम	...	...	१७३
१६—नार्वे	...	...	१७४
१७—डैन्मार्क	...	...	१७४

९—यू० एस० एस० आर० (सोवियत रूस)

१—सामाजिक संगठन	...	...	१७७
२—राज्य संगठन	...	...	१८०
३—समाजवादी सोवियत प्रजातन्त्रों के संघ की राज्य सत्ता के सर्वोच्च विभाग			१८३
४—संघ के प्रजातन्त्रों की राज्य सत्ता के सर्वोच्च विभाग			१८८
५—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ व शासन के अंग			१८९
६—संघ के प्रजातन्त्रों के शासन के अंग			१९३
७—खुद मुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्य सत्ता के सर्वोच्च अंग			१९५

८—राज्य सत्ता के स्थानीय अंग	...	...	१६६
९—न्यायालय और अभियोग	...	..	१६७
१०—नागरिकों के मूल अधिकार और उत्तरदायित्व	...	...	१६६
११—चुनाव परिपाटी	...	...	२०३
१२—चिह्न ध्वजा, राजधानी	...	...	२०४



क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन विधान

: १ :

आयरलैण्ड

क्षेत्रफल : २७,१३७ वर्ग मील ।

शासन विधान ५ दिसम्बर १९३७ की सन्धि के अंतर्गत बनाया गया ; १९३७ ई० में उसका संशोधन हुआ ; नवीन शासन विधान को जनता ने जनमत-संग्रह (Plebiscite) के पश्चात् स्वीकार किया ।

एकात्मक (स्वतंत्र राज्य)

उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त का कठोरता से पालन ।

जनसंख्या २६,६५,०००

प्रेसीडेंट का चुनाव जनता सात वर्ष के लिये करती है ।

वेतन : १०,००० पौण्ड प्रति वर्ष ।

यह 'काउन्सिल आफ स्टेट' के परामर्श पर किसी बिल को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है । यह उपरोक्त न्यायालय उसे अवैध घोषित कर दे, तो वह बिल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है । यदि व्यवस्थापिका सभा के निचले भवन के एक तिहाई सदस्य और सीनेट का बहुमत प्रेसीडेंट से बिल को अस्वीकार कर देने की प्रार्थना करे, तो वह उस बिल को जनमत-निर्णय (Referendum) के लिये भेज सकता है या उस बिल के प्रश्न पर आम चुनाव करा सकता है । साधारणतया वह मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करता है, किंतु कुछ विषयों में 'काउन्सिल आफ स्टेट' की राय ले सकता है ।

कैनेडा

क्षेत्रफल : ३६,६४,८६३ वर्ग मील ।

जनसंख्या . १,१०,१२,००० ।

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट, १८६७, और उसमें किये गये ग्यारह मशोधनों के अंतर्गत शासन होता है । पर इन्हीं पर वर्तमान कैनेडा का शासन-विधान सम्पूर्णतः आधारित नहीं है ।

कैनेडा की संघ सरकार में गवर्नर-जनरल सम्राट् का प्रतिनिधित्व करता है । वह राजा द्वारा कैनेडा के मंत्रिमंडल के परामर्श तथा स्वीकृति पर नियुक्त किया जाता है ।

सरकार का वैधानिक प्रधान है । संघ के किसी बिल को सम्राट् की स्वीकृति के लिये रख सकता है । यह स्वीकृति अब कैनेडा के मंत्रिमंडल के परामर्श पर दी जाती है ।

१९२६ ई० के बाद से यदि प्रधान मंत्री पार्लियामेंट भंग करने की माँग करे तो वह इन्कार नहीं कर सकता ।

उसे उन माधारण एजेण्टों तथा राजदूतों को नियुक्त करने तथा मिलने का अधिकार है जिन्हें सम्राट् या राजा सीधा नियुक्त नहीं करता या नहीं मिलता । कैनेडा तथा अन्य देशों के बीच ऐसी छोटी मोटी सन्धियाँ कर सकता है जिन पर सम्राट् सीधे हस्ताक्षर नहीं करता ।

आस्ट्रेलिया

क्षेत्रफल : २६,७४,५८१ वर्ग मील ।

जनसंख्या : ६६,६७,००० ।

शासन विधान : १९०० ई० में बना ।

(शेष अधिकार^१ मंघ की इकाइयो को मिले हुए हैं) संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के ढंग पर बना है, किन्तु थोड़ा अन्तर है।

गवर्नर-जनरल को सम्राट् आस्ट्रेलिया के मंत्रिमंडल के परामर्श पर नियुक्त करता है।

वेतन : १०,००० पौंड प्रति वर्ष।

सरकार का वैधानिक^२ प्रधान है। सम्पूर्ण शासन-कार्य चलाता है।

विशेष अवस्था में पार्लियामेंट के निचले भवन को भंग करने का उसे अधिकार है और कुछ अन्य अवस्थाओं में धारा-सभा के दोनों भवनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

क्रानूनों को पार्लियामेंट के पास अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिये वापिस कर सकता है, अथवा सम्राट् की स्वीकृति के लिये उन्हे रख सकता है। यह स्वीकृति एक वर्ष के अन्दर मिल जानी चाहिए। १९३१ ई० के वैस्टमिस्टर स्टैचूट (Statute of 1931), के पाम हो जाने के पश्चात् से पार्लियामेंट के अधिकारों पर से यह रोक हट गई है।

: ४ :

दक्षिणी अफ्रीका

क्षेत्रफल . ४,७२,५५० वर्ग मील।

जनसंख्या : ६६,८०,०००।

२०-६-१९०६ का साउथ अफ्रीका एक्ट।

केपटाउन—पार्लियामेंट के अधिवेशनों का स्थान।

१—शेष अधिकार (Residuary powers) उन अधिकारों को कहते हैं जिनका विधान में यह उल्लेख नहीं होता कि वे किसके पास रहेंगे।

२—वैधानिक प्रधान (Constitutional Head) का तात्पर्य यह है कि वह केवल दिखावे भर का प्रधान होता है। वास्तव में उसके पास कोई सत्ता नहीं होती। वास्तविक अधिकार मंत्रिमंडल को प्राप्त होते हैं।

प्रोटोरिया—सरकार का स्थान ।

राजा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के परामर्श पर गवर्नर-जनरल को नियुक्त करता है ।

वेतन : १०,००० पौड प्रति वर्ष ।

सरकार का वैधानिक प्रधान है । व्यवस्थापिका सभा के भवनों के बीच गति अवरोध हो जाने पर दोनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है ।

पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये किसी भी क़ानून में संशोधन के लिये सुझाव दे सकता है ।

किसी भी क़ानून को सम्राट् की स्वीकृति के लिये रख सकता है जो एक वर्ष के भीतर दी जानी चाहिये ।

: ५ :

न्यूज़ीलैण्ड

क्षेत्रफल : १,०३,६३४ वर्गमील ।

जनसंख्या : १६,०४,००० ।

१८५२ का एक्ट ।

१६०७ में 'डोमीनियन' पद मिला ।

गवर्नर-जनरल को राजा न्यूज़ीलैण्ड सरकार के परामर्श पर नियुक्त करता है ।

वेतन : ५००० पौण्ड प्रति वर्ष और २५०० पौण्ड का भत्ता ।

गवर्नर-जनरल के वेतन में, और मूल निवासियों के संबंध में शासन विधान द्वारा निर्देशित खर्चों में, परिवर्तन करने वाले बिल सम्राट् की स्वीकृति के लिये रख लिये जाते हैं ।

सरकार का वैधानिक प्रधान है । कैनेडा के समान ही उसके अधिकार हैं ।

फ्रान्स

क्षेत्रफल . २,१२,६५६ वर्ग मील ।

जनसंख्या . ४,२०,१४,००० ।

१७९१ और १८७० ई० के बीच में ११ शासन विधान बने और निगड़े ।

१८७५ ई० का शासन विधान ।^३

प्रेसीडेंट

वेतन : ३६,००,००० फ्रांक प्रति वर्ष । इसमें भत्ते भी शामिल हैं ।

नेशनल असेम्बली -- पूर्ण बहुमत^४ द्वारा चुनी है--७ वर्ष की अवधि ।

देशद्रोह के अपराध में केवल निचला भवन सार्वजनिक अभियोग लगा सकता है और केवल मीनेट ही उसकी सुनवाई करके दण्ड दे सकता है ।

प्रेसीडेंट को १०० तोपों की मलामा दी जाती है--जबकि अमेरिकन प्रेसीडेंट को केवल २१ तापों की ।

अधिकार :

क़ानून को पेश करने का अधिकार । व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास हुए बिलों पर थोड़ी अवधि के लिए वीटो^५ का अधिकार प्राप्त है ।

क़ानून लागू करता है । क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, किन्तु आम रिहाई क़ानून द्वारा ही सम्भव है ।

३—सन् १८४६ में नया विधान बन चुका है ।

४—पूर्ण बहुमत से तात्पर्य यह है कि आधे से अधिक वोट पक्ष में हों ।

५—वीटो (Veto) उस विशेषाधिकार को कहते हैं जिसका उपयोग कर राज्य का प्रधान व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किये गये किसी भी क़ानून को रोक सकता है । पूर्ण वीटो (Absolute veto) का तात्पर्य होता है कि वह क़ानून अस्वीकृत हो गया और लागू नहीं हो सकता । थोड़ी अवधि के लिये वीटो (Suspensory veto) का तात्पर्य यह है कि क़ानून लागू होने में देर की जा सकती है, पर अन्य शर्तें पूरी होने पर उसे लागू करना होता है ।

राज्य की सैन्य शक्तियों का प्रबन्ध करता है। राज्य के कार्यों में सभापतित्व करता है।

विदेशों के लिए राजदूत नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों से मिलता है।

ममविदों पर पुनर्विचार के लिए प्रेसीडेंट कह सकता है।

वह सन्ध की बातचीत चलाता है।

मंत्रिमंडल^६ के परामर्श पर व्यवस्थापिका सभा के निचले भवन को भंग कर सकता है।

स्थान रिक्त होने पर नेशनल असेम्बली नया चुनाव करती है। नये चुनाव होने तक मंत्रिमंडल इन अधिकारों का उपयोग करता है।

प्रेसीडेंट व्यवस्थापिका सभा को संदेश भेज सकता है। वे ट्रिबून (मंत्री) द्वारा पड़े जाते हैं जो दोनों भवनों में आजा सकता है।

कानूनों के लिये प्रेसीडेंट की स्वीकृति आवश्यक नहीं किन्तु वह पुनर्विचार के लिए कह कर (शायद ही कभी ऐसा किया जाता हो) देरी लगा सकता है।

प्रेसीडेंट एक बार में व्यवस्थापिका सभा की बैठक एक मास के लिये स्थगित कर सकता है, किन्तु एक वर्ष में दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

अमेरिकन प्रेसीडेंट न तो कांग्रेस (अमेरिकन व्यवस्थापिका सभा) को स्थगित कर सकता है और न भंग ही।

मंत्रिमंडल का प्रधान नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सभापति^७ का पद ग्रहण करता है।

६—विधान में सीनेट के परामर्श का उल्लेख है—मंत्रिमंडल के परामर्श का नहीं।

७—इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंट के हस्तक्षेप से बचने का उपाय वहाँ के मंत्रिमंडल से खोज ही निकाला। मंत्रिमंडल की बैठकें वहाँ दो प्रकार की होने लगीं। एक तो नियमित जिनका सभापतित्व प्रेसीडेंट स्वयं करता था और दूसरी अनियमित जिनका सभापतित्व प्रधान-मंत्री करता था।

अपने वैधानिक कार्यों के क्षेत्र में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।

ये अधिकार प्रेसीडेंट स्वयं काम में नहीं ला सकता। शासन-विधान में स्पष्ट निर्देश है कि प्रेसीडेंट के प्रत्येक कार्य पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक हैं। (कान्स्टीट्यूशनल ला, २५ फरवरी, १८७५, धारा ३)।

नोट:—फ्रांस के पतन के बाद आत्म-समर्पण की सन्धि पर २३ जून, १९४० को हस्ताक्षर हो जाने पर तृतीय प्रजातंत्र का अन्त हो गया। नये शासन विधान ने समस्त अधिकार प्रेसीडेंट (मार्शल पेंता) को सौंप दिये। १२ जून, १९४० को तीन कान्स्टीट्यूशनल ऐक्ट पास हुए और पेंता ने उन पर हस्ताक्षर किये। १९४४ में फ्रांस के फिर स्वतंत्र होने पर अक्टूबर १९४५ और फिर जून १९४६ में नेशनल ऐसेम्बली के चुनाव हुए। इस समय फ्रांस का नया विधान बन रहा है।

: ७ :

स्विट्जरलैण्ड

क्षेत्रफल . १५,६४४ वर्गमील।

जनसंख्या . ४२,१८,०००।

२२ कैण्टनों के बीच मित्रता की सन्धि^१ के फलस्वरूप।

शेष अधिकार कैण्टनों के लिए सुरक्षित।

इन्हीं अनियमित बैठकों में सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार तथा निर्णय होता था। नियमित बैठके केवल उन्हीं निर्णयों को नियमित रूप देती थीं। यही प्रथा (Convention) १६३७ ई. में मंत्रिपद ग्रहण करने के पश्चात् में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी मंत्रिमंडल तथा अन्य मंत्रिमंडलों ने भी अपना ली जिसमें गवर्नर के सम्मुख संयुक्त निर्णय रखे जा सके।

८—यह अक्टूबर १९४६ में बन चुका।

९—यह सन्धि १८४८ ई० में हुई। १८७४ ई० में इसमें संशोधन हुआ। उसके पश्चात् भी उसमें अनेक छोटे-मोटे परिवर्तन हुए हैं।

समस्त सर्वोच्च अधिकार संघ के पास ।

फ़ैडरल काउन्सिल :

व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् तुरन्त मिलकर चुनते हैं ।

तीन वर्ष की अवधि ।

शासन विधान में इस बात का कोई निर्देश नहीं कि संघ के मंत्रियों का चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से हो, किन्तु यही एक बँधा रिवाज हो गया है ।

फ़ैडरल काउन्सिल स्विटजरलैण्ड की पार्लियामेंट की कार्यकारिणी समिति (Executive committee) के समान कार्य करती है ।

विदेशी मामले, क़ानूनों को लागू करने, सेना पर अधिकार, बजट को तैयार करने तथा उपस्थित करने, क़ानून पेश करने इत्यादि के अधिकार इसे हैं ।

: ८ :

जर्मनी

क्षेत्रफल : २,२५,५२८ वर्गमील ।

जनसंख्या ७,६३,७५,००० ।

शासन विधान . ११ अगस्त, १९१६ ई०; जनवरी १९३४ के 'रीख रिफ़ार्म बिल' द्वारा संशोधित ।

प्रेसीडेंट का समस्त जनता - पूर्ण बहुमत द्वारा चुनाव करती है । आयु ३५ वर्ष से ऊपर । यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो दूसरी बार में माधारण बहुमत द्वारा । अवधि सात वर्ष । रीख यदि दो-तिहाई के बहुमत से प्रस्ताव करे तो जनता वोट देकर उसे हटाने का निर्णय कर सकती है । यदि जनता हटाने के विपक्ष में राय दे तो राय देने के १० दिन से सात वर्ष की फिर अवधि गिनी जाती है । दुबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है ।

प्रेसीडेंट रीखस्टाग का सदस्य नहीं होता ।

यदि निचला भवन उसे वापिस भेजने (Recall) का प्रस्ताव करे तो उसे पद से मंसूख कर दिया जाता है और यदि जनता प्रस्ताव के समर्थन में राय दे तो वह पद से अलग हो जाता है ।

अधिकार :

आधारभूत अधिकारों को भी, सैन्य सहायता से शान्ति स्थापित करने में मन्सूख कर सकता है जैसे व्यक्तिगत अधिकार, भाषण संबंधी स्वतंत्रता, निवास, सभा, समुदाय बनाने और सम्पत्ति संबंधी स्वतंत्रता—किंतु रीखस्टाग को तुरंत सूचना देनी होती है ।

सैना पर सर्वोच्च नियंत्रण ।

रीख के पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा निकालने का अधिकार, यदि दूसरे अन्य ढंग का विधान में निर्देश न हो । यह अधिकार दूसरे को सौंप सकता है ।

अंतर्राष्ट्रीय विषयों में रीख का प्रतिनिधित्व करता है ।

चांसलर के परामर्श पर रीख को भंग कर सकता है । प्रैसीडेंट अधिवेशन को भंग करने के सिवाय उसे किसी प्रकार स्थगित नहीं कर सकता । (तुलना कीजिये, इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रान्स से) ।

प्रैसीडेंट की आज्ञा पर चांसलर अथवा संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं । हस्ताक्षर करनेवाला उस कार्य के लिये उत्तरदायी समझा जाता है ।

चांसलर तथा मंत्रिगण . प्रैसीडेंट चांसलर को नियुक्त करता है और उसकी राय पर मंत्रियों को ।

नोट १ — इस समय पराजित जर्मनी विजित राज्यों के नियंत्रण में है । उसका विभाजन कर विजित राज्य उस पर अलग अलग शासन कर रहे हैं । धीरे-धीरे उसे फिर शासन में स्वतंत्रता दी जा रही है । अभी जर्मनी का भविष्य अंधकार में ही है । अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नवीन जर्मनी की सीमा तथा शासन-विधान की रूपरेखा क्या होगी ।

२—हिटलर के हाथ में शक्ति आने पर (१९३३-१९४५) बराबर उलट-फेर होते रहे ।

वीटो : केवल उस समय जबकि व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में मतभेद हो और केवल इस सीमा तक कि यदि वह चाहे तो, रीज़ल्यूट के विरोध के रहते भी रीज़ल्यूट द्वारा किसी मसविदे को दो तिहाई बहुमत से पास कर देने पर, उसे जनता की राय जानने के लिये भेज सकता है ।

क्रानून लागू करना : प्रैसीडेंट क्रानूनों को शासन विधान के निर्देश के अनुसार 'जर्नल आफ़ लॉ' में एक माह के भीतर प्रकाशित करा देता है । उसके १४ दिन पश्चात् वे लागू हो जाते हैं ।

प्रैसीडेंट के अन्य अधिकारों के लिये चांसलर, मंत्रिमंडल, व्यवस्था संबंधी अधिकार, निचले तथा ऊपरी भवन शीर्षकों के अंतर्गत देखिये ।

: ६ :

स्लावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य१०

सीमित (वैधानिक) राजतंत्र ।

६५,६२८ वर्गमील ।

राजा ।

: १० :

रूस

यूनियन आफ़ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक

क्षेत्रफल : ८८,१६,७६१ वर्गमील ।

जनसंख्या : १६,२६,६५,००० ।

१०— इस राज्य को 'यूगोस्लाविया' कहते हैं । गत द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके पश्चात् इसमें अनेक उलट-फेर हुए हैं । राजतंत्र समाप्त कर यहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित हो गया है और नया शासन विधान भी तैयार हो गया जो अत्यंत प्रगतिशील है ।

रूस का वर्तमान शासन-विधान १९३६ ई० में लागू किया गया था । यह 'स्तालिन-शासन विधान' ^{११} के नाम से प्रसिद्ध है ।

शासन विधान में संघ के प्रेसीडेंट के नियुक्त किये जाने का कोई निर्देश नहीं है । अतएव रूस में कोई नाम मात्र का (Titular) प्रधान नहीं है । विदेशी राजदूत अपने परिचय तथा अधिकार-पत्रों को प्रेसीडीयम के सभापति के सन्मुख पेश करते हैं और उत्सवादिक कार्यों का संचालन केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति (Central Executive Committee) का प्रधान करता है ।

सर्वोच्च शासन सत्ता 'सोव्नेरकोना' (काउन्सिल आफ पीपुल्स कमीसार्स जो अब रूस के मंत्री कहलाते हैं ।) को दी गई है जिसे सुप्रीम काउन्सिल चुनती है । किन्तु वास्तव में मंत्रिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी चुनती है और उसका निश्चय सुप्रीम काउन्सिल नियमित रूप से मान लेती है । इस 'सोव्नेरकोना' का एक सभापति होता है जिसे प्रधान मंत्री समझा जा सकता है ।

प्रेसीडियम : सुप्रीम काउन्सिल बहुत बड़ी होने से वास्तविक सत्ता का उपयोग नहीं कर सकती । इसके लिये ३७ सदस्यों ^{१२} की एक स्थायी समिति (Standing Committee) सुप्रीम काउन्सिल अपनी सम्मिलित बैठक में करती है । यह स्थायी समिति प्रेसीडीयम कहलाती है ।

प्रेसीडियम जब काउन्सिल का अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करती है । इसके कुछ विशेष

११—इसमें फरवरी १, १९४४ में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसके अनुसार संघ की इकाइयों को एक सीमा तक विदेशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने तथा समझौता करने का अधिकार दिया गया । साथ ही उन्हें सैन्य रखने का भी अधिकार दिया गया । किन्तु इस सम्बन्ध में मूल सिद्धान्त संघ सरकार ही निश्चय कर सकेगी ।

१२—यह सख्या १९३६ में थी । उसके पश्चात् जब सोवियत रूस में नये देश शामिल हो गये, यह सख्या बढ़ा दी गई ।

अधिकार भी हैं, जैसे क्षमा प्रदान, जॉच कमीशन की नियुक्ति, सैना के सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा अलहदगी, पूर्ण अथवा अपूर्ण सैन्य-संगठन की आज्ञा, सन्धियों पर अन्तिम सहमति प्रकट करना, क़ानूनों की व्याख्या इत्यादि । यदि सुप्रीम काउन्सिल का अधिवेशन न हो रहा हो तो युद्ध की घोषणा कर सकती है । इसे वास्तविक व्यवस्थापिका सभा कहा जा सकता है ।

: ११ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

क्षेत्रफल : ३०,२६,७८६ वर्ग मील ।

जनसंख्या : १३,०२,१५,००० ।

संघीय शासन विधान १७८७ ई० में बना, १७८६ ई० में लागू हुआ ।

शेष अधिकार संघ की इकाइयों के पास हैं ।

प्रेसीडेंट : चार वर्ष की अवधि । उसके चुनाव के लिये राजनतिक पार्टियों के राष्ट्रीय कन्वैन्सन डेलीगेटों को नामज़द करते हैं और इकाइयों की व्यवस्थापिका सभाओं की आज्ञा से जनता उनमें से अपने डेलीगेट प्रेसीडेंट का चुनाव करने के लिए चुन लेते हैं । ये चुने हुए डेलीगेट प्रेसीडेंट का चुनाव करते हैं ।

प्रत्येक इकाई को उतने ही डेलीगेट चुनने का अधिकार है जितने कि संघ की व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनो में मिलाकर उसके सदस्य हैं । किन्तु एक इकाई की एक ही वोट गिनी जाती है और यह वोट उस पार्टी की ओर दी गई मानी जाती है जिस ओर उस इकाई के डेलीगेटों का बहुमत है ।

प्रेसीडेंट पद के लिये उम्मेदवार की आयु कम से कम ३५ वर्ष और उसका राज्य के अन्दर निवास कम से कम १४ वर्ष का होना चाहिये ।

प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट या तो काँग्रेस के द्वारा सार्वजनिक अभियोग लगाकर हटाये जा सकते हैं या देशद्रोह अथवा रिश्वत के जुर्म में दण्डित किये जाकर ।

२,४०,००० डालर और १०,००,००० फ्रांक घरेलू खर्चा तथा सफ़र खर्च—४,८०,००० डालर ।

किसी बिल को बिना हस्ताक्षर किये या वीटो किये यों ही छोड़ सकता है । इस अवस्था में यदि कॉंग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो, तो दस दिन में वह बिना प्रैसीडेंट के हस्ताक्षर के क़ानून बन जाता है ।

किसी मसविदे को मेज़ पर पड़े रहने देकर, यदि दस दिन के भीतर कॉंग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो जाय, उसका अंत कर सकता है । इसे 'पाकिट वीटो' कहते हैं ।

वह सीधे किसी मसविदे को वीटो कर सकता और ऐसा करने के कारण बताते हुए उसको उस भवन को लौटा सकता है जहाँ प्रारम्भ में उसे उपस्थित किया गया था । किंतु यदि व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन अलग अलग दो-तिहाई के बहुमत से उसे दुबारा पाम कर दे तो वह वीटो के रहते हुए भी नियमित रूप से क़ानून बन जाता है ।

वह स्थल तथा नाविक सैन्य का कमान्डर-इन-चीफ़ होता है ।

वह सीनेट के दो-तिहाई के बहुमत की सहमति से सन्धि कर सकता है ।

राजदूतों की नियुक्ति करता है—अन्य दूतों, काउन्सिलों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि की नियुक्ति भी सीनेट के परामर्श तथा सहमति से करता है ।

सीनेट की जब बैठक न हो रही हो उस समय रिक्त स्थानों की पूर्ति थोड़ी अवधि के लिये 'कमीशन' द्वारा करता है । ये अगली बैठक के समाप्त होने तक रह सकते हैं ।

किसी या दोनों भवनों की बैठक बुला सकता है और दोनों में आपस में स्थगित होने के समय के प्रश्न पर मतभेद हो जाय तो स्वयं स्थगित कर सकता है ।

वह मसविदों का सुझाव दे सकता है, राजदूतों तथा अन्य दूतों से मिलता है ।

प्रैसीडेंट के अधिकार किसी भी राजा या प्रधान मंत्री से अधिक हैं ।

संसार में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है । ५,००,००० सरकारी कर्मचारी उसके आधीन हैं ।

संघीय अफ़सरों को हटाने का अधिकार प्रैसीडैण्ट का अधिक व्यापक है बजाय नियुक्त करने के ।

वह शासन-विभागों के नियंत्रण के लिये क़ानूनो के अंतर्गत पूरक नियम बना सकता है ।

क्षमा प्रदान—कांग्रेस द्वारा लगाये गये अभियोगों (Impeachments) और राज्य के विरुद्ध अपराधों में नहीं ।

क़ानून संबंधी अधिकार—१—वीटो (ऊपर देखिये),

२—कांग्रेस को सन्देश,

३—विशेष अधिवेशन - विशेष मसविदों पर विचारार्थ ।

क्षमा प्रदान तथा क़ानूनी अधिकार—वास्तविक उद्देश्य अधिकार के दुरुपयोग को रोकना था । अब प्रैसीडैण्ट के ये अधिकार सम्भे जाते हैं—व्यक्तिगत उपयोग नाटकीय होता है ।

प्रैसीडैण्ट एक पार्टी का नेता होता है, पर पार्टी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं ।

उसे कोई भी हटा नहीं सकता ।

उसे इक्कीस तोपों की सलामी दी जाती है जबकि फ़ॉर्म के प्रैसीडैण्ट को एक सौ तोपों की ।

: १२ :

पोलिश प्रजातंत्र

क्षेत्रफल : १,४६,०४२ वर्ग मील ।

जनसंख्या : २,६८,८६,३६६ ।

प्रजातंत्र : १५ मार्च १९२१ ई० और १९३४ ई० का संशोधित विधान ।*

* पोलैण्ड के शासन विधान में युद्ध के पश्चात् काफी उलटफेर हुए हैं और नई शासन व्यवस्था पहले से अधिक प्रगतिशील है ।

प्रेसीडेंट : अवधि सात वर्ष ।

नेशनल असेम्बली द्वारा सम्मिलित बैठक में चुनाव । डाइट ३/५ के बहुमत से उस पर अभियोग लगा सकती है ।

कोरम : १/२

ट्रिबूनल ऑफ स्टेट^३ के द्वारा अभियोग का निश्चय होता है ।

डाइट को भंग कर सकता है, यदि सीनेट की सहमति हो या डाइट स्वयं ३/५ के बहुमत से इसके पक्ष में अपनी सहमति दे ।

कोरम : १/२

प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और उसके द्वारा अन्य मंत्रियों को ।

प्रेसीडेंट का क्षमा प्रदान करने का विशेषाधिकार मंत्रियों को दिये गये दण्ड पर लागू नहीं होता ।

आम रिहाई करने का अधिकार नहीं है ।

: १३ :

ज़ैकोस्लोवाकिया

क्षेत्रफल : ५४,२४४ वर्ग मील ।

जनसंख्या : १,४७,२६,५३३ ।

(बोहेमिया, मोरेविया, स्लोवाकिया, सिलीस्ट्रिया का भाग, कार्पेथिया रूथीनिया का भाग, कार्पेथियनस् का दक्षिण भाग^{१*})

प्रजातंत्र—केवल कार्पेथियन रूथीनिया का संबंध ज़ैक प्रजातंत्र से संघीय है । उसकी अपनी डाइट तथा सरकार है । सरकार की नियुक्ति प्रेसीडेंट करता है किन्तु वह डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है ।

नवम्बर १४, १९१८ ।

१३—ट्रिबूनल ऑफ स्टेट—सर्वोच्च न्यायालय का एक विभाग ।

८ न्यायाधीश डाइट के द्वारा नियुक्त ।

४ न्यायाधीश सीनेट के द्वारा नियुक्त ।

१४—गत महायुद्ध के पश्चात् इसकी सीमा में भी परिवर्तन हो गया है ।

यह सोवियत रूस से जून, १९४५ ई० की सन्धि के अनुसार हुआ ।

प्रेसीडेंट : नेशनल असेम्बली-सम्मिलित बैठक में—सात वर्ष के लिये चुनती है ।

योग्यता : चेम्बर ऑफ डिपुटीस के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उम्र ३५ वर्ष से अधिक हो । ३/५ बहुमत से चुनाव होता है—एक बैठक में, कोरम—पूर्ण बहुमत; नामों को बोलकर उपस्थिति देखी जाती है । यदि दो बार के वोटिंग में उपरोक्त बहुमत न मिले, तो तीसरा वोटिंग निर्णायक होता है । उपरोक्त पत्र के लिये दो बार चुना जा सकता है; तत्पश्चात् एक अवधि के विराम के बाद चुना जा सकता है । प्रथम प्रेसीडेंट पर यह बात लागू नहीं की गई ।

प्रेसीडेंट व्यवस्थापिका सभा को केवल एक माह के लिये वर्ष में केवल एक बार कर सकता है । उसे भंग भी कर सकता है किन्तु अंतिम वर्ष के अर्धांश में नहीं ।

प्रेसीडेंट किसी भी बिल को एक माह के भीतर पुनर्विचार के लिये लौटा सकता है ।

यदि दोनों भवन पूर्ण बहुमत से उपस्थिति बोलकर उसे फिर पास कर दें तो वह कानून बन जाता है, अथवा यदि चेम्बर ऑफ डिपुटीस उसे उपस्थिति बोलकर ३/५ के बहुमत से पास कर दे तब भी वह कानून हो जाता है । (यदि पहिले से अधिक कोरम और बहुमत की आवश्यकता होती है, तो केवल दुबारा विश्वास प्रकट करने के लिये ।)

अधिकार : विदेशी मामलों में प्रतिनिधित्व करता है, और सन्धि — बाणिज्य — अर्थ संबंधी प्रश्नों—सैनिक मामले—सौमा संबंधी विषयों पर उसके अधिकार हैं ।

राजदूतों को नियुक्त करता है और उनसे मिलता है ।

युद्ध की घोषणा करता है और नेशनल असेम्बली की सहमति से शान्ति-सन्धि करता है ।

नेशनल असेम्बली को बुलाता है, स्थगित तथा भंग करता है ।

कानूनों को वापिस भेजने का अधिकार उसे है ।

नोट—द्वितीय संसारव्यापी महायुद्ध के पश्चात् नया शासन विधान बन रहा है ।

मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पद से उन्हें अलहदा करता है तथा उनकी संख्या निर्धारित करता है ।

उच्च शिक्षा के प्रोफेसरो को नियुक्त करता है और उन्हें अलहदा करता है ।

छठी श्रेणी से ऊपर के अफसर, राज्य अफसर तथा न्यायाधीश की नियुक्ति ।

सरकार के सुझाव पर सहायता देता है तथा पेन्शनें देता है ।

समस्त सेना का कमान्डर-इन-चीफ होता है । ज़मा प्रदान करता है ।

: १४ :

आस्ट्रिया

क्षेत्रफल : ३०,७,६६ वर्गमील ।

जनसंख्या : ६१,३१,४५५ ।

सङ्घ सरकार

शेष अधिकार—शासन संबंधी तथा क़ानूनी प्रांतो के पास हैं ।

प्रेसीडेंट

नेशनल काउन्सिल तथा फ़ेडरल काउन्सिल की सम्मिलित बैठक चुनाव करती है ।

चार वर्ष की अवधि; लगातार केवल एक बार ही और चुना जा सकता है—उम्मेदवार की उम्र कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिये । वह नेशनल काउन्सिल का मतदाता भी हो । गत राजशाही परिवार या शासन करनेवाले परिवारों का व्यक्ति प्रेसीडेंट नहीं चुना जा सकता ।

प्रेसीडेंट यदि कार्य करने योग्य न रहे तो कर्तव्य भार संघ के चांसलर पर पड़ता है ।

उसे विदेशी मामले—राजदूत—संघीय अफसरों की नियुक्ति—सैन्य अफसर—पेशे संबंधी तथा अफसरों की उपाधि के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं ।

क्षमा प्रदान करने—नाजायज़ संतानों को कानूनन घोषित करने का अधिकार है। किन्तु संघ सरकार के कहने पर ही वह ऐसा कर सकता है।

नोट—वार्साई सन्धि की धारा ८० के अंतर्गत जर्मनी इसके लिये बाध्य था कि “आस्ट्रिया की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से आदर करे।” किंतु वीमर विधान की ६१वीं धारा में आस्ट्रिया को “जर्मन रीढ़ के साथ मिल जाने पर” रीढ़ स्ट्राट में प्रतिनिधित्व देने का निर्देश किया गया था।

सुप्रीम कौंसिल ने इस धारा को अवैधानिक घोषित कर दिया और जर्मनी की एक राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें १० अगस्त १९१६ ई० से आगे बीस वर्ष तक के लिये इसी प्रकार की घोषणा करनी पड़ी। जर्मन-आस्ट्रिया के मिल जाने का प्रश्न बराबर यूरोपीय राजनीति में उठता रहा और १९३८ ई० में यह मिलन हो ही गया।

स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् नया शासन विधान बन रहा है।

: १५ :

स्वीडन

क्षेत्रफल : १, ७३, ३४७ वर्गमील।

जनसंख्या : ६३, १०, ०००।

शासन विधान १८०६ ई० में बना।

राजा।

पैतृक गद्दी। ईबेगलिक धर्म में विश्वास रखनेवाला। राजा तथा उत्तराधिकारी राजकुमार के बालिग होने की आयु—१८ वर्ष।

राजा फौज का कमाण्डर-इन-चीफ़ होता है।

क्षमा, दण्ड में कमी कर सकता है।

सम्पत्ति वापिस दे सकता है।

किसी भी अफ़सर को राजा निकाल सकता है, पर संबंधित मन्त्री विरोध प्रकट कर सकता है।

राजा के पास वोटो का अधिकार है ।

राजा व्यवस्थापिका सभा द्वारा अभियोग लगाये जाने पर भी क्षमा कर सकता है, किन्तु पुनः नौकरी नहीं दे सकता ।

: १६ :

नार्वे

क्षेत्रफल : १,२४,५५६ वर्गमील ।

जनसंख्या : २६,३७,१०० ।

स्वतंत्र, स्वाधीन, अविभाज्य, अदेय राज्य ।

सीमित, पैतृक राजतंत्र

यदि उत्तराधिकारी न हो न राजा दूसरे नाम को प्रस्तावित कर सकता है; अजात (unborn) उत्तराधिकारी भी राजगद्दी के अधिकारी होते हैं ।

जिन विलों पर राजा स्पष्ट रूप से सहमति प्रदान नहीं करता, वे अस्वीकृत समझे जाते हैं ।

: १७ :

ऐस्थोनिया

क्षेत्रफल : १८,३५३ वर्गमील ।

जनसंख्या : ११,३४,००० ।

प्रजातंत्र^{१*}

तिथि : १५-६-१९२० ई० ।

२-७-१९२० ई० ।

१५—द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक भाग में (१९४० ई०) ही ऐस्थोनिया सोवियत रूस का एक भाग बन गया और अब भी है । वहाँ अब सोवियत शासन है ।

: १८ :

इङ्ग्लैण्ड

क्षेत्रफल : ६५,२७६ वर्गमील ।

जनसंख्या . ४,६२,१२,००० ।

राजा : वैधानिक प्रधान ।

उस पर ब्रिटिश बजट का १/५० प्रतिशत व्यय होता है ।

प्रिन्सी काउन्सिल—संख्या लगभग ३५०—केवल राजगद्दी के अवसर या अन्य विशेष उत्सवादिक कार्यों के लिये मिलती है ।

लंकास्टर की डची से होने वाली उसकी व्यक्तिगत आय है और ऊपर बताये गये व्यय के अतिरिक्त है ।

प्रिंस आफ वेल्स को इसी प्रकार कम्बरलैण्ड से आय मिलती है ।

सरकार का वास्तविक प्रधान मन्त्रिमंडल है जो प्रधान मन्त्री के अंतर्गत कार्य करता है । राजा के कानूनी अधिकार विस्तृत हैं, किन्तु ये समस्त अधिकार सरकार द्वारा सम्राट के नाम पर उपयोग किये जाते हैं । इस प्रकार राजा केवल वैधानिक प्रधान है ।

: १९ :

स्पेन

तिथि दिसम्बर ६, १६३१ ।

शासन विधान राज्य-प्रभुता के अधिकार से बनाया तथा स्वीकार किया गया और वैधानिक कोर्टों द्वारा मान लिया गया—मजदूरों की डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र । शेष अधिकार राज्य के पास । किंतु वे डेलीगेट किये जा सकते हैं । अधिकार वितरित किये गये हैं ।

संघीय राज्यों के लिये व्यवस्थापिका सभाये हैं और प्रांतों के हाथ में शासन-कार्य ।

प्रेसीडेंट

६ वर्ष की अवधि ।

कम से कम ४० वर्ष की आयु हो ।

सैनिक, पादरी, शासन करनेवाले परिवार नहीं हो सकते ।

अधिकार

युद्ध की घोषणा कर सकता है ।

: २० :

बेलिजियम

क्षेत्रफल : ११,७७५ वर्गमील ।

जनसंख्या : ७,८३,८६,००० ।

शासन विधान : नवम्बर १०, १८३० ।

७-२-१८३१

सशोधित . अक्टूबर १५, १९२१ ।

राजा

पैतृक, पुत्री को गद्दी नहीं मिलती । राजकुमार राजा की सम्मति के बिना यदि विवाह करता है तो गद्दी पर से अधिकार खो देता है ।

किंतु व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन पुनः उसे गद्दी पर बैठा सकते हैं ।

वैधानिक अधिकार :

राजा हाउस आफ रिप्रिजेंटेटिव (निचले भवन) को भंग कर, नये चुनाव की घोषणा कर सकता है ।

राजा के स्वर्गवास पर, व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन बिना बुलाये दसवे दिन मिलते हैं, उस समय तक अधिकार मंत्रिमंडल के पास रहते हैं ।

राजा को दोनों भवनों के सम्मुख शपथ लेनी होती है ।

: २१ :

जापान

क्षेत्रफल : १,४८,७५६ वर्गमील ।

जनसंख्या : ७,२२,२३,००० ।

शासन विधान सम्राट की १८८६ ई० की राजाज्ञा से लागू हुआ ।
राज्य-प्रभुत्व सम्राट में निहित हैं किंतु डाइट की सहमति से शासन-विधान के अनुसार उसका उपयोग हो सकता है ।

उसके क़ानून संबंधी अधिकार हैं ।

वह क़ानूनों को स्वीकार करता है और उन्हें लागू करने की आज्ञा देता है ।

वह डाइट को बुलाता है, उसकी कार्यवाही प्रारम्भ कराता है, उसे स्थगित करता है तथा अधिवेशन समाप्त करता है ।

वह हाउस आफ़ रिप्रज़ेन्टेटिव (निचले भवन) को भंग कर सकता है ।

जनता की सुरक्षा के लिये या किसी ख़तरे से बचाने के लिये वह राजाज्ञा प्रचारित कर सकता है, किंतु वे डाइट के सम्मुख उसकी अगली बैठक में पेश की जाती हैं और यदि डाइट अस्वीकार करे तो राजाज्ञा वापिस ले ली जाती हैं ।

वह क़ानूनों का पालन करवाने के लिये आर्डिनेन्स निकाल सकता है ।

जन शान्ति तथा व्यवस्था के लिये भी ।

जनता की भलाई करने के लिये यदि वे क़ानूनों के विरुद्ध न हों ।

सम्राट शासन के विभिन्न विभागों के संगठन के विषय में निश्चय करता है ।

साधारण तथा सेना के आफ़ीसरों की नियुक्ति, अलहदगी, तथा वेतन ।

वह स्थल तथा जल सेना का कमाण्डर-इन-चीफ़ होता है और युद्ध तथा शान्ति के प्रश्नों का निश्चय करता है ।

वह युद्ध की घोषणा करता है, सन्धि करता है और शान्ति के लिये समझौते करता है ।

वह उपाधि, पद, इत्यादि अन्य आदरसूचक अथवा कुलीनता परिचायक चिह्न प्रदान करता है ।

उसे क्षमा प्रदान करने, आम रिहाई करने तथा दण्ड को कम करने या बदलने का अधिकार है ।

किन्तु समस्त क़ानूनों, राजाज्ञाओं इत्यादि पर मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं जो डाइट की प्रथा के अनुसार उत्तरदायी होता है ।

नोट:— लिखते समय, जापान की डाइट नये शासन विधान के मसविदे^{१६} पर विचार कर रही है जो जनरल मैकार्थर की देखभाल में तैयार हुआ है।

: २२ :

डेनमार्क

क्षेत्रफल : १६,५७६ वर्ग मील।

जनसंख्या : ३८,६५,०००।

शासन विधान : ५-६-१६१५।

१०-६-१६२०।

सीमित राजतंत्र।

राजा।

पेटृक। राजा के वयस्क होने की आयु अठारह वर्ष। रीक्स्टाग तय करती है। वार्षिक खर्चा के संबंध में व्यवस्थापिका सभा निश्चय करती है—जब वह डेनमार्क से बाहर रहता है तो उसे कुछ नहीं दिया जाता।

शासन संबंधी अधिकार राजा के पास। (न्याय संबंधी न्यायालयों के पास)।

राजा का शरीर पवित्र माना जाता है।^{१७}

वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें अलहदा कर सकता है।

राजा युद्ध, शान्ति या सहायक सन्धि नहीं कर सकता, और न रीक्स्टाग की बिना सहमति के भूमि ही दे सकता है, न समझौते द्वारा कोई उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता है।

१६—विधान में शासन को प्रजातंत्रीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिये अनेक परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं। शासन विधान को उदार बनाया जा रहा है। किंतु उसकी अन्तिम रूप रेखा अभी स्पष्ट नहीं है।

१७—इसका तात्पर्य यह है कि उसे दण्डित नहीं किया जा सकता और उसके शरीर को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता है।

राजा अधिवेशन बुलाता है और अधिक से अधिक दो माह के लिये उसे स्थगित कर सकता है ।

राजा बिलों को रीक्वैस्टाग के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित कर सकता है ।

क्षमा प्रदान तथा आम रिहाई करने का अधिकार उसे प्राप्त है ।
राजा कानून के अनुसार मुद्रा बना सकता है ।

: २३ :

मैक्सिको

क्षेत्रफल : ७,६२,६४४ वर्ग मील ।

जनसंख्या : २,३६,५६,००० ।

नया शासन विधान—प्रजातंत्रीय—संघीय प्रैसीडेंट ।

३१ जनवरी १९१७ ।

पादरियों को सुनिधा देने तथा विदेशियों द्वारा शोषण के विरुद्ध नियम हैं ।

सर्वोच्च सत्ता प्रैसीडेंट में निहित है, प्रैसीडेंट का सीधा चुनाव होता है ।

योग्यता : मैक्सिको का नागरिक हो—उत्पत्ति से या उसके माता-पिता मैक्सिको निवासी हों—आयु ३५ वर्ष से अधिक हो । प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी दंगे अथवा सग़्कार को सैनिक शक्ति द्वारा पलटने के पड्यंत्र में भाग न लिया हो ।

अवधि : प्रथम दिसम्बर से चार वर्ष ।

कभी दुबारा नहीं चुना जा सकता ।

अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति करनेवाला—अगले अवसर पर प्रैसीडेंट नहीं चुना जा सकता । अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति कांग्रेस करती है । यदि उसकी बैठक हो रही है, तो उसके सदस्य मत देकर चुनाव करते हैं । यदि बैठक न हो रही हो तो स्थायी समिति (Parmanent Comittee) चुनती है और नियमित चुनाव के लिये ग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाती है ।

अल्पकालीन रिक्तता—यदि अवधि के प्रथम दो वर्ष के भीतर हो तो अल्पकालीन प्रेसीडेंट फिर कभी प्रेसीडेंट नहीं बन सकता ।

प्रेसीडेंट बिना कांग्रेस की सहमति के त्याग-पत्र नहीं दे सकता और यह सहमति केवल गम्भीर कारणों के उपस्थित रहने पर ही दी जानी चाहिए ।

अधिकार

विचारार्थ मसविदा उपस्थित कर सकता है ।

वीटो के उसे उतने ही सीमित अधिकार प्राप्त हैं जैसे कि अमेरिकन प्रेसीडेंट को ।

अधिकार और कर्तव्य

कानूनों को लागू करता है ।

सेक्रेटारियो को नियुक्त करता और अलहदा करता है । इसी प्रकार के अधिकार एजेण्टों, जनरलों और गवर्नरों के संबंध में प्राप्त हैं ।

सीनेट की स्वीकृति से समस्त मंत्रियों, राजदूतों तथा काउन्सिल-जनरल को नियुक्त करता तथा अलहदा करता है ।

यही अधिकार सैना के कर्नलों और कोष के ऊँचे अफसरों के संबंध में प्राप्त हैं ।

अन्य अफसरों की नियुक्ति ।

जल तथा स्थल सैना का प्रधान ।

नेशनल गार्ड का समुचित प्रबन्ध । (देखिये धारा ७६, उप-धारा ४) ।

कांग्रेस के प्रस्ताव पर युद्ध की घोषणा ।

योग्यता-पत्रों को प्रदान करता है ।

कूटनीति संबंधी पत्र व्यवहार तथा सन्धि करता है ।

कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाता है ।

न्याय विभाग को कार्य करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है ।

सामुद्रिक व्यापार पर तथा अन्य लगनेवाली चुंगियों के भवन खोलता है ।

सभा प्रदान करता है । आविष्कार तथा खोज संबंधी सुविधाओं के लिये एकाधिकार देता है ।

शासन-विधान द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करता है ।

: २४ :

इटली

क्षेत्रफल : १,१२,००० वर्ग मील ।

जनसंख्या : ४,४५,३७,००० ।

राजा नाम मात्र का प्रधान ।

मुसोलिनी वास्तव में प्रधान था ।

नोट:—युद्ध में पराजय के पश्चात् इटली में अनेक परिषर्तन हुए । इटली जनता के मत जानने के पश्चात् प्रजातंत्र घोषित कर दिया गया । राजा देश से चला गया । नया शासन विधान बनाने के लिए विधान निर्मात्री परिषद का चुनाव हो चुका है ।



कैबिनेट व केन्द्रीय सरकार

: १ :

आयरलैण्ड

प्रबन्धक-विभाग

धारा ५१—इसे एकज़ीक्यूटिव कमैटी कहते हैं—संख्या पाँच से सात तक—प्रेसीडेंट के द्वारा नियुक्ति, डेल की नामजदगी पर। अन्य मंत्री प्रधान मंत्री और राजस्व मंत्री के परामर्श पर नियुक्त किये जाते हैं। (कैनेडा के ढंग पर व्यवस्था)।

प्रेसीडेंट वाइस प्रेसीडेंट का निर्वाचन करता है। डेल आयरन के सुभाव पर अतिरिक्त मंत्री नियुक्त किये जा सकते हैं, किन्तु वह विभागों के प्रधान मात्र होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से डेल आयरन के प्रति उत्तरदायी होते हैं—यह प्रथा १६२७ ई० से लगभग उठा ही दी गई है।

प्रेसीडेंट जनता द्वारा चुना जाता है।

अर्थ संबंधी बिल वह हैं जिन्हें डेल आयरन का सभापति ऐसा घोषित करे। किंतु व्यवस्थापिका सभा का कोई भी भवन यह माँग कर सकता है कि इस प्रश्न का निर्णय सुविधाओं की कमैटी (Committee of priveleges) करे।

सभी डेल आयरन के सदस्य होने चाहिये।

वह सीनद आयरन (उच्च भवन) में उपस्थित हो सकते हैं तथा भाषण दे सकते हैं।

: २ :

कैनेडा

मन्त्री, यदि पहिले ही व्यवस्थापिका सभा का सदस्य न हो तो तीन माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए। यह एक वैधानिक प्रथा (Convention) है।

शेष बातें इङ्गलैण्ड के समान।

विरोधी दल के नेता को वही वेतन दिया जाता है जो प्रधान मन्त्री को—५००० पौण्ड वार्षिक।

: ३ :

आस्ट्रेलिया

वेतन १२,००० पौण्ड जो सात मंत्रियों को दिया जाता है।

लेबर पार्टी जब मंत्रिमंडल बनाती है तो मंत्रियों के नामों का सुझाव पार्टी कोकस^{१८} करती है।

कैबिनेट सम्पूर्ण शासन कार्य चलाती है और पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अवश्य होने चाहिए।

यदि पहिले से ही वह सदस्य न हों तो (यह नियम है) उन्हें तीन माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए।

१८. कोकस (caucus) व्यवस्थापिका सभा के पार्टी सदस्यों की बैठकों को कहते हैं जो अनेको शासन-संबंधी विषयों पर पहिले से विचार करने के लिये होती है। पार्टी के सभी सदस्य उसमें समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें किये गये साधारणतया पार्टी के व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्यों को मानने होते हैं।

: ४ :

फ्रान्स

मंत्रियों का वेतन ६,००० फ्रॉक है । सरकारी भवन इसके साथ अलग से मिलता है । यदि प्रधान मंत्री स्वयं न्याय विभाग नहीं सम्हालता तो न्याय मंत्री का पद उसके बाद आता है ।

मंत्री तथा उनके सैक्रेटरी साधारणतया चैम्बर के सदस्य होते हैं ।

मंत्री सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है । व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है । साधारण अपराधों के लिये साधारण न्यायालयों द्वारा दण्डित किये जा सकते हैं किंतु राजद्रोह के विषयों में व्यवस्थापिका सभा उन पर अभियोग लगाकर उन्हें दण्डित कर सकती है ।

कैबिनेट के मंत्रियों के हस्ताक्षर प्रत्येक मामले में आवश्यक है । नये मंत्रियों की नियुक्ति-पत्र पर प्रधान मंत्री हस्ताक्षर करता है ।

मंत्रियों की काउन्सिल की बैठक में प्रेसीडेंट सभापतित्व करता है किन्तु कैबिनेट बैठक में नहीं करता । कार्यवाही का विवरण प्रकाशित होने के लिये समाचार पत्रों को दे दिया जाता है किंतु महत्वपूर्ण विषयों पर उसमें कुछ नहीं कहा जाता ।

प्रधान मंत्री को सदस्यों के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिये सहमति लेने में कभी कभी कई सप्ताह लग जाते हैं । कोई भी मंत्री त्याग-पत्र देने की धमकी देकर अन्य मंत्रियों की स्थिति को भी खतरे में डाल सकता है ।

मंत्रिमंडल का प्रायः पुनर्संगठन होता रहता है, नये मंत्रिमंडल कम बनते हैं । प्रायः वही प्रधान मंत्री फिर पद सम्हाल लेता है ।

इंग्लैण्ड में कैबिनेट की स्थिति देश की विचार-धारा पर निर्भर है, फ्रॉंस में पार्लियामेंट की इच्छा पर ।

दक्षिणी अफ्रीका

कैबिनेट

गवर्नर-जनरल चुनता तथा बुलावा देता है। संख्या दस से अधिक न हो। कैबिनेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी की इच्छा पर उसकी अवधि निर्भर है। दक्षिणी अफ्रीका में कैबिनेट को एक्जीक्यूटिव काउन्सिल कहते हैं।

जर्मनी

कैबिनेट : रीखस्टाग के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रेसीडेंट के अधिकार १९३० ई० के पश्चात् बहुत विस्तृत हो गये हैं। जर्मन शासन विधान ने प्रेसीडेंट को कानून बनाने में सहयोग देने का अधिकार दे दिया है। उसे यह अधिकार है कि रीखस्टाग की कार्यवाही का विवरण उसे दिया जाय। वह कार्यवाही के समय अध्यक्ष पद ग्रहण कर सकता है; वह कैबिनेट के संगठन के बारे में दलों की माँगों मानना अस्वीकृत कर सकता है।

पार्लियामेंट की शक्ति प्रेसीडेंट की बढ़ती हुई शक्ति से कम होती जा रही है। प्रेसीडेंट पार्लियामेंट को भंग कर सकता है।

१९१६-१९२४ के काल में ४८वीं धारा के अंतर्गत १३० 'ऐमर्जेंसी डिक्री' (Emergency Decrees) जारी की गई।

कानून बनाने के सम्बन्ध में पहल (Initiative) का अधिकार है।

(अ) रीख सरकार रीखस्टाग की सम्मति पर बिल उपस्थित कर सकती है।

(ब) बिना सहमति के भी ऐसा किया जा सकता है। किंतु

वास्तविक अवस्था पर प्रकाश डालने के लिये एक वक्तव्य निकालना आवश्यक है ।

(स) रीय स्ट्राट के ज़ोर देने पर, अपनी सहमति के विरुद्ध भी । किन्तु एक वक्तव्य में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए ।

चांसलर तथा मंत्रियों को उपस्थित होने तथा भाषण देने का अधिकार है । उन्हें उपस्थित होने के लिए आज्ञा दी जा सकती है ।

४८ वीं धारा के अंतर्गत लगभग समस्त कानूनी अधिकार प्रैसीडेंट को हस्तांतरित कर दिये गये हैं ।

कमेटियों जनता के सामने खुली बैठकें करती हैं ।

विदेशी मामलो की कमेटी गुप्त बैठकों में काम करती है । किंतु उसका दो तिहाई बहुमत खुली बैठकों की माँग कर सकता है ।

: ७ :

स्विटज़रलैण्ड

फ़ेडरल काउन्सिल

सात सदस्य; अवधि—तीन वर्ष । व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों द्वारा चुनाव होता है ।

(निर्वाचन इस प्रकार होता है कि किसी भी कैबिनेट के एक से अधिक सदस्य न हो)

संघ का प्रैसीडेंट फेडरल काउन्सिल का अध्यक्ष पद ग्रहण करता है ।

प्रैसीडेंट तथा वाइस प्रैसीडेंट का चुनाव फ़ेडरल असेम्बली द्वारा १ वर्ष के लिये होता है । वह फ़ेडरल काउन्सिल (मंत्रिमंडल) के सदस्य होने चाहिए । कोई सदस्य उक्त पदां पर लगातार दो वर्ष कार्य नहीं कर सकता ।

कोरम : ४

जब मंत्रियों का चुनाव हो जाता है तो वह व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं । रिक्त स्थानों के लिये नये चुनाव होते हैं ।

प्रेसीडेंट को एक प्रारम्भिक मत और दूसरा कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है ।

चांसलर फ़ैडरल काउंसिल का सदस्य नहीं होता ।

वह मुख्य सेक्रेटरी होता है—जर्मन चांसलर यह नहीं होता ।

प्रत्येक फ़ैडरल काउंसिल का सदस्य एक शासन-विभाग का प्रधान होता है—राजस्व, शिक्षा, न्याय, पुलिस, गृह विभाग, सैन्य विभाग, डाक विभाग, राजनैतिक विभाग, प्रकाशन ।

कानून बनाने के लिये मसविदे तैयार करती है और व्यवस्थापिका सभा से कानून बनाने की प्रार्थना करती है ।

फ़ैडरल काउन्सिल किसी एक पार्टी से नहीं बनाई जाती । उसके सदस्य विचार-विनिमय के समय व्यवस्थापिका सभा में भी विरोधी विचार प्रकट कर सकते हैं ।

व्यवस्थापिका सभा में उसका काफी प्रभाव है किन्तु उनका मत नहीं होता ।

फ़ैडरल काउन्सिल प्रेसीडेंट, चांसलर, फ़ैडरल कोर्ट के न्यायाधीशों, कमाण्डर-इन-चीफ़ को छोड़कर शेष सभी अफसरों की नियुक्ति करती है ।

: ८ ;

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

कैबिनेट

कैबिनेट इङ्ग्लैण्ड इत्यादि के समान शासन कार्य नहीं चलाती । प्रेसीडेंट के अंतर्गत दस शासन विभागों के प्रधानों की समिति है । उसका यह कर्तव्य नहीं कि उनसे परामर्श करे, किन्तु ऐसा ही चलन हो गया है । प्रेसीडेंट सीनेट की स्वीकृति से उन्हें नियुक्त करता है, किन्तु वे सीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । न कांग्रेस में उनका कोई स्थान ही होता है । योग्यता का कोई प्रश्न नहीं । प्रेसीडेंट जब चाहे उन्हें

अलग कर सकता है। केवल पार्टी के हितों का ध्यान रखा जाता है। अटर्नी-जनरल तथा सैक्रेटरी ऑफ स्टेट कानून के विशेषज्ञ (वकील) होते हैं। नये कैबिनेट सदस्यों की प्रायः कोई पहिले से प्रसिद्धि नहीं होती। वह उत्तरदायी मंत्री न होकर उसके व्यक्तिगत परामर्शदाता के समान होते हैं।

विभिन्न शासन विभागों के प्रधान होते हैं।

; ६ ;

सोवियत रूस

केंद्रीय शासन समिति (Central Executive Committee)—इसमें २०० सदस्य होते हैं जो आल रशियन कांग्रेस द्वारा चुने जाते हैं। यह पाश्चात्य पार्लियामेण्ट के समान कार्य करती है। यह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है और कांग्रेस की बैठकों के अवकाश काल में यही कानून संबंधी, शासन संबंधी तथा नियंत्रण करनेवाली सर्वोच्च सत्ता होता है। सदस्यों को “प्रेसीडेंट अथवा अध्यक्ष की सहमति के बिना” क़ैद नहीं किया जा सकता। उपस्थिति अनिवार्य है। सदस्य किसी सोवियत में जा सकते हैं और सूचना माँग सकते हैं।

अधिकारः—समस्त सरकार के अंगों का निर्देशन, श्रमिकों तथा कृषकों की सरकारों का नियंत्रण। यह समस्त कानून संबंधी तथा शासन कार्यों का एकीकरण करती है और उनमें सामंजस्य स्थापित करती है। आल रशियन कांग्रेस की आज्ञाओं (decrees) तथा सरकार के केंद्रीय अंगों की आज्ञाओं का निरीक्षण करती है और कमिसारों^{१६} (commissars) की या विभागों की आज्ञाओं पर अपनी अनुमति देती है। यह कांग्रेस का अधिवेशन बुलाती है। कार्य का विवरण, अपनी नीति के संबंध में वक्तव्य देती हुई, देती है। विभिन्न विभागों तथा शासन के

विभिन्न भागों में नियुक्तियाँ करती है। और भी अधिकार हैं, किन्तु उनका आल रशियन कांग्रेस के साथ सम्मिलित रूप में उपयोग होता है।

केंद्रीय शासन समिति कानूनों, रिपोर्टों को देखती है। न्याय तथा शासन के कार्यों में भाग लेती है। प्रत्येक सदस्य को सरकार के किसी न किसी केंद्रीय अथवा स्थानीय काम में भाग लेना होता है। इसकी बैठके इस प्रकार से इन विभिन्न विभागों के लगातार पुनर्मिलन के रूप में होती हैं और इसके सदस्य वे होते हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय शासन समिति के सरकारी प्रतिनिधि होते हैं।

काउन्सिल ऑफ पीपुल्स कमिसार 'आल रशियन सेंट्रल ऐक्ज्यूटिव कमिटी' को नियुक्त करती है। यह समस्त आज्ञाओं तथा हिदायतों को प्रचारित करती है और केंद्रीय शासन समिति को इसकी सूचना देती है। केंद्रीय शासन समिति इन्हें मंजूरी दे सकती है या रद्द कर सकती है। किन्तु यदि अत्यंत आवश्यक हो तो कमिसारों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। विदेशी मामलों, युद्ध, जलसेना, गृह, न्याय, श्रम, सामाजिक भलाई, शिक्षा, डाक तथा तार, राष्ट्रीय, राजस्व, यातायात, कृषि, विदेशी वाणिज्य, भोजन (राज्य नियंत्रण), सर्वोच्च आर्थिक काउन्सिल और स्वास्थ्य विभागों का भार इसके सदस्य सम्हालते हैं।

प्रत्येक सदस्य के साथ एक बोर्ड होता है। बोर्ड के सदस्यों के नाम केंद्रीय शासन समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। कमिसार को मामले तय करने के अधिकार होते हैं। किन्तु बोर्ड यदि असहमत हो, तो किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी विषय प्रेसीडियम अथवा केंद्रीय शासन समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, किन्तु इससे किसी आज्ञा का लागू होना टलता नहीं।

: १० :

आस्ट्रिया

शासन विभाग

इसमें पीपुल्स कमिशनर होते हैं - एक प्रेसीडेंट, सङ्घीय मंत्री,

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, प्रांतीय सरकार के सदस्य—यह जनता के सङ्घीय तथा प्रांतीय प्रतिनिधि चुनते हैं।

सङ्घीय चांसलर समस्त निर्णयों को सरकारी रूप में लागू करने के लिये उत्तरदायी है। यह फ़ेडरल असेम्बली के निर्णय पर हस्ताक्षर करता है। फ़ेडरल कौंसिल का सभापतिव चांसलर करता है। फ़ेडरल कौंसिल चांसलर, वाइस-चांसलर, और सङ्घीय मंत्रियों से मिलकर बनती है। ये सबके सब नेशनल कौंसिल द्वारा प्रिंसिपल कमेटी के प्रस्ताव पर उसी के सदस्यों में से चुने जाते हैं। यदि नेशनल कौंसिल की बैठक न हो रही हो तो अस्थायी रूप से प्रिंसिपल कमेटी स्वयं चुनाव कर लेती है।

नेशनल कौंसिल का अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रियों या किसी भी मंत्री को अलहदा कर देता है।

बजट फ़ेडरल कौंसिल द्वारा नेशनल कौंसिल के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट सरकारी पार्लियामेण्टरी सहायक होते हैं और मंत्रियों के आधीन होते हैं।

: ११ :

जैकोस्तोकिया

प्रत्येक कानून स्पष्टतया यह बतायेगा कि उस कानून को बनाने के लिये कौन सा सरकारी सदस्य उत्तरदायी है।

मंत्रियों को व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में उपस्थित होने तथा भाषण देने का अधिकार तथा बुलाये जाने पर ऐसा करने का कर्तव्य है।

बैठकों के अवकाश काल में और व्यवस्थापिका सभा के भंग होने पर नये चुनाव के पहिले तक—२४ सदस्यों की एक कमेटी (जिसके १६ सदस्य चेम्बर आफ़ डिपुटीस द्वारा तथा ८ सदस्य सीनेट द्वारा चुने जाते हैं) एक वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाती है। इन अवसरों पर यह आवश्यक कार्यों का निरीक्षण करती है। इनमें कानून बनाना, सरकारी तथा शासन सत्ताओं पर नियंत्रण भी सम्मिलित है। चुनाव होने के पश्चात् तुरंत बना दी जाती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportioned Representation) कमेटी में चेम्बर ऑफ़ डिपुटीस के चेयरमैन तथा डिपुटी वाइस-चेयरमैन सीनेट के वाइस-चेयरमैन भी सम्मिलित होते हैं। यह समस्त वैधानिक मामलों में भाग लेती है। किंतु प्रेसीडेण्ट अथवा डिपुटी प्रेसीडेण्ट का चुनाव नहीं करती और न वैधानिक कानूनों में संशोधन कर सकती है। न वह शासन विभाग की शक्तियों को परिवर्तित कर सकती है। वह राजस्व-सम्बन्धी या सैनिक भार को भी नहीं बढ़ा सकती। न वह सम्मति दे सकती है और न युद्ध की ही घोषणा कर सकती है। धारा ५४।

: १२ :

स्वीडन

शासन विभाग

कौंसिल ऑफ़ स्टेट—राजा के सम्बन्धी सदस्य नहीं हो सकते। इसमें विभागों के अध्यक्ष दस की संख्या तक होते हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से दो ने पहिले पद ग्रहण किया हो। कार्यवाही का विवरण रक्खा जाता है।

विदेशी मामलों में विशेषतया विवरण रक्खा जाता है। जिन समझौतों की अत्यंत आवश्यकता हो वह रीक्स्टाग की अनुमति के बिना भी किये जाते हैं किंतु उनको तत्पश्चात् रीक्स्टाग के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए।

यदि राजा का निर्णय विरुद्ध हो तो कैबिनेट विरोध कर सकते हैं, नहीं तो उन निर्णयों के लिये मंत्रियों को उत्तरदायी समझा गया है।

कोई आवश्यक नहीं कि वे किसी भी भवन के सदस्य हों।

यदि किसी मंत्री का परामर्श राजा द्वारा कौंसिल ऑफ़ स्टेट के सुझाव पर भी ठुकरा दिया जावे तो वह त्यागपत्र दे देता है। उसे तब तक वेतन मिलता रहता है जब तक कि रीक्स्टाग निर्णय न करे।

: १३ :

नार्वे

शासन विभाग

मंत्री की आयु कम से कम ३० वर्ष है। संख्या सात। इसे कौंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। मंत्री जो स्टोर्थिंग के सदस्य न हो कौंसिल ऑफ स्टेट में लिये जा सकते हैं। कौंसिल ऑफ स्टेट का प्रथम सदस्य दो मत दे सकता है। कोरम संख्या का आधा होता है। राज्य-धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है, नहीं तो सदस्यता के अयोग्य समझा जायगा। कार्यवाही का विवरण रक्खा जाता है।

विवरण में विरोध का निर्देश होना आवश्यक है जिससे कोई मंत्री राजा के साथ मिलकर षडयंत्र करने के अभियोग से बच सके।

इस प्रकार मंत्रीगण स्टोर्थिंग में उपस्थित नहीं हो सकते। वह लैगथिंग के खुले अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है और वे स्टोर्थिंग के गुप्त अधिवेशन में भी आज्ञा मिलने पर उपस्थित हो सकते हैं।

: १४ :

ऐस्थोनिया

शासन विभाग

मन्त्रिमण्डल का चुनाव होता है।

: १५ :

स्पेन

स्थायी समिति (Permanent committee) जिसके २१ सदस्य होते हैं, और वे पार्टियों द्वारा अनुपात से चुने जाते हैं। वह

वैधानिक अधिकारों और डिपुटियों के क़ैद तथा अभियोग न लगाने के संबंध में जो गारंटी है, उसे मंसूख कर सकती है।

: १६ :

बेल्जियम

मंत्रियों को अधिक से अधिक पदच्युत किया जा सकता है।

कानून से सेना की संख्या नियत है। यह कानून हर वर्ष अगले एक वर्ष की अवधि के लिये लागू कर दिया जाता है।

मंत्री यदि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हों तो विचार-विनिमय के संबंध में मत दे सकते हैं। किंतु उनकी उपस्थिति व्यवस्थापिका सभा में आवश्यक है और उन्हें अपने विचार का प्रकाशन वहाँ भाषण द्वारा करने का अधिकार है।

: १७ :

इंग्लैण्ड

कैबिनेट :

इसमें मंत्री सम्मिलित होते हैं—किंतु सभी मंत्री कैबिनेट में नहीं बैठते।

प्रधान मंत्री के त्यागपत्र देने पर राजा अन्य नेता को बुलाता है यद्यपि यह आशयक नहीं कि वह किसी पार्टी का माना हुआ नेता हो (उदाहरणार्थ १८६४ ई० में लार्डरोज़बरी ; १८२२ ई० बोनर ला) वह प्रधान मंत्रित्व इस शर्त पर ग्रहण कर सकता है जब पार्टी द्वारा नेता चुन लिया जावे। उपरोक्त अवसरों पर ऐसा ही हुआ।

कैबिनेट को आर्डर-इन-कौंसिल जारी करने का अधिकार है। ये कितनी ही तरह के होते हैं। इनमें से कुछ पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं और कुछ नहीं रखे जाते। कभी कभी ४० दिनों तक पार्लिया-

मेंट के सम्मुख रक्खे रहते हैं। कहीं कहीं इस बात की आवश्यकता होती है कि व्यवस्थापिका सभा के दोनो भवनों द्वारा वे स्वीकृत कर लिये जायँ। कुछ के लिये साधारण कानूनों के बनाने की आवश्यकता होती है।

फौज तथा जल सेना के अनुमान कोष विभाग के पास न भेजे जाकर चांसलर ऑफ एक्सचेंजर के पास जाते हैं।

मंत्रियों का सम्मिलित उत्तरदायित्व होता है।

वेतन २००० पौण्ड वार्षिक से १०००० पौण्ड तक है। प्रधान मंत्री को ५००० पौण्ड^{१०} वार्षिक वेतन मिलता है। प्रत्येक लार्ड चांसलर रिटायर्ड होने पर जीवन भर के लिए ५००० पौंड वार्षिक पेन्शन पाता है।

प्रत्येक मंत्री को या तो व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन का या तो पहले ही से सदस्य होना चाहिये या बाद में बन जाना चाहिये। किन्तु-पॉंच सैक्रेटरी आफ स्टेट से अधिक किसी एक भवन के सदस्य न हों और न दूसरे भवन से पॉंच से अधिक अंडर-सैक्रेटरी लिये जा सकते हैं।

प्रधान मन्त्री सम्राट के नाम से कामन्स सभा को भंग कर सकता है और ठीक काम न करने पर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को भी अलग कर सकता है (उदाहरणार्थ मोन्टेग्यू १९२२ ई० में हटा दिये गए थे) कैबिनेट का उत्तरदायित्व है, किन्तु १९३२ में यह सिद्धांत प्रथम बार तोड़कर व्यक्तिगत मंत्रियों को जिनमें आपस में मतभेद था, व्यवस्थापिका सभा में उन मतभेदों को प्रकट कर लेने दिया गया और वे पद पर बने रहे। (सर एच० सेम्यूअल फिलिप स्नोडैन; तट-कर नीति पर। उन्होंने ओटावा पैकट के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिया)।

कमैटियों के चेयरमैन योग्यता का ध्यान रखकर चुने जाते हैं—आर्थिक बिल सीधे स्थायी कमैटियों के पास जाते हैं—कमैटियों के पास जाने वाले सभी बिल विचार के बाद वापिस आने चाहिये—स्थायी

२०—जून १९३७ का 'मंत्रियों का वेतन कानून' स्पष्ट है कहता कि "बहु पुरुष जो प्रधान मंत्री और कोष का अध्यक्ष है" १०,००० पौण्ड वार्षिक पावेगा।

कमैटियों में सरकारी दल का बहुमत होता है लेकिन प्राइवेट बिलों^१ पर विचार करनेवाली 'सिलैक्ट कमैटियों' में सदस्यों को चुनते समय पार्टीबन्दी का ध्यान नहीं रखा जाता—प्राइवेट बिलों पर विचार करने वाली कमैटी में चार कामन्स सभा के सदस्य, पाँच लार्ड सभा के सदस्य तथा एक प्रेसीडेंट होता है—यह तरीका खर्चीला है।

हाउस आफ कामन्स की एक 'ग्रान्ड कमैटी' होती है जो चार विभागों में बटी रहती है; उसमें दो कानून बनाने के सम्बन्ध में और अन्य दो आर्थिक बिलों को छोड़कर शेष सभी बिलों पर विचार करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भवन की एक कमैटी होती है जो 'कमैटी आफ सप्लाइ' और 'कमैटी आफ वेज़ ऐण्ड मीन्स' कहलाती है। पार्टी प्रतिनिधियों की चुनी हुई ग्यारह सदस्यों की एक 'कमैटी आफ सलैक्शन' होती है जो 'सैशन्स कमैटी', 'सिलैक्ट कमैटी' और अन्य कमैटियों को, जो बिलों तथा ऐसे मामलों की जाँच करती है जो स्पष्टतया राजनैतिक हैं। 'सैशन्स कमैटी' के तीन विभाग होते हैं—पब्लिक एकाउन्ट; पब्लिक पिटीशन (प्रार्थना पत्र) और किचिन (kitchen) विभाग कहलाते हैं। 'सिलैक्ट कमैटी' के पंद्रह सदस्य होते हैं किन्तु प्राइवेट बिलों पर विचार करनेवाली 'सिलैक्ट कमैटी' के केवल चार सदस्य होते हैं।

: १८ :

डेनमार्क

काउन्सिल आफ स्टेट

राज्य उत्तराधिकारी इसमें भाग लेता है। राजा सभापतित्व करता है। राजा की अनुपस्थिति में राजा द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री सभापति

२१—प्राइवेट बिल उन बिलों को कहते हैं जो विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा विशेष स्थान के लिए होते हैं। वह समस्त देश-वासियों और समस्त देश पर लागू नहीं होते।

का आसन ग्रहण करता है। प्रधान मंत्री कार्यवाही का विवरण राजा के पास स्वीकृति के लिए भेजता है और यदि राजा स्वीकृति न दे तो काउन्सिल आफ स्टेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है।

मंत्रियों पर राजा या फाल्कटीन अभियोग लगा सकती है। रीगस्ट्राट अर्थात् न्यायालय अभियोग की सुनवाई कर अपना निर्णय देता है।

: १६ :

जापान

कैबिनेट:—सम्राट को परामर्श देती है किन्तु (प्रधानुसार) डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन विधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। राज के मंत्री संख्या में दस होते हैं।

विदेशी मामले, गृह, राजस्व, युद्ध, जल सेना, न्याय, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, संदेश के साधन।

राजभवन का भी एक मंत्री होता है किन्तु वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। मंत्री व्यवस्थापिका सभा के किसी भी भवन के सदस्य हो सकते हैं। और दोनों में ही भाषण दे सकते हैं। उनकी डाइट के प्रति उत्तरदायित्व की प्रथा १६१४ ई० के पश्चात् से स्थापित हो चुकी है।

प्रिवी काउन्सिल:—प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, पचीस काउन्सलर, एक चीफ सैक्रेटरी, और पाँच सैक्रेटरी इसके सदस्य होते हैं।

काउन्सलरो में पदाधिकारी होने के नाते राज के वे समस्त मन्त्रा होते हैं जिनकी कैबिनेट बनती है।

काउन्सिल सम्राट को निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देती है:—

(१) शासन विधान की उन धाराओं के विषय में जिनका व्याख्या के संबंध में संदेह होता है।

(२) देश में संकट-घोषणा प्रचारित करने के संबंध में।

(३) वैधानिक राजाशाओं के संबंध में ।

(४) संधियों के विषय में ।

(५) प्रिवी काउन्सिल के संगठन के विषय में और उन विषयों पर विचार जो विशेष रूप में उठ खड़े हों ।

राजनीतिक संकट के समय कैबिनेट बनाने के संबंध में इससे परामर्श लिया जा सकता है । कैबिनेट के समस्त कार्य तथा कानूनों के संबंध में डाइट के सम्मुख उपस्थित किए जाने से पहले अथवा डाइट द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात् इसका परामर्श लिया जा सकता है ।

यह सम्राट की वैधानिक परामर्शदाताओं की सर्वोच्च समिति है । इस प्रकार इसने आंशिक रूप में कैबिनेट का स्थान ले लिया है । ऐसा माना जाता है कि कैबिनेट के अधिकारों को इसने हथिया लिया है और उन्हें सीमित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

नोट—जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं जापानी डाइट जनरल मैकार्थर के निरीक्षण में बनाए गए नये शासन विधान के मसविदे^{११} पर विचार कर रही है ।

: २० :

इटली

मंत्री व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में बैठ सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं । उनके अंडर-सैक्रेटारियों को भी यह अधिकार प्राप्त है । (इङ्ग्लैण्ड में ऐसा नहीं है) ।

मंत्रियों की संख्या चौदह होती है । प्रत्येक का एक अंडर-सैक्रेटरी होता है जिसको प्रधान मंत्री नियुक्त करता है ।

मंत्रियों को भगडालू पार्टियों से सौदा पटाने की (फ्रांस के समान) आवश्यकता नहीं होती ।

१२—यह शासन विधान स्वीकृत किया जा चुका है पर अभी उसकी अंतिम रूपरेखा सामने नहीं आई ।



निचला भवन

: १ :

आयरलैण्ड

अवधि : सात वर्ष ।

मताधिकार योग्यता : बालिंग मताधिकार (२१ वर्ष) और यूनीवर्सिटी सदस्य प्रत्येक वर्तमान यूनीवर्सिटी के पीछे तीन के हिसाब से ।

स्थानों की संख्या : कम से कम ३०,००० मतदाताओं के पीछे १ पतिनिधि और अधिक से अधिक २०,००० मतदाताओं के पीछे १ प्रतिनिधि ।

संगठन : आर्थिक बिलों के अतिरिक्त अन्य बिल सीनट आयरन (ऊँचा भवन) को भेजे जा सकते हैं जो विचार विनिमय के लिए दोनों भवनों की सम्मिलित बैठक के लिए कह सकती है, किन्तु वोट लेने के लिए सम्मिलित बैठक नहीं होती ।

आर्थिक बिल जिनके लिए 'एक्जीक्यूटिव कमेटी' के परामर्श पर गवर्नर-जनरल^{२१} की राय ली जा चुकी है, डेल आयरन के विचारार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं ।

२३—१९३७ के संशोधन द्वारा गवर्नर-जनरल का पद उड़ा दिया गया है । उसके स्थान पर जनता द्वारा निर्वाचित एक प्रेसीडेंट होता है ।

विवादास्पद प्रश्न व्याख्या के लिए 'कमेटी आफ प्रिवीलेजेज' (इसमें दोनों भवनों के तीन तीन सदस्य रहते हैं) को सौंप दिये जाते हैं । इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का एक ऊँचा न्यायाधीश होता है ।

१६२७ ई० से हाउस का स्पीकर निर्विरोध पुनर्निर्वाचित हो जाता है ।

: २ :

कैनेडा

हाउस आफ कामन्स

हाउस आफ कामन्स का संगठन किसी भी समय निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार किया जा सकता है:—

कैनेडा की जनसंख्या

क्यूबैक की जनसंख्या^२

प्रेसीडेंट इस अनुपात को रखते हुए भवन की संख्या बढ़ा सकता है ।

राजस्व तथा बजट:

आर्थिक बिलों की पहल कामन्स भवन से ही की जा सकती है । किंतु उन पर गवर्नर-जनरल की सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक रहता है । तभी उन पर विचार हो सकता है ।

२४—इसका तात्पर्य यह है कि क्यूबैक प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या ६५ ही रहेगी । इस संख्या के क्यूबैक की जनसंख्या में विभाजन करने के प्रति सीट के पीछे जनसंख्या का अनुपात निकल आवेगा । उसी अनुपात से अन्य प्रांतों को भी सीटे-दे दी जायेंगी ।

केन्द्रीय सरकार विशेष कार्यों के लिये प्रांतों को निश्चित रकम देती है।

६,८०,००० क्यूबैक, नार्थ ब्रून्सविक, और जोवा स्काटिया को भी।

३

आस्ट्रेलिया

निचला भवन : हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स।

अवधि : तीन वर्ष यदि इसके पूर्व भंग न कर दी जाय।

मताधिकार योग्यता : बालिग मताधिकार।

सीटों की संख्या : ७५ इकाइयों की जनसंख्या के अनुपात से। प्रत्येक को कम से कम ५ सीटें मिलती हैं।

यदि बिना आज्ञा कोई बैठको में अनुपस्थित रहे तो सीट के रिक्त हो जाने की घोषणा कर दी जाती है।

यात्रा की सुविधायें राज्य की ओर से बिना व्यय मिलती हैं।

कुछ अन्य बातें

स्पीकर केवल एक कास्टिंग वोट देता है।

जनसंख्या की गणना में मूल निवासियों को नहीं गिना जाता।

पार्लियामेंट की सत्ता की व्याख्या स्वयं कैनेडा की पार्लियामेंट कर सकती है। किंतु यह सत्ता ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की सत्ता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कामन्स भवन के स्पीकर का केवल एक कास्टिंग वोट होता है।

भवन शान्ति, व्यवस्था, सुशासन के लिये कानूनों को बनाता है। ये कानून केवल उन विषयों से संबंधित हो सकते हैं जो प्रांतों के पास सुरक्षित नहीं।

राज्य युद्ध के समय खुराक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर सकता है।

भवन कैबिनेट पर नियंत्रण रखता है। इसकी सत्ता, कार्यवाही के नियम आदि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के समान ही हैं।

: ४ :

दक्षिणी अफ्रीका

हाउस आफ असेम्बली

अवधि : पाँच वर्ष, यदि इसके पूर्व भंग न कर दी जाय। सीधे प्रांतों से चुनाव होता है। संख्या : १५०^{२*}।

केप कालेनी ५१, नैटाल १७, ट्रांसवाल ३६, आरेंज फ्री स्टेट १७।

यह संख्या कुछ १५० तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु कम नहीं की जा सकती। प्रत्येक प्रांत के सीटों की संख्या उस प्रांत के योरपियन पुरुष बालिगों के अनुपात से निर्धारित की जाती है।

केप कालेनी में किसी को भी मताधिकार से विशेष कानून के अतिरिक्त किसी रूप से वंचित नहीं किया जा सकता किंतु मूल निवासियों के मताधिकारी संबंधी कानून रिजर्व रख लिये जाते हैं।

एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। स्थान ग्रहण करने के दिन से ४०० पौण्ड वार्षिक मिलता है। अनुपस्थिति के लिये ३ पौण्ड प्रति दिन कम हो जाते हैं।

उम्मेदवारों की योग्यता—प्रांतीय असेम्बली के सदस्य होने की

२५—यह मूल ग्रंथ का ज्यों का त्यों रूपान्तर है। किंतु योग लगाने से स्पष्ट है कि संख्या १२१ ही रह जाती है। बाद में संख्या बढ़ा देने की शक्ति का उल्लेख भी है। स्पष्ट है कि यह १५० संख्या अधिक से अधिक नियत है। वास्तव में सन् १९३४ ई० के कानून के अनुसार यह संख्या १५० ही कर दी गई है और अब प्रांतों में सीटों का विभाजन इस प्रकार है। केप ६१, नैटाल १६, ट्रांसवाल ५७ और आरेंज फ्री स्टेट १६।

योग्यता आवश्यक—५ वर्ष से राज्य का निवासी हो। योरपीय ब्रिटिश प्रजा हो। कोरम ५०।

प्रेसीडेंट की केवल एक कास्टिंग वोट होती है। सम्राट के प्रति राजभक्ति की शपथ ली जाती है।

बैठक में गैर कानूनी तौर पर भाग लेने पर १०० पौण्ड प्रति दिन का दण्ड। सदस्यों के अधिकार, सुविधायें इत्यादि प्रेसीडेंट निश्चित करता है।

राजस्व : बजट संबंधी आर्थिक बिल केवल असेम्बली में प्रारम्भिक रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं किंतु अधिवेशन के समय में व्यय संबंधी बिलों पर गवर्नर की स्वीकृति ले लेना आवश्यक है।

पार्लियामेंट की सम्मिलित बैठक में सीनेट का प्रेसीडेंट सभापतित्व करता है। कानूनों पर गवर्नर-जनरल हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर किये हुए बिल सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कर दिये जाते हैं।

: ५ :

न्यूज़ीलैण्ड

हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव।

बालिग पुरुष मताधिकार, प्रत्येक पुरुष का एकमत। अब स्त्रियों का भी समान मताधिकार दे दिया गया है।

सीटों की संख्या—७६। इसके अतिरिक्त ४ स्थान मारिश (मूल निवासियों) के लिये नियत हैं।

वेतन—३०० पौण्ड वार्षिक।

कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता। शासन विधान परिवर्तित कर सकता है।

कानूनों को रिपोर्टर पार्लियामेंट में उपस्थित करता तथा पास करवाता है। मंत्री उसके सहायक के रूप में रहता है। वही स्पीकर को तथा वक्ताओं को बोलने के संबंध में संकेत देता है। बजट, जिसमें अन्य बातें भी भर दी जाती हैं, को कमेटी में तीन महीने लग जाते हैं।

पार्लियामेण्ट में जून के पूर्व नहीं पहुँच पाता । अतएव, प्रथम जनवरी, एक या दो माह के लिये विशेष मौँगें स्वीकृत की जाती रहती हैं ।

कुछ अन्य बातें

पुलिस का प्रबंध डोमीनियन सरकार के हाथों में है ।

सदस्य अत्यंत सतर्क रहते हैं । ५/६ के लगभग साधारण स्थानीय सदस्यों की सी भावना से ऊँचा नहीं उठ पाते । पतन नहीं है । सदस्य एजेण्ट के समान समझे जाते हैं ।

: ६ :

स्विटजरलैण्ड

निचला भवन

नेशनल काउन्सिल ।

सदस्य संख्या : १८७, प्रत्यक्ष चुनाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

आम बालिग़ मताधिकार ।

आयु : २० वर्ष ।

अवधि : ४ वर्ष ।

नारियो को मताधिकार नहीं ।

मतदाताओं द्वारा डिपुटी प्रत्येक २२,००० संख्या के पीछे एक के अनुपात से चुने जाते हैं । १०,००० से अधिक के भाग के लिये एक सीट दे दी जाती है ।

अयोग्यता

कोई भी मतदाता यदि पादरी न हो तो चुनाव का उम्मेदवार हो सकता है । नारियों को मताधिकार नहीं ।

केंद्रीय विषयों के लिये आधारभूत अधिकारों तथा जनरल कालम के अंतर्गत देखिये ।

: ७ :

फ्रांस

निचला भवन—चैम्बर आफ डिपुटीज़

अवधि : ४ वर्ष ।

मताधिकार : रजिस्टर्ड मतदाता—वे फौजी जो स्थल या जल पर काम या ड्यूटी पर लगे हैं, वोट नहीं दे सकते—अफसर भी नहीं दे सकते—बालिग पुरुष मताधिकार किंतु वहाँ इसे आम मताधिकार कहते हैं । एक मत से अधिक नहीं । अनिवार्य मतप्रदान नहीं ।

सीटों की संख्या—प्रत्येक डिपार्टमेंट^{२६} में ७५००० के पीछे एक सदस्य और अतिरिक्त संख्या पर प्रति ३७, ५०० के पीछे एक सदस्य, प्रत्येक डिपार्टमेंट के कम से कम ३ डिपुटी होते हैं ।

बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र—यदि एक डिपार्टमेंट के ६ डिपुटी हों तो दो निर्वाचन-क्षेत्र होंगे । कुल सदस्य ५८४^{२७} जिसमें १० फ्रांसीसी उपनिवेशों के प्रतिनिधि, १० अल्जीरिया के और २६ आल्सेस-लौरेन के प्रतिनिधि होते हैं ।

नये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यों के होते हैं ।^{२८}

वैतन: - भत्ता दिया जाता है ।

योग्यता—सैनिक सेवा—वे अफसर, जो रिटायर्ड होने के लिये अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उम्मेदवार हो सकते हैं । बैंक आफ फ्रांस के डायरेक्टर तथा उप-डायरेक्टर भी खड़े हो सकते हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य अफसर भी, जो सेक्रेटेरियट, न्याय विभाग, धार्मिक विभाग में २६—‘डिपार्टमेंट’ फ्रांस में शासन की इकाई को कहते हैं । इन्हें ज़िले के समान समझना चाहिए ।

२७—सन् १९३६ में यह संख्या ६१८ थी । इसमें ५६६ फ्रांस के सदस्य (२६ आल्सेस-लौरेन के इसी में शामिल हैं), १० उपनिवेशों तथा ६ अल्जीरिया के थे ।

२८—नये शासन-विधान में ऐसा नहीं है ।

अथवा पेशेवर हों, खड़े हो सकते हैं। यदि कोई डिपुटी वृत्तन-भोगी अफसर नियत हो जाय तो वह डिपुटी पद पर नहीं रह सकता किंतु यदि उम्मेदवार होने की योग्यता उसमें हो तो दूसरी बार चुना जा सकता है। जिन चुनाव पत्रों में संख्या से अधिक मत दे दिये जाते हैं वह अनियमित घोषित नहीं किये जाते, केवल अन्त में अधिक नामों को काट दिया जाता है।

क्लोजर^{२६} (closure) तभी लागू किया जा सकता है जब दो सदस्य बोल चुके हों। किंतु मन्त्री उत्तर दे सकता है यद्यपि अंतिम शब्द वाद-विवाद में साधारण सदस्य के होते हैं। एक व्यक्ति का भाषण दूसरे व्यक्ति दे सकते हैं किंतु संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका के समान भाषण के बिना पढ़े प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। मत बैलट^{२७} द्वारा दिये जाते हैं किंतु वस्तुतः वह खुले ही रहते हैं। किंतु पचास सदस्य मंच पर बैलट द्वारा मतदान की माँग कर सकते हैं। ऐसी हालत में वर्णानुसार (Alphabetically) सदस्यों को बुलाया जाता है। प्रश्न के बाद बहस होती है और विदेशी नीति के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर मत लिए जाते हैं। पहले इस प्रस्ताव पर मत लिए जाते हैं कि भवन अपनी कार्यवाही जारी रखे। चैम्बर केवल दिखावे मात्र^{२८} को एक कानून बनानेवाली संस्था है।

२६—क्लोजर (closure) का तात्पर्य उस तरीके से है जिसके द्वारा बहस को काफ़ी लम्बी चलने से रोका जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कार्यवाही में व्यर्थ देरी न हो और कार्य सुचारु रूप से चल सके।

२७—बैलट (Ballot) मत-पत्र को कहते हैं। बैलट द्वारा मत-दान का उद्देश्य यह है कि मत गुप्त रूप से दिया जा सके। मत-दाता के अतिरिक्त कोई भी यह न जान सके कि मत किसे दिया है। मत-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते।

२८—इस कथन का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। वास्तव में कैबिनेट के अस्थायित्व के कारण चैम्बर के पास ही वास्तविक सत्ता है।

बजट चालू और विशेष खर्चों में विभाजित रहता है। विशेष व्यय चालू व्यय के भाग नहीं समझे जाते। उनके लिये धन उधार लिया जाता है। इस विशेष व्यय में लगभग चालीस पचास हजार मदे रहती हैं। बजट कमिशन राजस्व अफसरों की सलाह और मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता है। कमिशन मदों को घटा बढ़ा सकता है किंतु बढ़ाने में मंत्रियों की स्वीकृति आवश्यक है।

युद्ध की घोषणा दोनों भवनों की सहमति के बिना नहीं की जा सकती।

सदस्यों को २७,००० फ्रांक अथवा ५,००० डालर मिलते हैं। वे अपने पुत्रों, दामादों और मित्रों के लिए नौकरी और पद खोजते फिरते हैं। वे सम्मान चिह्न नौकरी और तम्बाकू बेचने के लाइसेन्स, की खोज में भी रहते हैं। सदस्य भवन के सामने विचार प्रकट करते हैं, प्रैसीडेंट के सम्मुख नहीं।

सीनेट और चैम्बर आफ डिपुटीज़ दोनों का अधिवेशन पाँच महीने तक चलता रहता है।

प्रैसीडेंट एक बार में चैम्बर को एक माह के लिए स्थगित कर सकता है किंतु एक वर्ष में वह दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

: ८ :

जर्मनी

निचला भवन रीखस्टाग

अवधि : चार वर्ष

ग्राम मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बीस वर्ष की आयु।

२२ सीटों की संख्या—नियत नहीं है।

६०,००० मत देने वालों के पीछे एक सदस्य। मत कार्य-क्रम

नीतियों और सिद्धांतों के ऊपर दिए जाते हैं—व्यक्तित्व पर नहीं। पैतीस डिवीज़नों की तरह यूनियनों की और एक राष्ट्रीय तालिका तैयार की जाती है और सदस्य इन तालिकाओं से क्रम से चुने जाते हैं। पहले डिवीजन की तालिका से तीन सदस्य लिये जाते हैं—उसके पश्चात् यूनियन की तालिका से और अन्त में राष्ट्रीय-तालिका से।

(अ) एकाधिकारी (exclusive) कानून सम्बन्धी शक्तियाँ

(ब) कानून संबंधी सम्मिलित^{१२} (concurrent) शक्तियाँ

(स) सिद्धान्त सम्बन्धी कानून।

रीज़ को आर्थिक विषयों में इकाइयों पर विशेषाधिकार प्राप्त (over-riding powers) हैं। रीज़ के कानून इकाइयों के कानूनों को इन विषयों में रह कर देते हैं—मतभेद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है।

मैन्य अफसर यदि चुनाव लड़ रहे हों अथवा सभाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्हें छुट्टी अवश्य देनी होती है। प्रैसीडेंट तथा व्यवस्थापिका सभा को विशेष ढंग की सुविधायें मिली हुई हैं।

विदेशी मामले—सीमायें (इकाइयों की सहमति से, रक्षा भी) औपनिवेशिक मामले और डाक तथा तार—इन विषयों में केवल रीज़ को ही सत्ता प्राप्त है।

प्रैसीडेंट पर अभियोग—१०० सदस्यों के हस्ताक्षर से और बहुमत के पास कर देने पर लगाया जा सकता है। यही ढंग शासन विधान में परिवर्तन के लिये नियत है। अभियोग सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया जाता है जो इस संबंध में अपना निर्णय देती है।

इकाई राज्य रीज़ के कानूनों को लागू करते हैं, रीज़ का नियंत्रण रहता है। बैठकें प्रैसीडेंट द्वारा स्वयं या एक-तिहाई सदस्यों कीमॉग पर बुलाई जाती हैं। भवन स्वयं अथवा चैयरमैन, डिपुटी चैयरमैन तथा

१२—सम्मिलित तालिका (concurrent list) में वे विषय होते हैं जिन पर केन्द्रीय तथा यूनिट दोनों की सरकारें कानून बना सकती हैं, पर उक्त विषयों पर केन्द्रीय कानून यूनिट के कानूनों की तुलना में मान्य समझे जाते हैं।

मेक्रेटरी चुनता है और स्वयं कार्यवाही के नियम निर्धारित करता है। अधिवेशन खुले होते हैं किन्तु दो-तिहाई के बहुमत से गुप्त बैठक की माँग की जा सकती है। यदि रीज़ल्टिंग के एक-तिहाई सदस्य कहें तो कानूनों को २ माह तक लागू होने से रोक दिया जाता है। इसी अवधि के अन्दर कभी भी दोनों भवन अपना निर्णय दे उन्हें कभी भी लागू करा सकते हैं।

: ६ :

सोवियत रूस

कौंसिल आफ़ पीपुल्स कमीसार सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी तथा आल रशियन कॉग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। पीपुल्स कमीसार तथा बोर्ड कौंसिल आफ़ पीपुल्स कमीसार तथा आल रशियन कॉग्रेस की सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आल रशियन कॉग्रेस तथा सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी समस्त राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर नियंत्रण रखती है। इसमें विदेशी संबंध, सन्धियों पर अंतिम स्वीकृति, प्रादेशिक गिरोहबन्दी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मीमात्रों तथा राज्यों की अलहदगी; युद्ध तथा शान्ति; उधार का धन तथा कर; तटकर तथा व्यापारिक समझौते; न्याय कार्य; आग रिहाई इत्यादि भी इन्हीं के अधिकार में हैं। यह पीपुल्स कमीसारों के चेयरमैन की नियुक्ति तथा वापसी (हटा देना) भी करते हैं। रशियन तथा विदेशियों के नागरिक अधिकारों का प्रश्न; तैल तथा नाप; अपराध तथा दण्ड; मुद्रा; आर्थिक जीवन का संगठन; बजट; सेना; कानून बनाना और न्याय इन्हीं के अधिकार में हैं।

मताधिकार:—आम—आयु १८ वर्ष। निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं। १. जीविकोपार्जन किसी उत्पादन कार्य से करता हो। २. किसी गृह-कार्य—व्यापार अथवा उद्योग धंधे में लगा हो। ३. जल और स्थल सेना का फ़ौजी हो। ४. नागरिक हो पर कार्य करने में असमर्थ हो। स्थानीय सोवियत सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति

से आयु संबंधी यांग्यता को कम कर सकती है। ५. भ्रम करने वाले विदेशी।

अयोग्यताये^{३३} : १. जो लाभार्थ दूसरो से सेवा कराते हों। २. जो पूँजी, भूमि अथवा उद्योग की आयु पर रहते हों। ३. व्यक्तिगत व्यापारी, एजेन्ट तथा मध्यस्थ। ४. पादरी तथा संत। ५. पिछली पुलिस के एजेन्ट और स्वामी। ६. विशेष पुलिस के दस्ते अथवा गुप्त पुलिस के सदस्य। ७. शासक जाति के सदस्य। ८. नाबालिग तथा विकृत मस्तिष्क वाले। ९. वह जिनका किसी बुरे (infamous or mercenary) अपराध में दण्ड मिल चुका है।

बजट:—आल रशियन सैन्ट्रल एक्जोक्यूटिव कमिटी जो राज्य तथा स्थानीय सोवियतों में विभाजित है। सोवियत केवल स्थानीय आवश्यकता-पूर्ति के लिये कर लगा सकते हैं। आम आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोष से होती है।

आल रशियन काँग्रेस^{३४} . नगर सोवियतों का प्रतिनिधि प्रत्येक २५,००० व्यक्ति के पीछे १ के अनुपात से आते हैं। गवर्नरिया (प्रान्तीय) काँग्रेस से प्रत्येक १,२५,००० व्यक्तियों के पीछे एक। सन् १९२१ ई० में इसके १६३१ सदस्य थे। वर्ष में एक बार बैठक होती है। इसके पास सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता है। आल रशियन काँग्रेस के विशेष अधिकार निम्नलिखित हैं:—

(१) सोवियत शासन विधान में आधारभूत परिवर्तन करने का अधिकार इसे प्राप्त है।

३३—सोवियत के १९३६ ई० के नवीन शासन विधान में यह अयोग्यता हटा दी गई है। धारा १३५ के अनुसार केवल वही व्यक्ति मत नहीं दे सकते जिनका या तो मस्तिष्क विकृत है अथवा न्यायालय ने जिनसे मताधिकार छीन लिया है। अयोग्यता हटाने का कारण स्पष्ट है। १९३६ ई० तक अन्य प्रकार के अयोग्य व्यक्ति या तो समाप्त हो चुके थे या उनका विचार-परिवर्तन हो चुका था।

३४—सन् १९३६ के नये शासन-विधान के अनुसार इसके सगठन आदि में अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं। विशेष ज्ञान के लिये देविये परिशिष्ट में सोवियत रूस का नवीन शासन विधान।

(२) यह सन्धियां पर अंतिम स्वीकृति देती है ।

आल रशियन कॉंग्रेस के शेष अधिकारों के लिये ऊपर की टिप्पणी पढ़िये । इसके अन्य अधिकार सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमिटी के साथ सम्मिलित रूप में हैं ।

स्थानीय सोवियत सत्ता का संगठन^{३५} : सोवियतों की कॉंग्रेस

(अ) सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिधियों (प्रति ५००० मतदाताओं के पीछे १ प्रतिनिधि) तथा ग्रामीण सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिधियों (प्रति २५,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि) से मिलकर बनती है । समस्त प्रतिनिधियों की संख्या अधिक से अधिक ५०० होती है—सोवियतों की भी यही अधिकतम संख्या है । यदि प्रादेशिक कॉंग्रेस के ठीक पहिले सोवियतों का अधिवेशन हो तो इसी में चुनाव हो जाता है ।

(ब) **प्रान्तीय अथवा गूबरनिया**—इसमें नगर सोवियतों के प्रत्येक २,००० मतदाताओं के पीछे १ तथा सोवियतों की कॉंग्रेस के ग्रामीण डिवीज़नों से प्रति १०,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि लिया जाता है ।

नेशनल असेम्बली ।

: १० :

स्लावों, क्रोटों तथा सबों का राज्य^{३६}

नेशनल असेम्बली

अवधि : ४ वर्ष ।

प्रति ४०,००० व्यक्तियों के पीछे १ प्रतिनिधि ।

मताधिकार : आम, समान, प्रत्यक्ष तथा गुप्त ।

३५—इसमें भी अब अनेक परिवर्तन हो चुके हैं ।

३६—जैसा कि हम पहिले कह आये हैं, यूगोस्लाविया में अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं ।

: ११ :

ज़ैकोस्लोवाकिया

चैम्बर आफ डिपुटीज़

अवधि : ६ वर्ष ।

मताधिकार : आम, समान, प्रत्यक्ष मताधिकार । आनुपातिक प्रतिनिधित्व । वयस्क मताधिकार । आयु २१ वर्ष ; उम्मेदवार की आयु ३० वर्ष ।

संख्या : ३०० ।

प्रत्येक चैम्बर स्वयं अपना चैयरमैन चुनता है ।

उन पर अभियोग—सम्पादकीय के अतिरिक्त—केवल उसके चैम्बर की सहमति से लगाया जा सकता है । उसे बिना चैम्बर या कमेटी की आज्ञा, जिसको १४ दिन में चैम्बर स्वीकृत कर ले, के पकड़ा या कैद नहीं किया जा सकता ।

वे किसी भी ऐसे विषय में, साक्षी सदस्यता से अलग हो जाने पर भी, नहीं दे सकते जो उन्हें सदस्यता के नाते बताई गई हैं ।

कानून किसी भी भवन में उपस्थित किया जा सकता है । उनमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कानून का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा । कानून बनने में दोनों भवनों की स्वीकृति आवश्यक है ।

वजट निचले भवन के अधिकार में है ।

यदि सरकार एकमत होकर कोई बिल उपस्थित करे और नेशनल असेम्बली उसे अस्वीकृत कर दे तो वह चैम्बर आफ डिपुटीज़ के समस्त मतदाताओं के समक्ष राय के लिये भेजा जाता है, किंतु सरकार द्वारा प्रस्तावित वैधानिक परिवर्तनों में इस प्रकार की राय नहीं ली जाती ।

असेम्बली को प्रेसीडेंट बुलाता है जबकि पूर्ण बहुमत द्वारा यह मॉग की जाय—नहीं तो किसी भी चैम्बर का चैयरमैन ऐसा कर सकता है । यदि अंतिम अधिवेशन को समाप्त हुए ४ मास बीत चुके हों तो नये अधिवेशन की मॉग के लिये $\frac{2}{3}$ का बहुमत काफ़ी है ।

कोरम : दो-तिहाई बहुमत ।

प्रेसीडेंट या काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स पर अभियोग लगाने के लिये कोरम दो-तिहाई का बहुमत होता है और प्रस्ताव की स्वीकृति दो-तिहाई के बहुमत से दी जानी चाहिए।

नेशनल असेम्बली के सदस्य सदस्यता समाप्त होने के पश्चात् एक वर्ष तक नौकरी नहीं कर सकते। यह नियम मंत्रियों पर लागू नहीं होता। किंतु सरकारी नौकर चुने जा सकते हैं। उन्हें छुट्टी दे दी जाती है और उनके वेतन में तरक्की भी होती रहती है। वे अवधि की समाप्ति पर फिर पदार्हूद कर दिये जाते हैं। यही बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिये लागू है। डिपार्टमेंटों के प्रीफेक्ट नेशनल असेम्बली या वैधानिक न्यायालयों के सदस्य नहीं हो सकते—चुनाव संबंधी न्यायालयों तथा डिपार्टमेंटों को काउन्सिलों।^{१६}

: १२ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

निचला भवन

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव।

अवधि २ वर्ष।

सदस्य राज्यों (इकाइयों) की जनता द्वारा चुने जाते हैं। मताधिकार योग्यता वही होती है जो राज्य के निचले भवनों के संबंध में निर्धारित है।

सदस्यों की योग्यता: आयु २५ वर्ष। ७ वर्ष का निवास—निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए। सीटों की संख्या मतदाताओं के अनुपात से प्रत्येक राज्य में नियत की जाती है। वे मूल निवासी इण्डियन, जो कर नहीं देते, शामिल नहीं किये जाते।

अयोग्यतायें: राज्यविद्रोह। अयोग्यता काँग्रेस द्वारा हटा दी जा सकती है।

३६ जैसा हम ऊपर कह आये हैं यहाँ भी नया शासन विधान बन रहा है।

बैठकों के लिये कोरम, स्थगित नियम; सदस्यों को भवन से बाहर करने इत्यादि के संबंध में सीनेट के कालम में देखिये ।

उन्हें १५०० पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है ।

संख्या : ४३५ ।

अधिकार

समस्त आर्थिक बिल निचले भवन में प्रथम बार विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

बहुत कम ऐसा होता है कि अयोग्य सदस्य बैठकों में उपस्थित हो धारा-सभा के प्रति अन्याय प्रकट करें ।

: १३ :

पोलिश प्रजातन्त्र

निचला भवन : डाइट ।

अवधि : ५ वर्ष ।

मताधिकार : आम, गुप्त, समानमताधिकार—अनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

वयस्क मताधिकार । इक्कीस वर्ष की आयु—सक्रिय ड्यूटी पर नियुक्त फौज़ी वोट नहीं दे सकते ।

राजस्व विभाग, शासन तथा न्याय (केन्द्रीय नहीं) विभागों के सरकारी अफसर उन स्थानों से नहीं चुने जा सकते जहाँ वे पदों पर नियुक्त हैं । जब चुन लिये जाते हैं तो सुविधायें सहित छुट्टी दे दी जाती है ।

अधिकार

१—सेना पर सर्वोच्च नियन्त्रण का अधिकार व्यवस्थापिका सभा में निहित है ।

२—डाइट द्वारा कानून बनाने में पहल की जाती है ।

३—निर्विरोध चुनाव के सम्बन्ध में डाइट भूगर्भों का फैसला करती है ।

४—ग्राम रिहाई केवल व्यवस्थापिका सभा द्वारा की जा सकती है ।

सुविधायें :

सुविधायें और अयोग्यताएँ:—

(अ) किसी डिप्टी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता ।

(ब) भूमि नहीं खरीद सकता ।

(स) सैन्य सम्बन्धी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई आदर सूचक चिन्ह या पद नहीं ग्रहण कर सकता ।

(द) एक उत्तरदायी सम्पादक नहीं हो सकता ।

: १४ :

आस्ट्रिया

निचले भवन के अधिकार

नेशनल काउन्सिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक कमेटी नियुक्त करती है जो संघ के शासन कार्य में, संघीय सरकार के बनाने में सहयोग देती है और संघीय सरकार की उन आज्ञाओं को जारी कराने में सहयोग देती है जिनके लिए इसकी सहमति आवश्यक है ।

नेशनल काउन्सिल

मताधिकार : समान, प्रत्यक्ष, गुप्त, व्यक्तिगत बीस वर्ष या उससे अधिक आयु के नर-नारियों को प्राप्त है । अनुपातिक प्रतिनिधित्व । उम्मीदवारों की आयु कम से कम चौबीस वर्ष की होनी चाहिए ।

अवधि : चार वर्ष ।

सीटों की संख्या नागरिकों की संख्या के अनुपात से होती है ।

भवन की बैठक या तो चेयरमैन स्वयं बुला सकता है अथवा वह एक चौथाई सदस्यों की मांग पर बुलाता है । केवल स्थगित या भंग कर सकता है ।

कोरम : १

अधिकार

दोनों भवन संघीय सरकार से कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दोनों भवनों का सदस्य नहीं हो सकता। सरकारी नौकरों को सदस्य बनने के लिए विशेष आज्ञा नहीं लेनी होती।

कानूनों को नेशनल काउन्सिल में संघीय सरकार विचारार्थ उपस्थित कर सकती है या वह संघीय सरकार द्वारा फ़ैडरल काउन्सिल में उपस्थित किया जा सकता है। २००००० मतदाता या तीन प्रान्तों के आधे मतदाता किसी भी कानून को बनाने की मांग कर सकते हैं। कानून बनाने का यह ढंग जनता द्वारा पहल (popular Initiative) कहलाता है।

प्रत्येक कानून यदि नेशनल काउन्सिल निर्णय करे या बहुमत प्रार्थना करे तो जनमत जानने के लिए भेजा जा सकता है।

राज्य संधियों के लिए नेशनल काउन्सिल की स्वीकृति आवश्यक है।

संघीय सेना नेशनल काउन्सिल के नियन्त्रण में रहती है।

युद्ध की घोषणा संघीय व्यवस्थापिका सभा अर्थात् दोनों भवनों का सम्मिलित अधिवेशन करता है। सम्मिलित अधिवेशन का चेयरमैन बारी बारी से नेशनल काउन्सिल और फ़ैडरल काउन्सिल के अध्यक्ष होते हैं। कुछ विषयों में संघीय सरकार सिद्धांतों को निर्धारित करती है—प्रांत उन्हें कार्य रूप में परिणित करते हैं—प्रान्तों के शासन का संगठन—भूमि सुधार—जंगल—बिजली की शक्ति—इमारतें—प्रान्तीय अफसरों की नौकरी के सम्बन्ध में नियम।

: १५ :

स्वीडन

रिकस्टाग

रिकस्टाग निम्नलिखित कमेटियों को नियुक्त करती है। वैधानिक—राजस्व—मांग—बैंक—कानून—कृषि।

प्रत्येक अधिवेशन सोलह व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त करता है जिसका कार्य राजा से विदेशी सम्बन्धों पर परामर्श लेना होता है।

राजा की उपस्थिति में विचार विनिमय नहीं किया जाता ।

२३०—देहात और नगरों का अनुपात—१५० : ८० ।

ग्राम पुरुष मताधिकार १६०६ ई० से जारी हुआ ।

अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दोनों भवनों के चुनाव में लागू है ।

अवधि : चार वर्ष ।

स्त्रियों और पुरुषों को २३ वर्ष की आयु में मताधिकार मिल जाता है । प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ स्थान रिक्त होने पर पूर्ति के लिए व्यक्ति भी चले जाते हैं (ऊँचे भवन के कालम में देखिए) ।

दोनों भवनों को समान अधिकार प्राप्त हैं ।

साधारणतया व्यवस्थापिका सभा में दिये गए भाषणों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती किन्तु भवन ५ के बहुमत से अभियोग लगाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं ।

रिकस्टाग का अधिवेशन प्रतिवर्ष दस जनवरी को प्रारम्भ होता है । राजा की उपस्थिति में रिकस्टाग अथवा उसकी कोई कमेटी विचार विनिमय नहीं करती ।

: १६ :

नार्वे

स्टोर थिंग

मताधिकार योग्यता : २३ वर्ष की आयु—५ वर्ष का निवास ।

अयोग्यताएँ—किसी अपराध में दण्ड—व्यक्तिगत मामले सँभालने में असमर्थता के कारण दण्ड—अपनी सरकार की बिना अनुमति के विदेशी राज्य की नौकरी—मत खरीदने या बेचने के कारण दण्ड—एक स्थान से अधिक पर वोट दिया हो । असमर्थ व्यक्ति मत भेज सकते हैं ।

अवधि : चार वर्ष ।

सदस्य संख्या : १५० ; नगर और देहात का अनुपात—१ : २ ।

किश्चियाना : ७ सीट । आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

एक तिहाई सदस्य शहरी निर्वाचक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और

दो-तिहाई नार्वे के देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उम्मेदवार : आर्यु ३० वर्ष—१० वर्ष का निवास। मन्त्री और पुराने मन्त्री सदस्य चुने जा सकते हैं। अक्सर सदस्य नहीं हो सकते। चुने जाने पर सदस्यता स्वीकृत करना पड़ती है किन्तु यदि वह दोबारा चुना गया हो और वह पहले चुनाव के पश्चात् तीन अधिवेशनों में उपस्थित रह चुका हो तो यह अनिवार्य नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति चुने जा सकते हैं।

भत्ता : ३०० क्रोनन मार्ग व्यय।

निकित्सा के लिए व्यय मिलता है और सेवार्थ (nursing) भत्ते। सदस्य और अवकाश के समय स्थान ग्रहण करनेवाला व्यक्ति भत्ते के सम्बन्ध में आपस में तय कर लेते हैं।

विशेष उपस्थिति—१२ क्रोनन प्रतिदिन मिलता है और सदैव की भाँति सुविधाएँ।

कानून पहले स्टोर थिंग में प्रस्तावित किए जाते हैं तत्पश्चात् लैगथिंग को भेजे जाते हैं।

कूटनीति के सम्बन्ध में रिपोर्ट की माँग की जा सकती है पर यह रिपोर्टें ६ व्यक्तियों की एक कमेटी के सामने रखी जाती हैं। समझौते की गुप्त शर्तें प्रकाशित शर्तों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

स्टोर थिंग का अधिवेशन प्रतिवर्ष १० जनवरी के बाद आने वाले सोमवार को प्रारम्भ होता है। दोनों भवनों में कोरम सदस्यों की संख्या का दो-तिहाई होता है। प्रत्येक भवन अपना प्रेसीडेंट चुनता है। स्टोर थिंग काउन्सिल आफ स्टेट से यह माँग कर सकती है कि वह अपनी रिपोर्टें इसके सन्मुख पेश करें।

व्यवस्थापिका सभा की बैठकें खुली होती हैं किन्तु यदि आधे सदस्य माँग करें तो गुप्त हो सकती हैं।

: १७ :

एस्थोनिया

केवल एक भवन

मताधिकार : समान—गुप्त—आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

अवधि : तीन वर्ष ।

सदस्य संख्या : १०० ।

मतदाताओं की योग्यता :

आयु २० वर्ष—ऐस्थोनिया की कम से कम एक वर्ष से प्रजा हो ।
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों से सैनिक सेवा नहीं ली जाती ।

अयोग्यताएँ :

विकृत मस्तिष्क—अन्धापन—गूँगापन—बहरापन—खर्चीलापन—
कानूनी वली (Guardian) नियुक्त हो और विशेष अपराधी वर्ग
के लोग ।

पास हुए कानूनों का जारी होना एक तिहाई सदस्यों की मांग पर
दो माह के लिए स्थगित किया जा सकता है और यदि इस अवधि के
अन्दर २५००० मतदाता मांग करें तो कानून जनमत संग्रह के लिए
भेज दिए जाते हैं और जनता का निर्णय अन्तिम होता है ।

जनता द्वारा पहल : कोई भी २५०० मतदाता बिल उपस्थित कर
यह माँग कर सकते हैं कि असेम्बली या तो उसे स्वीकृत कर ले या
अस्वीकृत कर दे ।

अस्वीकृति की अवस्था में जनमत संग्रह निर्णायक होता है ।

यदि असेम्बली की राय के विरुद्ध जनमत-संग्रह का निर्णय हो तो
नए चुनाव ७५ दिन में होते हैं ।

बजट, उधार का मामला, कर लगानेवाले कानून, युद्ध, शान्ति
और सन्धियाँ जनमत संग्रह के लिए नहीं भेजी जाती ।

जनमत संग्रह की प्रथा ही इस प्रकार से ऊँचे भवन के कार्य सम्पा-
दित करती है ।

व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोम-
वार से प्रारम्भ होते हैं । एक-चौथाई सदस्यों की माँग पर भी अधिवेशन
बुलाए जाते हैं ।

व्यवस्थापिका सभा पिछले चेयरमैन की अध्यक्षता में अपने चेयर-
मैन का चुनाव करती है ।

बैठकें खुली होती हैं; किन्तु दो तिहाई सदस्यों की माँग पर गुप्त
बैठकें की जा सकती हैं ।

: १८ :

इङ्गलैण्ड

हाउस आफ़ कामन्स

सदस्य संख्या : ६४० ।

मताधिकार : वयस्क मताधिकार ; आयु २१ वर्ष ; छः महीने से उस निर्वाचन क्षेत्र में या समीप के निर्वाचन क्षेत्र में रहता हो — अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके काम का आफिस, दुकान, गोदाम दस पौंड सालाना किराये का हो । उनमें उसके स्वयं रहने की आवश्यकता नहीं ।

दो निर्वाचन क्षेत्रों में निवास और मकान की योग्यता के कारण मत दे सकता है । अतएव व्यापारियों को मजदूरों से अधिक सुविधा है ।

यूनीवर्सिटी — समस्त वयस्क पुरुष ग्रेजुएट ।

अयोग्यताएँ : विदेशी, अकिचन ; लार्ड सभा के सदस्य और संस्थाओं में रहनेवाले विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति ।

नामज़दगी का पर्चा दाखिल करने का समय एक घण्टा—२५० पौंड जमा करने पड़ते हैं । यदि किसी उम्मेदवार को पड़ने वाले मतों का ३ भाग न मिले तो यह जमानत ज़ब्त हो जाती है ।

मतदाताओं की सूची घर घर जाकर तैयार की जाती है । पार्लिया-मेण्ट अपना अवधिकाल केवल हाउस आफ़ लार्डज़ के भी राजी होने पर बढ़ा सकती है ।

अनुपस्थित मतदाता यदि देश के अन्दर ही हों तो डाक द्वारा मत भेज सकते हैं । प्रत्येक उम्मीदवार को बिना डाक व्यय हरेक मतदाता के पास एक पर्चा भेजने का अधिकार है ।

कोई सदस्य त्यागपत्र नहीं दे सकता ; पर यदि कोई ऐसा करना ही चाहे तो उनके लिए नाममात्र का कोई पद दे दिया जाता है जैसे चिल्ड्रेन हन्ड्रड्स अथवा लंकास्टर की डची जिनमें कुछ नहीं करना पड़ता । यह बाकायदा नियुक्ति समझी जाती है यद्यपि केवल एक मन्त्री के लंकास्टर की डची के पाने के समय के अतिरिक्त कोई वेतन नहीं देना पड़ता ।

यदि स्वीकर यह समझे कि 'क्लोजर' लगाने से मन्त्रिमण्डल के साथ

अन्याय होता है तो वह उसे न लगाए—दस वर्ष से प्रयुक्त नहीं हुआ—जब भी इच्छा हो स्पीकर अपनी आज्ञा से दर्शक गैलरी खाली करा सकता है।

कर लगानेवाला बिल एक पब्लिक बिल है—किन्तु जिनका म्युनि-सिपैलटियों या रेलों से सम्बन्ध होता है प्राइवेट बिल कहलाते हैं—प्राइवेट सदस्य पब्लिक बिल विचारार्थ उपस्थित कर सकते हैं—लेकिन प्रार्थनापत्र पर आधारित प्राइवेट बिल ऊँचे या निचले किसी भी भवन में उपस्थित किये जा सकते हैं।

कामन्स सभा का कोरम ४० है—प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर के पश्चात् ४० सदस्यों द्वारा असन्तोषजनक उत्तर बताकर स्थगित प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी जाती है। भवन जब चाहे स्थगित हो सकता है किन्तु भवनों के अधिवेशन साथ-साथ समाप्त होते हैं। चुनाव के बाद स्पीकर पार्टीबन्दी में नहीं पड़ता। अमेरिका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रथा इसके विपरीत है। वहाँ चुनाव के पश्चात् स्पीकर और भी अधिक पार्टी भावना से प्रेरित हो जाता है।

: १६ :

स्पेन

कार्टेज़

२३ वर्ष की आयु का व्यक्ति सदस्य हो सकता है।

४ वर्ष की अवधि।

: २० :

फ्रान्स

इकेले किसी भवन की बैठक अनियमित है, सीनेट केवल न्यायालय

के रूप में अकेली बैठक कर सकता है। ऐसे समय सीनेट स्वयं अपने अधिकार से बैठकें करती है।

बैठकें खुली होती हैं। पूर्ण बहुमत द्वारा गुप्त बैठकें हो सकती हैं।

जब तक कमेटी रिपोर्ट न दे, बिलों पर चैम्बर आफ डिपुटीज़ में विचार नहीं होता। प्रेसीडेंट वीटो नहीं कर सकता किंतु ऐसा कभी या कतई ही नहीं किया गया। चैम्बर की २० कमेटियाँ होती हैं। प्रत्येक के ४४ सदस्य होते हैं।

इंगलैण्ड में कामन्स भवन को कानूनन तथा वास्तविक दोनों रूप में बजट पर नियंत्रण प्राप्त है।

फ्रांस में चैम्बर को केवल वास्तव में, कानूनन नहीं।

संयुक्त राष्ट्र में हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव को यह नियंत्रण न कानूनन और नाहीं वास्तव में प्राप्त हैं।

फ्रांस में सचेतक इत्यादि नहीं होते। सदस्यों को लाबी^{१७} में कोई यह बताता नहीं फिरता कि उन्हें क्या करना है, और किस ओर मत देना है।

: २१ :

बेल्जियम

निचला भवन : हाउस आफ रिप्रज़ेंटेटिव

मताधिकार : प्रत्यक्ष; २१ वर्ष की आयु और ६ माह की निवास योग्यता।

चुनाव : निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए; स्त्रियों को दो-तिहाई के बहुमत से एक मत दिया गया है। मत दाताओं की सूची नियमानुसार रहती है (जैसा कि आस्ट्रिया में है) अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मत-दान अनिवार्य है।

२७—लाबी भवन के समीप वाले कमरों को कहते हैं जहाँ सदस्य बैठा करता है।

संख्या : ४०,००० निवासियों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। २५ वर्ष की आयु आवश्यक है।

योग्यताएँ : बेल्जियम का नागरिक या निवासी हो या उसे पूरी नागरिकता प्रदान की जा चुकी हो।

सदस्यों की सुविधायें : जब तक कोई अपराध करते समय न पकड़ा जावे कैद नहीं हो सकती। यदि भवन माँग करे तो सदस्यों पर से अभियोग मंसूख कर दिया जाता है।

भत्ता : १२,००० फ्रांक वार्षिक भत्ता। मार्ग-व्यय इसके अतिरिक्त रिटायर्ड होने पर देने के लिये कोष स्थापित किया जा सकता है।

सदस्यों की आधी संख्या प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाती है।

प्रत्येक असमर्थ पुरुष तथा बच्चेवाले विधुर को जो ५ फ्रांक का हाउस-टेक्स देते हैं, यदि वे ३५ वर्ष की आयु के हैं, एक अतिरिक्त मत दिया जाता है। इसी प्रकार उन सबों को भी जो २५ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी वास्तविक जायदाद २००० फ्रांक के मूल्य की है अथवा जो भूमि से इतनी ही आय कमाते हैं। अथवा जिनका नाम पब्लिक डैट (ऋण) रजिस्टर में है, एक अतिरिक्त मत दिया जाता है। जिनका इतना धन सेविंग्स बैंक में जमा है कि १०० फ्रांक व्याज मिलती हो, उन्हें भी अतिरिक्त मत प्राप्त है। तीसरा मत उन सबों को प्राप्त है जो ग्रेजुएट हों, या माध्यामिक शिक्षा पूरी कर चुके हों, या शिक्षा जैसे कार्य में लगे हों—पर तीन से अधिक मत नहीं होते। (यह सूचना बुड्रो बिल्सन के ग्रंथ से ली गई है जो १९१८ ई० तक ही है।)

अधिवेशन—नवम्बर में प्रति वर्ष द्वितीय मंगलवार को प्रारम्भ होकर कम से कम ४० दिन चलते हैं।

व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन खुला होता है किंतु यदि प्रैसी-डेंट या बहुमत चाहे तो गुप्त हो सकता है।

सदस्यों को सरकारी सेवा में जाने पर स्थान रिक्त कर देना होता है, किंतु दुबारा चुनाव लड़ सकता है। वाइस-प्रैसीडेंट तथा प्रैसीडेंट का चुनाव प्रत्येक अधिवेशन में प्रत्येक भवन स्वयं करता है।

यदि मत समान आवें, तो माँगें अस्वीकृत समझी जाती हैं। पास

करने के लिये कोरम भवन का बहुमत है। बोलकर मत दिये जाते हैं या उठे रहकर तथा बैठे रहकर।

मंत्रियों को प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं, भवन को नहीं।

: २२ :

डैनमार्क

निचला भवन : फाल्कस्टीन।

सब नर-नारी जो देश के निवासी हैं और जिनका रहने का स्थान है मतदाता हैं यदि (१) वे किसी बुरे अपराध में दण्डित होकर उस समय सज़ा न भुगत रहे हों, अथवा (२) उन्हें जन-संगठनों से आर्थिक सहायता आपत्ति काल में मिली हो, और उन्होंने ऋण चुकाया न हो, अथवा (३) जिनकी जायदाद समाप्त हो गई है और जिन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

सदस्यों की संख्या १५० से अधिक न होगी।

आनुगतिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया जा सकता है।

अवधि : ४ वर्ष।

वेतन मिलता है।

भवन में वक्तव्य कानूनी माने जाते हैं।

प्रत्येक भवन अपना चेयरमैन स्वयं चुनता है।

भवन की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित होता है किंतु जनता गुप्त रखने को कह सकती है।

सम्मिलित बैठक : प्रत्येक चैम्बर के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों।

रीक्स्टाग राजधानी (कोपेन हेगन) में बैठती है।

चुने हुए सरकारी अफसरों की किसी की अनुमति नहीं लेनी होती। विशेष अवस्थाओं में, वेतन भोगी पदों को ग्रहण करने वाले सदस्य कानूनन दूसरी बार में फिर चुने जा सकते हैं।

बिना आधे सदस्यों की उपस्थिति के कोई मत नहीं लिया जा सकता ।

: २३ :

इटली

निचला भवन : चैम्बर आफ डिपुटीज़ ।

५३५ सदस्य ।

गुप्त मतदान । प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं ।

सम्पूर्ण पार्टी सूची पर मत लिया जाता है ।

जिस पार्टी को सबसे अधिक मत मिले वह भवन की दो-तिहाई सीटों पर अधिकार कर लेती है । मत दाता जिस पार्टी को चुनना चाहते हैं उसके चिन्ह पर लाइन कर देते हैं । (फासिस्तों का चिह्न तिनके तथा कुल्हाड़ी प्राचीन रोमन चिन्ह है और पपुनारी का क्रॉस तथा तलवार)

अन्य पार्टियों को आपस में अनुगणन से सीटें मिल जाती हैं ।

अवधि : ५ वर्ष । प्रधान मंत्री भवन को कभी भी भंग करने का निर्णय कर सकता है ।

(बाद में जुलाई १९३३ ई०) कहा जाता है कि प्रधान मंत्री केवल मतदाताओं के पास एक सम्पूर्ण सूची विचारार्थ भेज सकता है ।

सरकार को व्यवस्थापिका सभा ने स्वयं काफी आर्डीनेन्स की शक्ति दे दी है ।

कानून की केवल मोटी रूपरेखा बनाई जाती है—सरकार आर्डीनेन्सों तथा डिक्रियों से उन्हें भर देती हैं—कभी कभी यह अधिकार नीचे के कर्मचारियों को दे दिया जाता है (वास्तव में इन डिक्रियों को बनाने में परिश्रम तथा लागू करने में कठिनाइयों आश्चर्यजनक हैं ।

आर्थिक बिल प्रथम बार में निचले भवन में उपस्थित किये जाते हैं सीनेट मान जाती है—न माने तो और नये सीनेटर नियुक्त कर दिये जाते हैं ।

स्पीकर निष्पक्ष होता है ।

कमेटियों का चुनाव तथा प्रश्न करने का ढंग फ्रांसीसी तरह का है।
चम्बर ६ कमेटियों में विभाजित है। (प्रत्येक २ माह के पश्चात्
फिर से बनती हैं) इनमें से प्रत्येक बनने वाली कमेटी में एक सदस्य
भेजता है।

: २४ :

मैक्सिको

निचला भवन: हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव।

अवधि: २ वर्ष।

सीटों की संख्या: प्रत्येक ६०००० या २०००० से अधिक के विभा-
जन के पीछे एक प्रतिनिधि। किन्तु प्रत्येक राज्य का कम से कम एक
सदस्य होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य के साथ उसके रिक्त स्थान की पूर्ति
के लिए स्थानापन्न (substitute) भी चुना जाता है।

चुनाव: प्रत्यक्ष।

योग्यताएँ: १—नागरिक हो २—आयु पच्चीस वर्ष की हो;
३—राज्यों का निवासी हो या चुनाव के छ माह पूर्व निवासी बन गया
हो; ४—चुनाव से ६० दिन पहिले एक सक्रिय सैनिक सेवा में न रहा हो;

५—बिना ६० दिन पहले त्यागपत्र दिए शासन विभाग का सेक्रेटरी
या असिस्टेंट सेक्रेटरी अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अथवा राज्य
का गवर्नर अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट (राजमन्त्री) अथवा राज्य का
न्यायाधीश नहीं हो सकता।

अयोग्यताएँ: धार्मिक मतों के पादरी अथवा पदाधिकारी अयोग्य
समझे जाते हैं।

कोरम: बहुमत।

अधिकार:

१—उधार और करों के सम्बन्ध के बिल केवल निचले भवन में
प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

२—साधारण कानून को निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्तावित

कर सकता है। (अ) प्रेसीडेन्ट द्वारा) (ब) किसी भवन द्वारा, (स) राज्य की व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा।

टिप्पणी : वे बिल जो (अ) और (स) और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर कमेटियाँ विचार करती हैं।

जिन बिलों को भवन स्वयं प्रस्तावित करते हैं उन पर भवनों की कार्यवाही के नियमों के अनुसार कार्य होता है।

३—प्रेसीडेन्ट का वीटो :—(i) वे बिल जो प्रेसीडेन्ट द्वारा दस दिन में वापिस नहीं भेजे जाते, पास हो गये समझे जाते हैं। (ii) यदि प्रेसीडेन्ट विरोध करे तो वह उसे भवन के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है जिसमें वह प्रस्तावित किया गया था। यदि वह भवन दो-तिहाई के बहुमत से उसे फिर पास करे तो वह दूसरे भवन के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरा भवन भी उसे दो-तिहाई के मत से स्वीकृत करे तो कानून पास समझा जाता है।

४—सीनेट द्वारा वीटो : वह बिल जिसे सीनेट एक दम अस्वीकृत कर देती है उसकी भवन में उसके सुझावों सहित दोबारा जांच होती है और यदि भवन फिर स्वीकृति दे तो वह प्रेसीडेन्ट के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है।

काँग्रेस के अधिकार :—ये अधिकार विस्तृत रूप से ७३ से ७७ धाराओं में ३२ शीर्षकों के अन्तर्गत गिनाए गए हैं।

१—नये राज्यों को शामिल होने की सहमति देना।

२—८०००० वर्ग मील के क्षेत्रफल में राज्यों को स्थापित करना।

३—वर्तमान राज्यों में से नये राज्य बनाना, यदि जनमत इसके अनुकूल हो। ऐसे राज्यों की जनसंख्या कम से कम १२०००० होनी चाहिये और इस विषय में राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं तथा संघ के भवन के प्रेसीडेन्ट की भी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। नये राज्यों में स्वयं अपना भार सम्भालने की चिन्ता होनी चाहिये। इस प्रकार का निर्णय संघ के दोनों भवनों को दो-तिहाई के बहुमत से तथा राज्य की व्यवस्थापिका सभा को साधारण बहुमत से मान्य होना चाहिये। किन्तु यदि सम्बन्धित राज्य उक्त प्रस्ताव से सहमत न हो तो राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं के दो तिहाई बहुमत की सहमति आवश्यक है।

४—राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना ।

५—राजधानियों को परिवर्तित करना ।

६—कानून सम्बन्धी अधिकार । यह अधिकार उन संघीय प्रदेशों के सम्बन्ध में प्राप्त हैं जिन पर प्रेसीडेन्ट द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन करते हैं । यह गवर्नर प्रेसीडेन्ट द्वारा हटाये जाते हैं । सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों और प्रथमवार मुकदमों पर विचार करने वाले न्यायाधीशों को कॉंग्रेस मत डालकर नियुक्त करती है । अटर्नी जनरल सीधे प्रेसीडेन्ट के मातहत होता है ।

७—बजट के लिए आवश्यक कर लगा सकता है ।

८—उधार ले सकता है और ऋण तथा विदेशी व्यापार के विषयों पर अधिकार रखता है ।

९—तटकर सम्बन्धी कानून बनाता है ।

१०—खानों, व्यापार, उधार, उद्योगों के विषय में कानून बनाता है और नोट प्रचारित करने वाला एक बैंक स्थापित करता है ।

११—विदेशी ममालो के सम्बन्ध में अधिकार हैं ।

१२—युद्ध की घोषणा करता है ।

१३—शत्रु के जहाजों के पकड़ने के सम्बन्ध में नियम बनाता है ।

१४—जहाजरानी के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१५—जल और स्थल सेना के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१६—नेशनल गार्ड के सम्बन्ध में नियम बनाता है ।

१७—नागरिकता, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने, उपनिवेश प्रवास, प्रवेश, जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में कानून बनाता है । जन-स्वास्थ्य-परिषद प्रेसीडेन्ट के मातहत काम करती है । इसका कोई सैक्रेटरी नहीं होता, स्वच्छता सम्बन्धी अधिकारी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं । जनस्वास्थ्य परिषद द्वारा बनाये गये नियम कॉंग्रेस द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं ।

१८—सन्देश के आम साधनों, डाक, सड़कों, डाकघरों, तारघरों और संघीय युद्ध ऋणों के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१९—मुद्रा, मुद्रण और विनिमय के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

२०—बिना जुती हुई भूमि पर अधिकार तथा उसे बेचने के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

२१—वैभागिक और वैधानिक कर्मचारियों पर अधिकार तथा नियन्त्रण ।

२२—संघ के विरुद्ध अपराध और उनके लिए दण्ड ।

२३—संघीय विषयों में क्षमा प्रदान ।

२४—आन्तरिक शासन तथा दण्ड के नियम कॉंग्रेस में अनिवार्य उपस्थिति । उपस्थित सदस्यों को भूलचूक के लिये दण्ड ।

२५—कोष पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में कानून प्रस्तावित करना ।

२६—न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए मत देना ।

२७—न्यायाधीशों के त्याग पत्र स्वीकार करना ।

२८—जंगलात, कृषि सम्बन्धी स्कूल स्थापित करना और अजायब-घर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ स्थापित करना । इनके द्वारा प्रदान की हुई उपाधियाँ नियमित मानी जाँयगीं ।

२९—अन्तरकालीन या स्थानापन्न प्रेसीडेंट चुनना ।

३०—प्रेसीडेंट का त्यागपत्र स्वीकार करना ।

३१—हिसाब की जाँच पड़ताल करना ।

३२—उपरोक्त अधिकारों के उचित उपयोग के लिये कानून बनाना ।

१ २५ १

जापान

जैनरो—यह एक विधान के अतिरिक्त बड़े राजनीतिज्ञों की परिषद है—इसमें वे व्यक्ति हैं जिन्होंने १८६८ ई० की नई व्यवस्था कायम की थी । यह परिषद सम्राट और प्रिवीकाउन्सिल के नीचे है—इसने देश की बहुत सेवा की है—परन्तु इनके विचार शासन विधान से मेल नहीं खाते । सम्राट पर इनका बहुत प्रभाव है । इसके कुल दो या तीन सदस्य जीवित^{१८} हैं और इसका शीघ्र ही अन्त हो जायगा ।

३८—इसका अन्तिम सदस्य कई वर्ष हुए स्वर्गवासी हो गया है इस प्रकार इस संस्था का अन्त हो गया था ।

हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव—निचला भवन । १९२० ई० का चुनाव कानून—पुरुष मतदाता २८,७०,००० अर्थात् प्रत्येक १००० निवासियों के पीछे १०२ मतदाता हैं जब कि पहले प्रति हजार के पीछे केवल २८ थे ।

४६४ सदस्य—३५ वर्ष की आयु—हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं । वयस्क पुरुष मताधिकार के विषय में विचार हो रहा है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत १३० लाख मतदाता होंगे ।

प्रेसीडेंट और वाइसप्रेसीडेंटों की नियुक्ति सम्राट उन तीन उम्मेदवारों में से करता है जिन्हें प्रत्येक भवन प्रतिपद के लिए प्रस्तावित करते हैं । भत्ता ५००० येन । वाइस प्रेसीडेंट को ३००० येन मिलते हैं । सदस्यों को २००० येन और मार्ग भत्ता किन्तु जो सदस्य सरकारी नौकरी में होते हैं उन्हें यह भत्ता नहीं मिलता ।

सम्राट हाउस द्वारा पास किये गए कानूनों को वीटो नहीं कर सकता, यद्यपि शासन विधान उसे यह अधिकार देता है । प्रिलों को सरकार या दोनो भवनों में से कोई प्रस्तावित कर सकते हैं । दोनो भवनों को बजट के अतिरिक्त अन्य विषयों में समान अधिकार प्राप्त हैं । बजट पहले हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव के सामने पेश किया जाता है ।

डाइट का अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है । अधिवेशन तीन महीने चलता है; राजाशा से अधिवेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है । सम्राट विशेष अधिवेशन बुला सकता है । बैठकों की कार्यवाही खुले आम होती है पर सरकार की मांग पर अथवा भवन के प्रस्ताव पर गुप्त बैठकें हो सकती हैं । भवन का कोई भी सदस्य भवन में दिये गये भाषण अथवा मत के लिए बाहर उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता ।

किन्तु जनता के सामने प्रकट किये गए विचारों के लिए वह कानून उत्तर दायी है । समस्त साधारण अपराधों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । किन्तु बड़े अपराधों में अथवा आन्तरिक अव्यवस्था या विदेश में गड़बड़ के मामलों में छूट नहीं है । भवन की अनुमति से अभियोग लगाया जा सकता है ।

: २६ :

सोवियत रूस

प्रान्तीय काँग्रेस या गूबरनिया में नगर सोवियतों के २००० के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं और देहाती ज़िला काँग्रेस में १०,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि होता है। अधिकतम संख्या ३०० है किन्तु प्रान्तीय काँग्रेस के तुरन्त पहले ही यदि काउन्टी काँग्रेस हो चुकी हो तो प्रान्तीय काँग्रेस के लिये चुनाव देहाती सोवियतों के स्थान पर काउन्टी काँग्रेस करती है।

काउन्टी या यूज़द काँग्रेस में ग्राम सोवियतों के प्रति १००० निवासियों के पीछे १ के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं। अधिकतम संख्या ३०० होती है।

देहाती या बोलस्त काँग्रेस में ग्राम सोवियतों के १० सोवियतों सदस्यों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होता है।

टिप्पणी : (I) काउन्टी काँग्रेस में उन नगर सोवियतों के प्रतिनिधि होते हैं जिनकी जनसंख्या १००० से कम है।

(II) जबकि ग्राम सोवियतें, जिनकी जनसंख्या १००० से कम होती है, आपस में मिलती हैं और काउन्टी काँग्रेस के लिए डैलोगेट चुनती हैं। वे ग्राम सोवियतें, जिनकी सदस्य संख्या १० से कम है देहाती या बोलस्त काँग्रेस को प्रतिनिधि भेजते हैं।

सोवियत काँग्रेसें या तो स्वयं एकज़ीक्यूटिव कमेटी बुलाती हैं अथवा ऐसी स्थानीय सोवियतों की माँग पर बुलाई जाती हैं जो जनता के कम से कम एक-तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आल रशियन काँग्रेस के नवें अधिवेशन के निश्चयानुसार समस्त काँग्रेस वर्ष में एक बार बुलाई जाती है—आवश्यकता के अनुसार विशेष अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं।

प्रेसीडियम—विशेष अधिवेशनों और नये चुनावों के लिए आज्ञा दे सकती है।

प्रत्येक काँग्रेस स्वयं अपनी एकजीक्यूटिव कमेटी चुनती है। प्रादेशिक और प्रान्तीय काँग्रेस की एकजीक्यूटिव कमेटियों की अधिकतम संख्या २५ हो सकती है; देहाती काँग्रेस में यह संख्या १० होती है और काउन्टी या यूजद काँग्रेस में सदस्यों की यह अधिकतम संख्या बीस तक हो सकती है।

एकजीक्यूटिव कमेटी उस काँग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है जो उसे चुनती है। अपनी सीमा में अपने शासन क्षेत्र के अन्दर काँग्रेस सर्वोच्च सत्ता होती है। बैठकों के अवकाश-काल में यह सत्ता एकजीक्यूटिव कमेटी के पास रहती है। ग्राम सोवियतों की भी अपनी एकजीक्यूटिव कमेटियाँ होती हैं। इनकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक पांच होती है।



ऊँचा भवन

: १ :

आयरलैण्ड

ऊँचा भवन : सीनद आयरेन

यह सदस्यों की नामावलियों से निर्मित किया जाता है (सदस्यों की न्यूनतम आयु २५ वर्ष) इन नामावलियों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के तिगुने नाम रहते हैं। इनमें दो-तिहाई डेल आयरेन द्वारा और एक-तिहाई सीनद आयरेन द्वारा नामज़द किए जाते हैं। इन नामावलियों से २५ वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु वाले मतदाता आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव कर लेते हैं।

अवधि : १२ वर्ष।

वे बिल जो सीनद आयरेन द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं डेल आयरेन द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं या (अ) परिवर्तित किये जा सकते हैं जब कि वे डेल आयरेन द्वारा प्रस्तावित समझे जाते हैं; (ब) अस्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे उसी अधिवेशन में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किन्तु डेल आयरेन अपनी इच्छा से उन पर पुनर्विचार कर सकती है।

जुलाई १९३३ से डेल आयरेन द्वारा प्रस्तावित किये जाने के लिये आवश्यक विश्राम काल को १८ महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।

राजस्व—आर्थिक बिल डेल आयरेन से अस्वीकृत होकर सीनद के पास सिफ़ारिश के लिए जाते हैं । हन्हें डेल आयरेन अस्वीकृत कर सकती है ।

कुछ अन्य बातें—कोई भी स्वीकृत बिल डेल आयरेन के $\frac{2}{3}$ बहुमत अथवा सीनद के साधारण बहुमत की लिखित मांग पर ६० दिन के लिये मंखुव किया जा सकता है । ६० दिन बीतने के पूर्व यदि सीनद आयरेन का $\frac{2}{3}$ बहुमत कहे या मतदाताओं का $\frac{2}{3}$ भाग मांग करे तो उसे जनमत संग्रह के लिये भेजा जा सकता है । आर्थिक बिलों पर यह बात लागू नहीं होती ।

दोनों भवन मिलाकर मातहत व्यवस्थापिका सभार्ये (धारा ४४) स्थापित कर सकते हैं और पेशेवर काउन्सिलों को कानूनी अधिकार प्रदान कर (४५ धारा) के स्थापित कर सकते हैं ।

: २ :

कैनेडा

सीनेट :

नामज़द होती है । अंतर्कालीन रिक्त स्थानों की पूर्ति गवर्नर-जनरल करता है ।

संख्या : ७२ सदस्य तीन विभागों में बँटी रहती है : (१) ओन्टोरिओ—२४ सदस्य; (२) क्यूबैक—२४ सदस्य; (३) तट के समीप वाले प्रांत—२४ । इसके अतिरिक्त १२ सदस्य नार्थ ब्रूंसविक के तथा अन्य १२ नोवा स्काटिया के होते हैं ।

कुल सदस्य संख्या—६६ ।

इसके अतिरिक्त ६ या तीन सदस्य समान रूप से नामज़द किये जा सकते हैं ।

सम्राट जीवन के लिये नामज़द कर सकता है । लगातार के दो अधिवेशनों में अनुपस्थित सीट को रिक्त कर देती हैं । दिवालियापन,

जन-श्रृण की अदायगी का न होना, तथा देशद्रोह—यह भी सीट को रिक्त घोषित किये जाने के लिये काफ़ी है।

उम्मेदवारों की योग्यताएँ

(क) आयु ३० वर्ष।

(ख) भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति (बंधक के अलावा भी) वास्तव में अथवा व्यक्तिगत रूप में ४००० पौण्ड हो।

(ग) जिस प्रांत से चुना जाय उसका निवासी हो। क्यूबेक में उसका निर्वाचन-क्षेत्र में निवास आवश्यक है।

कोरम : १५—

स्पीकर : गवर्नर-जनरल नियुक्त करता है।

समान मत होने पर प्रस्ताव अथवा बिल गिर जाता है।

: ३ :

दक्षिण अफ्रीका

सीनेट

(क) ८ सदस्यों को गवर्नर-जनरल १० वर्ष की अवधि के लिये नामज़द करता है।

(ख) ८ सदस्यों को प्रत्येक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा और असेम्बली में प्रांत के सदस्य मिलकर चुनते हैं।

(ख) में चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है।

योग्यताएँ

आयु तीस वर्ष। असेम्बली की सदस्यता के लिये प्रांतों द्वारा निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। संघ में ५ वर्ष से रहता हो।

योरपीय प्रजा होना चाहिए। यदि सीनेट के लिये चुना जाय तो कम से कम यूनियन में उसकी ५०० पौण्ड की कीमत की अचल सम्पत्ति होनी चाहिए।

सीनेट अपना प्रेसीडेंट चुनता है जो त्याग-पत्र दे सकता है । उसे प्रस्ताव (अविश्वास) द्वारा हटाया भी जा सकता है ।

कोरम : : ४० सदस्यों में १२ की उपस्थिति ।

प्रेसीडेंट का कास्टिंग मत होता है ।

आर्थिक बिलों को कर बढ़ाने के लिये परिवर्तित नहीं कर सकती ।

मतभेद:—

मतभेद होने पर, जिनमें आर्थिक बिलों पर मतभेद भी शामिल है; उसी अधिवेशन के समय में सम्मिलित बैठक बुलाई जाती है और उपस्थित महानुभावों का बहुमत अन्तिम निर्णय देता है ।

: ४ :

आस्ट्रेलिया

सीनेट :

राज्यों द्वारा सीधा चुनाव—प्रति राज्य के ६ प्रतिनिधि । किंतु विनस्लैण्ड यदि चाहे तो विभाग बना सकती है ।

वयस्क मताधिकार । प्रत्येक मतदाता केवल एक मत देता है । सीनेटर चुनने में चूकने से सीनेट का कार्य नहीं रुकता । इनमें आधे बारी-बारी से बदलते रहते हैं । अंतर्कालीन रिक्त स्थानों को व्यवस्थापिका सभा भरती है ।

यदि बैठक न हो रही हो तो एक्ज़ीक्यूटिव काउन्सिल की सहमति से गवर्नर नामज़द कर सकता है ।

यदि लगातार दो माह अनुपस्थित रहने पर स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है ।

कोरम : एक-तिहाई ।

प्रेसीडेंट का एक मत होता है पर कास्टिंग मत नहीं ।

यदि मत बराबर हो, तो प्रस्ताव गिरा समझा जाता है ।

अवधि : ६ वर्ष ।

राजस्व बिलों को परिवर्तित नहीं कर सकता किंतु उन्हें अस्वीकृत कर सकता है।

वेतन : १०००० पाँड वार्षिक।

परिवर्तन करने के संदेश भेज सकता है।

अन्य विषयों में सीनेट को हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव के समान ही अधिकार प्राप्त है।

मतभेद :

यदि हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव द्वारा स्वीकृत विषय में सीनेट परिवर्तन अथवा अस्वीकृति देती है और हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव परिवर्तन नहीं चाहता किंतु सीनेट फिर वैसे ही रख रखती है तो गवर्नर-जनरल दोनों को भंग कर देता है। यदि फिर भी हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव पास करे तथा सीनेट अस्वीकृत करे तो एक सम्मिलित बैठक बुलाई जाती है और उसमें पूर्ण बहुमत आवश्यक है।

: ५ :

फ्रान्स

सीनेट :

यह म्युनिस्पैलिटियों के डेलीगेटों के निर्वाचक मंडलों द्वारा निश्चित संख्या में पूर्ण बहुमत द्वारा चुने जाते हैं। अथवा लगातार दो बार मतदान से चुने जाते हैं। एक या अधिक वैकल्पिक (alfernete) डेलीगेट भी चुने जाते हैं। डेलीगेटों को मार्ग-भत्ता मिलता है।

सदस्यों की योग्यता : ४० वर्ष की आयु। (प्राचीन शासक परिवार सदस्य नहीं हो सकते)। सैन्य सेवा में केवल मारशल और एडमिरल ही सीनेट के सदस्य बन सकते हैं। बिना पूर्ण बहुमत के पाये अथवा रजिस्टर्ड मतदाताओं के एक-चौथाई से कम मत पाये कोई नहीं चुना जा सकता। यदि तीसरे चुनाव की आवश्यकता पड़ जाय, तो साधारण बहुमत से ही निर्णय हो जाता है।

औसत आयु : ६३-६५

अवधि — ६ वर्ष (१ प्रति तीन वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं) ।

सदस्य संख्या : ३१४ ।

भत्ता — २७०० फ्राक या ५०० डालर भत्ता दिया जाता है ।

अधिकार : (१) राजस्व के अतिरिक्त अन्य विषयों में कानूनों को प्रस्तावित करने तथा उन पर स्वीकृति देने में इसके अधिकार समान हैं । (२) यह चैम्बर आफ डिपुटीज़ का विरोध करने के लिये कानूनों को कमेटियों के सुपुर्द कर देता है और वे वही पड़े रहते हैं । केवल चैम्बर आफ डिपुटीज़ के जोर देने पर उन पर फिर विचार होता है । (३) सीनेट को यह अधिकार है कि बजट के मदों में कमी कर दे या किसी मद को रह कर दे किंतु यदि चैम्बर आफ डिपुटीज़ सहमति न दे तो यह उसी की बात मान लेता है । (४) बिना दोनों भवनों की अनुमति के युद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती । (५) सीनेट कानूनी ढंग पर केवल अकेले तभी बैठक कर सकती है जब इस न्यायालय की तरह कार्य करना हो । (६) प्रेसीडेंट द्वारा चैम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग करने में सीनेट की अनुमति आवश्यक है ।

एक सीनेट का सदस्य राज्य का काउन्सिलर नहीं हो सकता और न वह प्रीफेक्ट आफ पुलिस के अतिरिक्त अन्य कोई प्रीफेक्ट ही हो सकता है ।

सब मिलाकर सीनेट एक शक्तिशाली संस्था है । चैम्बर आफ डिपुटीज़ से सदस्य सीनेट भवन में जाते हैं और फिर प्रेसीडेंट पद पर । (४ इस प्रकार के उदाहरण हैं) ।

सीनेट एक न्यायालय भी है । यह प्रेसीडेंट अथवा मंत्रियों के विरुद्ध अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर विचार तथा निर्णय करता है ।

भंग :—यद्यपि प्रेसीडेंट सीनेट की अनुमति से चैम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग कर सकता है किंतु भंग करने की आज्ञा पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक होंगे । इस कारण ५० वर्ष की अवधि में केवल एक बार चैम्बर आफ डिपुटीज़ ४ वर्ष के पूर्व भंग किया गया है ।

: ६ :

न्यूज़ीलैण्ड

काउन्सिल :

सरकार द्वारा नामज़द । अब सदस्य चुने जाते हैं ।

संख्या . (३४+१२—कोई सीमा नहीं) अब ४० सदस्य हैं ।

४ श्रमिक प्रतिनिधि,

३ मारिश प्रतिनिधि नामज़द होते हैं ।

अवधि : ७ वर्ष ।

(१६६०—जीवन से)

वेतन : २०० पौण्ड वार्षिक ।

परिवर्तन . राजस्व के अतिरिक्त अन्य बिलों को अस्वी कृत कर सकती है ।

राजस्व : राजस्व सबधी कोई शक्ति नहीं ।

गति अवरोध :

दोनों की सम्मिलित बैठक होती है और वोट लिए जाते हैं । यदि बिना स्वीकृत न हो तो दोनों भवनों को मंग कर चुनाव होते हैं ।

: ७ :

जर्मनी

रीखस्ट्राट : ऊँचा भवन

प्रत्येक राज्य प्रति दस लाख की जन संख्या के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुपात से सदस्य भेजते हैं । प्रत्येक राज्य का कम से कम एक सदस्य होता है । यदि अतिरिक्त जन संख्या सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य से अधिक हो तो उसे १० लाख मानकर एक प्रतिनिधि उस संख्या के लिये दिया जाता है । कोई राज्य अधिक से अधिक पूरी समस्त संख्याके २/५ सदस्य भेज सकता है ।

रीखस्ट्राट की बैठक उसके सदस्यों के रिक्त तिहाई सदस्यों की मांग पर बुलाई जाती है। इसकी कमेटियों का सभापतित्व कोई सरकारी सदस्य करता है।

मन्त्रियों का यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि वे रीखस्ट्राट में भाषण दें।

वादविवाद के समय कभी भी रीख के सदस्यों को उनके विचार सुनने का अधिकार है।

प्रशिया की जनसंख्या यद्यपि जर्मन जनसंख्या का $\frac{1}{2}$ है किन्तु रीखस्ट्राट में उसे केवल $\frac{1}{2}$ प्रतिनिधित्व प्राप्त है (सदस्य संख्या २६) इस प्रकार इसके अधिकार काफी कम कर दिये गये हैं। कमेटियों में जिसमें उसी के सदस्य रहते हैं, किसी राज्य को एक से अधिक मत नहीं दिया जाता।

गति अवरोध :

रीखस्ट्राट किसी भी कानून का विरोध कर सकती है। ऐसी हालत में सरकार उन्हें रीखस्ट्राट के सामने प्रस्तुत करती है। यदि वह भी असहमत हो तो प्रेसीडेंट जनता से निर्णय की अपील कर सकता है। यदि प्रेसीडेंट ऐसा न करे तो कानून लागू नहीं होता। यदि रीखस्ट्राट का निर्णय रीखस्ट्राट के विरुद्ध दो-तिहाई के बहुमत से हो तो प्रेसीडेंट या तो कानून को लागू कर देता है अथवा जनता से निर्णय करने की अपील कर सकता है किन्तु रीखस्ट्राट का निर्णय तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि बहुमत ने मत देने में भाग न लिया हो।

भंग करना :

जर्मन प्रेसीडेंट चांसलर के परामर्श पर रीखस्ट्राट को भंग कर सकता है किन्तु वह ऐसा केवल एक बार ही कर सकता है। वह रीखस्ट्राट को स्थगित नहीं कर सकता और न उसके अधिवेशन को बन्द कर सकता है, केवल भंग कर सकता है। इंग्लैण्ड में कैबिनेट के परामर्श पर सम्राट पार्लियामेंट को स्थगित कर सकता है। सम्राट उसे भंग अथवा विसर्जित भी कर सकता है।

: ८ :

स्विटज़र लैण्ड

ऊँचा भवन : काउन्सिल आफ स्टेट

प्रत्येक कैंटन से दो सदस्य और अर्ध कैंटन से एक सदस्य चुना जाता है।

सदस्यों में ८० प्रतिशत यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त होते हैं। चुनाव का ढंग, सदस्यों का वेतन तथा कार्यकाल का निर्णय कैंटनों पर निर्भर है।

कार्य काल एक वर्ष से चार वर्ष तक है।

चार कैंटन सदस्यों को व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा चुनते हैं और शेष जनता के सीधे मतदान द्वारा।

इसकी सत्ता कम है किन्तु यह कानूनों पर अधिक उदारता से विचार करती है।

इसके अधिकार नेशनल काउन्सिल या निचले भवन के समान हैं।

फ़ेडरल काउन्सिल व्यवस्थापिका सभा के विशेष अधिवेशन बुला सकती है किन्तु किसी भवन को न तो भंग कर सकती है और न अधिवेशन ही बन्द कर सकती है।

निचला भवन : चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने हुए होते हैं।

लगातार कोई चेयरमैन नहीं हो सकता।

यदि मत बराबर हो तो उसका कार्टिंग मत होता है।

: ९ :

सोवियत रूस

एकजीक्यूटिव कमैटी उन सोवियतों के प्रति जो उन्हें चुनती है उत्तरदायी होती है। एकजीक्यूटिव कमैटी या तो सोवियतों के बैठक स्वयं बुलाती है या आधे सदस्यों की मांग पर बुला सकती है। यह बैठकें नगरों में सप्ताह में एक बार और देहातों में सप्ताह में दो बार होती हैं।

योग्यताएँ : (क) प्रत्येक नागरिक को जिनकी आयु १८ वर्ष हो चुकी, है चुनाव के अधिकार प्राप्त हैं।

(ख) निवास स्थान के सम्बन्ध में योग्यता आवश्यक नहीं किन्तु अधिकतर उमी स्थान के निवासी होते हैं।

(ग) उत्पादक कार्य से जीवन उपार्जन करता हो।

(घ) घरेलु कार्य में लगा हो, किसानों को खेती, उद्योग, व्यापार में सहायता करता हो (किसान और मजदूर कजाक) (ङ) जल या स्थल सेना का सिपाही हो।

(च) नागरिक हो पर कार्य करने में असमर्थ हो।

(छ) इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति जिन्हे टी अध्याय भाग २ पैराग्राफ २० में निर्देशित किया गया है। इसका सम्बन्ध विदेशी श्रमिकों से है।

टिप्पणी :—स्थानीय सोवियत केन्द्रीय सत्ता की स्वीकृति से आयु कम स्थिर कर सकते हैं।

अयोग्यताएँ (धारा ६५) : (क) जो लाभ के लिए दूसरों से सेवा लेते हैं।

(ख) जो पूँजी या उद्योगों से व्याज की आमदनी पर जीवन निर्वाह करते हैं।

(ग) व्यक्तिगत व्यापारी एजेंट और मध्यस्थ।

(घ) पादरी या सन्त।

(ङ) पिछली गुप्त पुलिस या विशेष पुलिस के दस्ते का एजेंट या स्वामी।

(च) शासक जाति का सदस्य।

(छ) वे जिन्हे किसी बुरे अपराध में दण्ड मिल चुका है।

प्रादेशिक या ओब्लास्ट कांग्रेस : इसमें नगर सोवियतों के ५००० मत दाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और यूजद के २५००० निवासियों के पीछे एक डिप्टी होता है। अधिकतम संख्या ५०० हो सकती है।

इन कांग्रेसों की उतनी बैठकें नहीं हुई जितनी का विधान में निर्देश है क्योंकि प्रबन्धक सत्ता स्वयं हाथ में रखना चाहते थे।

ओब्लास्ट : गूबरनिया : यूजद : वोलेस्ट कांग्रेस।

वजट : राजस्व नीति सोवियत के धन अपहरण के आधारभूत

सिद्धान्तों की सहायक है --समस्त साधन आल रशियन कांग्रेस अथवा आल रशियन सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी को सौंप दिये गए हैं। आल रशियन सैन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी करों को निर्धारित करती है। आमदनी के जरियों के विषय में निर्णय करती है और राज्यों तथा स्थानीय सोवियतों में आय का वितरण करती है। सोवियतों केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लगा सकती है। आम आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोष से की जाती है।

: १० :

स्लावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य

काउन्सिल आफ स्टेट

काउन्सिल आफ स्टेट एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। इसके आधे न्यायाधीश राजा द्वारा नेशनल असेम्बली द्वारा नामजद सदस्यों में से चुने जाते हैं और शेष आधे नेशनल असेम्बली द्वारा राजा के नामजद सदस्यों में से चुने जाते हैं।

: ११ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

ऊँचा भवन : सीनेट

प्रत्येक राज्य से हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की भांति दो सीनेटर चुने जाते हैं। कार्य काल ६ वर्ष। एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं। अन्तरकालीन रिक्त स्थानों की पूर्ति अस्थाई रूप से राज्य की व्यवस्थापिका सभा द्वारा की जाती है।

उम्मीदवारों की योग्यताएँ

आयु तीस वर्ष—कम से कम नौ वर्ष की नागरिकता—और निवास सम्बन्धी योग्यता।

वाइस प्रेसीडेन्ट सीनेट का सभापतित्व करता है और दोनों पक्षों के समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देता है। जब वाइस प्रेसीडेन्ट प्रेसीडेन्ट का पद संभालता है तो सीनेट स्वयं अपना प्रेसीडेन्ट चुन लेती है। वह अपने अन्य अफसरों का भी चुनाव करती है।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव राज्य की व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के दोनों भवनों का अधिवेशन पहली दिसम्बर को प्रारम्भ होता है। प्रत्येक भवन अनुशासन सम्बन्धी नियम बनाता है और दो-तिहाई बहुमत की सहमति से किसी सदस्य को निकाल सकता है। प्रत्येक भवन में कौरम के लिये सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन कम संख्या होने पर बैठक अगले दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है।

कोई भी भवन कांग्रेस के अधिवेशन काल में बैठकों को तीन दिन से अधिक स्थगित नहीं कर सकती। कभी कभी बैठकें गुप्त होती हैं।

सुविधाएं और भत्ते :—कोई भी सीनेट का सदस्य इसी नये गैर सैनिक आफिस पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और न किसी ऐसे ही पद ही पर नियुक्त किया जा सकता है जिसका वेतन बढ़ाया गया है। कोई अफसर सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। सीनेट आय सम्बन्धी बिलों में सशोधन प्रस्तावित कर सकती है अथवा उनसे सहमति प्रकट कर सकती है।

सदस्यों को वेतन मिलता है।

इस पद को प्राप्त करने के लिए लोगों की बहुत इच्छा रहती है क्योंकि अवधि में स्थायित्व है और इसे नियुक्ति तथा संघ सम्बन्धी शासन-मत्ता प्राप्त है।

न्याय सम्बन्धी अधिकार :—सीनेट को हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव अभियोगों पर विचार करने का अधिकार है। विचार करते समय सदस्यों को शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। जब प्रेसीडेन्ट पर अभियोग लगाया जाता है उम समय चीफ जस्टिस सभापतित्व करता है। दण्ड उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत की राय से दिया जाता है।

: १२ :

जैकोस्लोवाकिया

ऊँचा भवन : सीनेट ।

मताधिकार : आम प्रत्यक्ष, समान मताधिकार । आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

वयस्क मताधिकार=२६ वर्ष की आयु ।

सदस्यों की आयु=४५ वर्ष ।

सदस्य-संख्या=१५० ।

अवधि = ८ वर्ष ।

कानूनों को दोनों ही भवनों में प्रस्तावित किया जा सकता है ।
कानूनों पर दोनों ही भवनों की स्वीकृति आवश्यक है ।

यदि चेम्बर आफ डिपुटीज़ प्रस्तावित करे तो सीनेट को

१—एक सप्ताह में पुष्टि कर देना चाहिए ।

२—आर्थिक बिलों की एक माह में पुष्टि कर देनी चाहिए ।

यदि सीनेट द्वारा प्रस्तावित हों :

तो चेम्बर आफ डिपुटीज़ को उनकी पुष्टि ३ माह में कर देनी चाहिए ।

टिप्पणी:—किन्तु यदि इसी बीच में किसी की अवधि समाप्त हो जाय तब शेष समय नई बैठक में गिना जाता है ।

(i) यदि चेम्बर आफ डिपुटीज़ द्वारा प्रस्तावित हो, और सीनेट उसे अस्वीकृत कर दे तो चेम्बर आफ डिपुटीज़ के द्वारा पूर्ण बहुमत से दुबारा पुष्टि किये जाने पर बिल पास हो जाता है । (ii) किन्तु यदि सीनेट तीन-चौथाई के बहुमत से अस्वीकृत कर दे, तो चेम्बर आफ डिपुटीज़ के ३/५ बहुमत की बिल को पास करने के लिये आवश्यकता होती है । (iii) यदि सीनेट प्रस्तावित करे और चेम्बर आफ डिपुटीज़ अस्वीकृत कर दे तो सीनेट द्वारा पुष्टि कर उसे फिर विचारार्थ भेज सकती है; और यदि चेम्बर फिर भी अस्वीकृत कर दे, तो बिल को एकदम त्याग दिया जाता है । इस प्रकार अस्वीकृत बिल दुबारा १ वर्ष

के भीतर प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किसी भवन द्वारा संशोधन का अर्थ एक प्रकार से अस्वीकृति होता है।

कार्पेथियन रूथीनिया को शिक्षा, भाषा, स्थानीय सरकार के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त है और उसे राष्ट्र-संघ को अपील करने का अधिकार है।

: १३ :

पोलिश प्रजातंत्र

ऊँचा भवन : सीनेट।

चुनी हुई सभा।

अधिकार :—

सीनेट में संशोधन ३० दिन के अंद प्रस्तावित किये जा सते हैं। वे डाइट द्वारा पास किये जा सकते हैं या ११/२२ के बहुमत से अस्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी हालत में वे अस्वीकृत समझे जाते हैं।

४ प्रांत : प्रत्येक प्रांत से एक-चौथाई सदस्य लिये जाते हैं।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

सीनेट के सदस्यों की संख्या=डाइट की संख्या की एक-चौथाई।

मतदाता=आयु ३० वर्ष।

सदस्य=आयु ४० वर्ष।

डाइट स्वयं अपने को दो-तिहाई के बहुमत से अथवा प्रेसीडेंट उसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के ३/५ के बहुमत की सहमति से भंग कर सकता है। ऐसी बैठकों का कोरम सदस्य संख्या का आधा होता है। सीनेट भी साथ में भंग कर दी जाती है।

: १४ :

स्वीडन

ऊँचा भवन : सीनेट ।

संख्या : १५० सदस्य । अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ।

सदस्य के पास चुने जाने के तीन वर्ष पूर्व से इतनी वास्तविक सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका कर लगने का मूल्य ५०,००० क्रोन (२, ७७७ पौण्ड) हो या वार्षिक आय ३००० क्रोन (१६६ पौण्ड) हो ।

अवधि . ८ वर्ष । प्रति वर्ष $\frac{1}{8}$ सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं । ये सदस्य काउन्टी काउंसिलों और ६ नगरों के मतदात्रों द्वारा चुने जाते हैं जो ८ समूहों में विभाजित हैं । प्रति वर्ष इनमें से एक समूह में चुनाव होते हैं ।

सन् १९२१ ई० के बाद से स्वयं अपना स्पीकर चुनती है ।

दोनों भवनों को समान अधिकार प्राप्त हैं ।

जब दोनों चेम्बर अलग अलग मत देते हैं तो दोनों चेम्बर में अलग अलग मत-गणना कर निर्णय जाना जाता है । दोनों का बहुमत किसी विषय का निर्णय करता है ।

: १५ :

नार्वे

ऊँचा भवन : लैगटिंग

लैगटिंग का निर्माण स्टोरिंग के एक-चौथाई सदस्य चुने जाकर होता है । शेष तीन-चौथाई प्रथम भवन, जो 'अडेलस्टिंग' कहलाता है, के सदस्य होते हैं ।

लगटिंग तथा सुप्रीम कोर्ट, अथवा दोनों के तीस सदस्य मिलाकर दोनों के प्रेसीडेन्टों सहित रीखस्ट्राट का निर्माण करते हैं। रीखस्ट्राट काउन्सिल आफ स्टेट के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों पर विचार करती है। अथवा स्टोर्थिंग का सुप्रीम कोर्ट अडेलस्टिंग के अभियोग पर विचार करता है। लैगस्टिंग का प्रेसीडेन्ट सभापतित्व करता है। अभियुक्त एक तिहाई तक को चुनौती दे सकता है किन्तु न्यायालय की सदस्य संख्या न्यूनतम पंद्रह होती है।

यदि दो बार उपस्थित किये जाने पर लैगटिंग दोनों बार अस्वीकृत कर दे तो स्टोर्थिंग द्वारा दो-तिहाई के बहुमत से उस विषय का निपटारा हो जाता है। इनमें से प्रत्येक विचार-विनिमय में कम से कम ३ दिन का अन्तर दिया जाना चाहिए। पास होने पर राजा तो स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा उसे वापिस भेज देगा। इस हालत में उसे राजा के सम्मुख दुबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

यदि बिल बिना परिवर्तन लगातार तीन स्टोर्थिंग (चुनाव) से पास हो जाता है, जो एक दूसरे से दो लगातार होने वाले अधिवेशनो से दूर होते हैं और फिर राजा के सम्मुख राज्य के लिये लाभदायक बताया जाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह स्वीकार कर लिया जाता है।

: १६ :

आस्ट्रिया

ऊँचा भवन : फ़ैडरल काउन्सिल

बियाना तथा लोअर आस्ट्रिया को १२ सीटें दी गई हैं और अन्य प्रांत अपने नागरिकों की संख्या के अनुपात से सदस्य भेजते हैं। न्यूनतम संख्या तीन है। प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्थानापन्न भी नियुक्त किया जाता है। कम से कम एक सीट उस पार्टी को दी जाती है जिसके दूसरे नम्बर सब से ऊँचे मत पड़े हैं। प्रांतीय डाइटों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। चुनाव ऐसे व्यक्तियों में से होता है जो प्रांतीय डाइट के सदस्य नहीं हैं।

सभापतित्व बारी बारी से प्रांतों के पास छह माह के लिये वर्गमाला के अनुसार नाम पर रहता है। यह पद प्रांत के उस व्यक्ति को मिलता जिससे अधिकतम मत मिले हैं।

कोरम के नियम नेशनल काउन्सिल के समान है।

यह नेशनल काउन्सिल के पास कानूनों में संशोधन आठ सप्ताह में फेडरल चांसलर द्वारा भेज सकती है। किंतु नेशनल काउन्सिल द्वारा दुबारा पुष्टि (यदि आठ सप्ताह की अवधि में फेडरल काउन्सिल फिर संशोधन न करे) कानूनों को प्रामाणिक कर देता है और कानून जारी कर दिये जाते हैं।

फेडरल कौंसिल नेशनल काउंसिल के कार्यवाही के नियमों को संशोधित नहीं कर सकती। न वह नेशनल काउन्सिल को भंग कर सकती है और न संघ के अनुमानों को स्वीकार कर सकती है। वह संघ के ऋणों और संघ की सम्पत्ति का शासन भी नहीं कर सकती। उनमें वह परिवर्तन भी नहीं कर सकती।

फेडरल काउन्सिल संघ के अनुमानों अथवा ऋणों के माथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

: १७ :

इंग्लैण्ड

ऊँचा भवन : हाउस आफ लार्ड

(i) इसमें ब्रिटिश पीयर (peers) होते हैं। (ii) १६ स्कॉटिश पीयर होते हैं। (iii) जीवन भर के लिये चुने हुए २८ आइरिश पीयर होते हैं। (iv) योर्क तथा कैटरबरी के आर्क बिशप, तथा २४ सोट अन्य बिशपों के लिये होती हैं जिनमें लन्दन विन्चेंस्टर, डरहम के पादरी अवश्य रहते हैं। (v) और ६ कानूनी लार्ड।

स्त्री-पीयरों को लार्ड-भवन में बैठने का नियम नहीं।

पीयर—पद को त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन जब प्रथम बार पद प्रदान किया जा रहा हो, उसी समय उसे अस्वीकृत किया जा सकता है। पार्लियामेंट के कानून द्वारा अथवा विशेष कार्यों से ज़प्त हो सकता है।

एक पीयर यह मॉग कर सकता है कि देशद्रोह अथवा घोर अपराध के अभियोग में पीयर ही उसका विचार करें।

लार्ड—भवन पर लार्ड चांसलर सभापतित्व करता है किन्तु उसे अनुशासन के कोई अधिकार प्राप्त नहीं। यदि दो व्यक्ति बोलना चाहे तो उसे यह भी निश्चय करने का अधिकार नहीं कि कौन बोलेगा।

भवन स्वयं निर्णय करता है। वह भवन को स्थगित भी नहीं कर सकता।

कोरम : ३। बुधवार तथा वृहस्पतिवार को बैठकें होती हैं। कभी कभी सोमवार तथा शुक्रवार को भी होती है।

कानून पास करने के लिए ३० सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

तीन अधिकार—(i) कोई भी सदस्य कागजात की मॉगकर वाद-विवाद प्रारम्भ कर सकता है। (ii) विशेष न्याय अधिकार। (iii) सदस्यों के लिए न्यायालय। अपील कोर्ट है और हाऊस आफ कामन्स द्वारा लगाये गये अभियोगों पर विचार तथा निर्णय करता है।

हाउस आफ लार्ड एक न्यायालय है जिसके सदस्य ६ कानूनी लार्ड, लार्ड चांसलर तथा वे अन्य व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी कोई ऊँचा कानूनी पद भार सम्हाला हो।

पीयर के अभियोग पर सम्पूर्ण भवन विचार करता है। यदि उसका अधिवेशन हो रहा हो कानून तथा तथ्यों, दोनों बारे में नहीं तो भवन केवल तथ्यों पर विचार करता है और लार्ड चांसलर कानून के सम्बन्ध में निर्णय करता है।

गति अवरोधः—समस्त साधारण बिल जो हाऊस आफ कामन्स में ३ लगातार अधिवेशनों में, जिनके बीच का अंतर प्रथम तथा अंतिम विचार में २ वर्ष हो, पास किये गये हैं स्वतः ही पास होगये समझे जाते हैं।

भंग :—यह ५ लार्डों के एक कमीशन द्वारा किया जाता है जिनमें लार्ड चांसलर भी एक होता है।

वे राजा का भाषण, भंग करते हुए, पढ़ते हैं।

: १८ :

डैनमार्क

ऊँचा भवन : लैण्ड स्टिंग:—

लैण्डस्टिंग—७६ सदस्य होते हैं—इनमें से ५६ बड़े निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचक मण्डलों द्वारा चुने जाते हैं—और १६ सदस्य लैण्ड स्टिंग से अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। ५६ सदस्यों में से आधे का हर चौथे साल नया निर्वाचन होता है। १६ सीटों का भी हर चौथे साल चुनाव होता है।

प्रत्येक आठवें वर्ष हटा दिये जाते हैं।

उम्मेदवारों की योग्यताएँ :—

फाकेटिंग के प्रत्येक मतदाता की आयु ३५ वर्ष होनी चाहिये। उसे निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिये लेकिन लैण्ड स्टिंग द्वारा चुने गये १६ सदस्यों के सम्बन्ध में निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं।

वेतन बही है जो फाकेटिंग के सदस्यों को मिलता है। प्रत्येक भवन अपने चेयरमैन का स्वयं चुनाव करता है।

कोई भी भवन कानूनों को प्रस्तावित कर सकता है।

जब फाकेटिंग बिल को पास कर देता है तो वह लैण्ड स्टिंग के पास अधिवेशन के समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर भेज दिया जाता है।

वहाँ यदि वह पास न हो अथवा दोनों भवन किसी समझौते पर न पहुँचें तो एक जोइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी नियुक्त की जाती है जो इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देती है और अपने सुझाव उपस्थित करती है।

तत् पश्चात् प्रत्येक भवन अपना निर्णय करता है।

और जब फाकेटिंग आम चुनाव द्वारा नये सिरे से बन जाता है तो वह अपने साधारण अधिवेशन में बिल को फिर एक बार स्वीकार कर

लैण्डस्टिंग के पास भेज देता है। यदि फिर भी कोई समझौता न हो सके तो राजा लैण्डस्टिंग को भंग कर देता है। इस अवस्था के अतिरिक्त लैण्डस्टिंग केवल तभी और भंग होती है जब शासन विधान में संशोधन किया जा रहा हो।

राजा फाकेटिंग को भंग कर सकता है।

टिप्पणी :—

सन् १९३८ ई० में एक बिल डेन्मार्क की व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तावित किया गया था जो बहुत-बड़े बहुमत से स्वीकृत हो गया था। इसमें शासन विधान में दो बड़े परिवर्तन प्रस्तावित किये गये थे। प्रथम यह कि ऊँचा भवन उठा दिया जाय; दूसरा यह कि मतदाताओं की आयु घटा कर २३ वर्ष कर दी जाय; नये शासन विधान में जनमत गणना (Referendum) के अधिक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। सन् १९१५ ई० के शासन विधान के अनुसार यह नये प्रस्ताव जनता की राय जानने के लिये सौंपे गये किन्तु प्रस्तावों के पक्ष में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं के ४५ प्रतिशत के बहुमत से मत नहीं आये जो कि आवश्यक था। अतएव यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हुए।

: १६ :

बेल्जियम

ऊँचा भवन - सीनेट।

प्रत्येक प्रांत से उसकी जनसंख्या के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं। (१) आधे हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव के सदस्य (२) प्रांतीय काउन्सिलरों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा २००,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुपात से चुन जाते हैं। प्रत्येक १,२५००० निवासियों के भाग के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य होता है। (३) सीनेट आधी संख्या को मिला सकती (co-opt) है। (४) आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। (५) राजपुत्र, बेल्जियम के राजकुमार, यदि

१८ वर्ष की आयु के हों, किंतु विचार-विनिमय में वे उस समय तक भाग नहीं लेते जब तक उनकी आयु २५ वर्ष की न हो ।

योग्यतायें (i) वे वेल्जियम के नागरिक जिन्हें नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं । (ii) मंत्रियों, यूनीवर्सिटी के ग्रेजुएटों, प्रांतीय गवर्नरों, पुराने सैन्य अफसरों, प्रोफेसरों, व्यापारिक कम्पनियों के मैनेजर और वे मजदूर काउन्सिलों के प्रतिनिधि जो २ वर्ष तक पदाधिकारी रह चुके हैं, सदस्यता के लिये खड़े हो सकते हैं । हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव तथा सीनेट के पुराने सदस्य भी खड़े हो सकते हैं ।

व्यापारिक न्यायालयों के स्थायी सदस्य और रायल एकेडेमी के पुराने सदस्य और प्रांतों के पुराने गवर्नर भी सदस्य हो सकते हैं । मंत्री तथा डेलीगेशनों के पुराने सदस्य भी चुने जा सकते हैं । एरोन्डा-इसमैंट के पुराने कमिश्नर भी खड़े हो सकते हैं । प्रांतीय काउन्सिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य जो कम से कम दो बार काउन्सिलर रह चुके हों, बिन्गो मास्टर (Bingo masters) पुराने एल्डर मैन, (aldermen) और प्रधान नगरों के एल्डरमैन भी चुने जा सकते हैं । वेल्जियम काङ्गो के पुराने गवर्नर-जनरल तथा वाइस-गवर्नर जनरल, उपनिवेशिक काउन्सिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य भी सीनेट के सदस्य हो सकते हैं । डायरेक्टर-जनरल और पुराने इन्स्पेक्टर जनरल ऐसी वास्तविक ज़ायदाद, जिसका जांचा गया मूल्य १२,००० फ्रॉक है और जिस पर ३००० फ्रॉक की कीमत का कर लगता है, के मंत्री, स्वामी अथवा उपयोग करनेवाले भी सदस्यता के लिये खड़े हो सकते हैं । ऐसी बैंक के जनरल मैनेजर जिनकी पूँजी १० लाख फ्रॉक है । औद्योगिक संस्थाओं के प्रमुख जिनमें १०० व्यक्ति काम करते हैं और ऐसे कृषि-फार्मों के प्रमुख जिनमें ५० व्यक्ति काम करते हैं । ऐसे कृषि तथा उद्योग संबंधी समुदायों के चैयरमैन तथा सैक्रेटरी जिनकी सदस्य संख्या ५०० या अधिक है । ऐसे चेम्बर आफ कामर्स के प्रेसिडेंट जिनकी सदस्य संख्या ३०० है । ऐसे मंत्रियों के विभागों की परामर्श परिषदों के सदस्य जो चुने हुए हैं और नये परिषदों के सदस्य

जिनको व्यवस्थापिका सभा के दो-तिहाई के बहुमत से स्थापित किया गया है ।

सीनेट के सदस्य उसी समय की असेम्बली तथा आगे दो वर्ष तक असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते । कोई वेतन नहीं होता, किन्तु ४०० फ्रांक क्षति-पूर्ति के दिये जाते हैं , और साथ में मार्ग-भत्ता भी मिलता है ।

प्रत्यक्ष चुनाव । उम्मेदवारों के लिये सम्पति संबंधी योग्यता नहीं है ।

अवधि: ४ वर्ष । पूर्ण रूप से बदली जाती है ।

यदि सीनेट को भंग किया गया है, त राजा प्रांतीय काउंसिलों को भी भंग कर सकता है । बैठ उसी समय हो सकती हैं जब हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव की बैठकें हो रही हों ।

: २० :

इटली

ऊँचा भवन—

इसे हाउस आफ लार्ड तथा कैनाडा की सीनेट को सम्मिश्रण समझिये । इसके कुछ सदस्य (राजकुमार) वंशागत (hereditary) होते हैं । अन्य सदस्य, जो संख्या में २१ होते हैं, इन चार समुदायों में से चुने जाते हैं :—

१—विशेष अथवा उच्च चर्च-पदाधिकारी ।

२—सरकार से सम्बंधित व्यक्ति—जल और स्थल सेना से संबंधित ।

३—जिन्होंने विज्ञान अथवा साहित्य में ख्याति प्राप्त की हो ।

४—वे व्यक्ति जो निर्धारित न्यूनतम कर देते हैं ।

सीनेट इस कारण पर किसी नियुक्ति को अस्वीकृत कर सकती है कि वह इन समुदायों के अंतर्गत नहीं आता ।

सदस्य संख्या—निर्धारित नहीं। वर्तमान संख्या ४०० है—विशेषों को सरकार के साथ संबंध बिगड़ जाने से स्थान नहीं मिला। यूनिवर्सिटियों तथा एकेडेमियों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिल गया है। वैज्ञानिकों तथा विद्वानों को कम स्थान मिले हैं।

अधिकतर वे सदस्य राजा द्वारा नामजद हैं, सीनेट उन्हें स्थान ग्रहण नहीं करने देती। मंत्रिमंडल सीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं, चैंम्बर आफ डिपुटीज़ के प्रति हैं। जब यह कुछ करना चाहता है, तभी दिक़्त पैदा हो जाती है।

: २१ :

जापान

ऊँचा भवन—हाउस आफ पीयर्स।

इसे निचले भवन पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। इसने वज़ट में उन मंदों को शामिल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है जिन्हें हाउस आफ रिप्रज़ेन्टेटिव उड़ा देता है। सम्राट प्रेसीडेण्ट की नियुक्ति करता है। वाइस प्रेसीडेंटों की भी वही, सदस्यों में से नियुक्ति ७ वर्ष की अवधि के लिये करता है।

प्रेसीडेंट—५००० येन पाता है।

वाइस प्रेसीडेण्ट ३००० येन पाता है।

सदस्य—२००० येन पाते हैं। (येन = $\frac{1}{2}$ डालर) मार्ग भत्ता अलग मिलता है।

इसमें १—सम्राट के परिवार के सदस्य होते हैं।

२—कुलीनता की उपाधि प्राप्त सदस्य होते हैं।

३—सम्राट द्वारा नामजद सदस्य होते हैं—राजकुमार और मार्किसेज़—आयु २५ वर्ष—वयस्क होने पर स्थान ग्रहण करते हैं। काउण्ट वाइकाउण्ट और बैरन जो उन्हीं के अपने समुदाय द्वारा चुने

जाते हैं—(आयु २५ वर्ष—समुदाय के १)। प्रत्येक शहर और प्रीफैक्चर में कर-दाताओं द्वारा एक सदस्य चुना जाता है। अन्तिम प्रकार के सदस्य संख्या में १५ होते हैं और उनकी आयु ३० वर्ष या अधिक होनी चाहिये। वे निर्धारित अधिकतम राष्ट्रीय प्रत्यक्ष करों को देने वालों द्वारा अपने समुदाय में से ही चुने जाते हैं।

४—सम्राट द्वारा विशेष सेवा अथवा विद्वत्ता के कारण नामजद—आयु ३५ वर्ष—इस प्रकार के सदस्य संख्या में दो से अधिक नहीं हो सकते।

सदस्य संख्या—३७४।

यह भवन प्रगतिशील कानूनों को रोकता रहा है।

हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव—३५ वर्ष की आयु से अधिक वाले सब पुरुष उम्मेदवारों के लिये खड़े हो सकते हैं। केवल कुलीन परिवारों के प्रमुख, जल अथवा स्थल सेना की सक्रिय सेवा में नियुक्त व्यक्ति, विद्यार्थी शिन्टों मतावलम्बी पादरी, मन्त्री, समस्त प्रकार के धर्मों के पादरी तथा शिक्षक, सरकारी अफसर, सरकारी ठेकेदार और वे पुरुष जो कानूनी रूप से अयोग्य हैं, सदस्यता के लिये खड़े नहीं हो सकते।

मताधिकारियों की योग्यता—आयु २५ वर्ष। उस विभाग में मतदाताओं की सूची बनने से कम से कम एक वर्ष पहले से उस विभाग में स्थायीरूप से निवास करते हों, और कम से कम १० येन प्रत्यक्ष राष्ट्रीय करों के रूप में देते हों।

मत गुप्त वैलेट (मतपत्र) द्वारा दिया जाता है। नाम लिखे जाते हैं।

: २२ :

मैक्सिको

हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव को निम्न लिखित अधिकार प्राप्त है :—

१—प्रेसीडेंट के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल की तरह बैठना।

२—कोष के नियन्त्रक के कर्तव्य पालन की देखभाल करना और उसके लिए अफसर नियुक्त करना ।

३—वजट की स्वीकृति प्रदान करना ।

४—पब्लिक अफसरों के विरुद्ध अभियोगों पर ध्यान देना, उन पर अभियोग लगाना और ग्रान्ड जूरी की तरह कार्य करना और उन समस्त अधिकारों का उपयोग करना जो उसे शासन-विधान द्वारा दिये गये हैं ।

उत्तरदायित्व —

१—हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य सीनेट की सदस्यों की भाँति ही समस्त साधारण अपराधों और पदाधिकारों के रूप में किये गये अपराधों के लिये उत्तरदायी है ।

२ - राज्यों के गवर्नर और राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य शासन विधान और फ़ैडरल कानूनों को भंग करने के अपराधों में उत्तरदायी होते हैं ।

३—प्रेसीडेंट राजद्रोह और घोर अपराधों के लिए उत्तरदायी होता है ।

ऊँचा भवन : सीनेट

इसमें प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि होते हैं और प्रत्येक फ़ैडरल जिले के दो प्रतिनिधि होते हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। उनके साथ स्थानापन्न भी चुने जाते हैं ।

अवधि : ४ वर्ष ।

योग्यता : हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव के समान ही है । आयु ३५ वर्ष । बिना सदस्यता खोये अन्य सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता ।

कोरम = दो—तिहाई ।

स्थानापन्न को शेष अधिवेशन में उपस्थित होने की सूचना दिये बिना यदि कोई दस दिन या अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थिति के दिनों का वेतन जब्त कर लिया जाता है ।

बजट—कांग्रेस पहली सितम्बर को साथ साथ बैठ कर हिसाब की जांच पड़ताल करती है। बजट पर विचार करती है और अन्य विषयों पर निर्णय करती है।

स्थगित करना—कोई भी भवन बिना दूसरे भवन की सम्मति के तीन दिन में अधिक के लिये अधिवेशन स्थगित नहीं कर सकता।

सीनेट के पृथक् अधिकार —

१—उन सन्धियों और समझौतों को स्वीकार करना जिन्हें प्रैसीडेंट ने अन्तिम रूप दिया है।

२—प्रैसीडेंट द्वारा नामजद राजदूतों तथा काउन्सलों की नियुक्ति की पुष्टि करना।

३—राष्ट्रीय सैना को बाहर जाने और विदेशी सैना को अन्दर आने की आज्ञा देना।

४—प्रैसीडेंट द्वारा नेशनलगार्ड को बाहर भेजने के सम्बन्ध में सहमति देना।

५—प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में अवसरों की घोषणा करना।

६—निर्धारित विषयों में ग्रान्ड जूरी की तरह बैठ कर कार्य करना।

७—राज्यों के आपस में राजनैतिक मत भेदों को सुलझाना।



प्रान्त और न्यायालय

: १ :

आयर लैण्ड

कुछ अन्य बातें—

कोई भी पास हुआ बिल, डेल आयरन के सदस्यों के $\frac{2}{3}$ के बहुमत, अथवा सीनेट के साधारण बहुमत की लिखित मांग पर ६० दिन के लिये मंजूर किया जा सकता है। किन्तु इस ६० दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सीनेट आयरन के $\frac{2}{3}$ के बहुमत की माँग पर या मतदाताओं के $\frac{3}{4}$ की माँग पर (आर्थिक बिलों के अतिरिक्त) उस बिल पर जनमत-गणना (Referendum) की आज्ञा दी जा सकती है।

दोनों भवन मिलकर ओयरेक्ट्स (Oireachtes) कहलाते हैं। यह अपने मातहत व्यवस्थापिका सभाओं और पेशेवर काउन्सिलों को कानूनी अधिकार देकर स्थापित कर सकता है।

न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट।

सर्वोच्च अपील का न्यायालय:—इसके निर्णय अन्तिम होते हैं, किन्तु प्रिवी काउन्सिल के लिये अपील की छूट दी जा सकती है। न्यायाधीशों को ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल नियुक्त करती है पर दिखाने को वे गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त कहे जाते हैं।

हाई कोर्ट्स किसी कानून की वैधानिकता के सम्बन्ध में जाँच कर सकती हैं।

: २ :

कैनेडा

संघ की इकाइयाँ आस्ट्रेलिया में 'राज्य' और कैनेडा तथा दक्षिणी अफ्रीका में 'प्रान्त' कहलाती हैं।

सरकार के प्रमुख की उपाधि—लैफ्टीनेन्ट गवर्नर—दक्षिणी अफ्रीका में उसे चीफ कमिश्नर कहते हैं। आस्ट्रेलिया में गवर्नर कहते हैं। उनका कार्य-काल गवर्नर-जनरल की इच्छा पर निर्भर है। वेतन केन्द्रीय सरकार निश्चित करती है।

कैबिनेट—ऑन्टेरियो तथा क्यूबेक की ऐक्जीक्यूटिव कमेटियाँ जैसा गवर्नर-जनरल उचित समझे बना सकता है।

सैक्रेटरी तथा रजिस्ट्रार—प्रान्तों का कोषाध्यक्ष—सरकारी भूमि का कमिश्नर—कृषिक तथा प्राइवेट निर्माण का कमिश्नर यदि उस समय निर्वाचित किया गया हो जब वह पद पर था तो पद-भार सम्हाले रह सकता है क्यूबेक में लेजिस्लेटिव काउन्सिल के स्वीकार तथा सोलिसिटर-जनरल के सम्बन्ध में भी यही नियम है। केवल नोवा स्काटिया और न्यू ब्रूइनस्विक में पुरानी तरह काम चल रहा है।

क्यूबेक—में एक लैफ्टीनेन्ट गवर्नर तथा व्यवस्थापिका सभा के दो भवन हैं।

काउन्सिल में लैफ्टीनेन्ट गवर्नर द्वारा नियुक्त २४ सदस्य होते हैं। योग्यता सीनेट के सदस्यों के समान ही है। कोरम १० है। स्पीकर मत देता है, किन्तु दोनों पक्षों में बराबर मत होने पर प्रस्ताव गिरा समझा जाता है।

लैजिस्लेटिव असेम्बली में ६५ सदस्य होते हैं। प्रत्येक गृह-स्वामी जिसकी आयु २१ वर्ष हो चुकी है, ऑन्टेरियो की लैजिस्लेटिव असेम्बली में मत दे सकता है। अवधि ४ वर्ष है।

केवल क्यूबेक में ऊँचा भवन है। क्यूबेक में स्त्रियों को मताधिकार और व्यवस्थापिका की सदस्यता नहीं दी जाती।

राज्यभक्ति की शपथ लेनी होती है। प्रान्तों में सीमित क्षेत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है। लैफ्टीनेन्ट गवर्नर तथा गवर्नर सम्राट के प्रतिनिधि होते हैं और सम्राट के विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। प्रान्तों के एजेन्ट-जनरलों का लन्दन के डामीनीयन आफिस से कोई सम्बन्ध नहीं होना।

सुप्रीम कोर्ट—कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। प्रेसीडेंट को एकरूपता बनाये रखने के लिये, सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखने तथा नागरिक अधिकारों, न्यायालयों की कार्य विधि, कृषि प्रवेश इत्यादि के सम्बन्ध में केवल उसी समय और सीमा तक कानून बनाने का अधिकार है जहाँ तक वे प्रान्तीय कानूनों के विरोधी न हो। औन्टेरियो नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रून्सविक में इनको लागू करने के पूर्व प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा कानून की स्वीकृति दे दी जानी चाहिए।

न्यायाधीशों को हाउस आफ कामन्स की प्रार्थना पर गवर्नर-जनरल पदच्युत कर सकता है।

राज्यों के न्यायालयों से प्रिवी काउन्सिल को अपील की जा सकती है अथवा पहिले सुप्रीम कोर्ट में जाने के पश्चात् उसकी छूट पर अपील प्रिवी काउन्सिल को जा सकती है।

कैनेडा ने सुझाव दिया था कि प्रिवी काउन्सिल एक भ्रमणात्मक संस्था हो, और कैनेडा में कैनेडा के न्यायाधीशों को मिला लिया करे।

: ३ :

आस्ट्रेलिया

गवर्नरों को सम्राट नियुक्त करता है।

गवर्नर बहुमत पार्टी के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त कर देता है। और व्यवस्थापिका भवन से ५ अफसर नियुक्त करता है जो व्यवस्थापिका धारा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

राज्यों का सम्राट की सरकार से सीधा सम्पर्क है। उसके परामर्श पर गवर्नर नियुक्त किया जाता है। वे कामनवैल्थ सरकार अथवा गवर्नर

जनरल की आज्ञा का पालन नहीं करते। लन्दन में राज्यों के एजेन्ट-जनरलों की औपनिवेशिक विभाग तथा हाई कमिश्नर के पास सीबी पहुँच है।

लैजिस्लेटिव असेम्बली की अवधि ३ वर्ष है और आम मताधिकार है। दोनों भवनो के सदस्यों को १५० पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है। और उन्हें राज्य की रेलों पर मुफ्त घूमने के लिये पास मिलते हैं। (न्यू साउथ वेल्स में आजीवन सदस्यता दी जाती है। सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।)

गवर्नर का वोटो नाममात्र का होता है।

विक्टोरिया और क्वीन्सलैण्ड में अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स में केवल 'प्रीफ़ेरेन्सियल वोटिंग' है।

कुछ राज्यों में अनिवार्य मत-प्रदान करना होता है।

लैजिस्लेटिव काउन्सिलों के मतदाताओं की आयु ३० वर्ष से ४० वर्ष तक है। असेम्बली के मतदाताओं के लिये थोड़ी सम्पत्ति होना आवश्यक है।

कुछ राज्यों में सदस्य नामज़द भी किये जाते हैं (विक्टोरिया, प्रीफ़ेरेन्सियल वोटिंग (Preferential voting) साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।)

ऊँचा भवन निर्वाचित होता है—अवधि ६ वर्ष। थोड़े थोड़े करके सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा नये चुनव होते हैं।

राज्यों का कोई भी भाग कामनवेल्थ को दिया जा सकता है।

नये राज्य जोड़े जा सकते हैं।

राज्यों में पुराने कानून चालू हैं। यदि कानूनों में आपस में विरोध उपस्थित हो तो कामनवेल्थ के कानून मान्य होते हैं।

राज्यों द्वारा मुद्रा नहीं ढाली जा सकती।

ऑस्ट्रेलिया का हाई कोर्ट—गवर्नर जनरल न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन के लिए करता है किन्तु व्यवस्थापिका सभा का प्रार्थना पत्र पर हटाये जा सकते हैं। सबसे अच्छे कानूनदों आकर्षित होते हैं। अच्छा वेतन तथा स्थायी पद मिलता है और उनका दर्जा निश्चित

होता है। न्यायाधीश योग्य होते हैं। पार्टी राजनीतिज्ञ होते हुए भी वे विश्वासप्राप्त होते हैं।

इसकी अधिकार सीमा में सन्धियों, कान्सुलर, राज्यों के आपसी झगड़े भी हैं। साथ ही वे मामले भी हैं जिनमें कामनवैलथ एक पार्टी होती है—और वे मामले भी जिनसे कामनवैलथ अक्सर संबंधित हों।

जहाँ तक इन अधिकारों का प्रश्न है, राज्यों के कानूनों को भंग करने के अभियोगों पर विचार जूरी की सहायता से होता है।

शासन विधान हाउस आफ कामन्स ही दे सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय कुछ शासन संबंधी और कुछ न्याय-संबंधी होते हैं। वे तट-कर तथा राज्यों के आपसी (Interstate) सन्देश के साधनों की जाँच पड़ताल करते हैं। प्रिवी काउन्सिल में अपील की सीमित करने के लिये यदि कोई बिल पेश हो तो वह सम्राट की अनुमति के लिये रख लिया जाता है।

राज्यों के न्यायाधीशों को गवर्नर आजीवन काल के लिये नियुक्त करता है और वे इंग्लैण्ड के समान ही दोनों भवन के प्रस्ताव पर हटायें जा सकते हैं।

: ४ :

न्यूज़ीलैण्ड

न्याय-विभाग—पंच अदालतें

देश आठ औद्योगिक विभागों में विभाजित है। प्रत्येक में सुलह की काउन्सिलें हैं।

यदि व्यक्तिगत कर्मचारी चाहें अथवा समुदाय या संघ माँग करे तो सुलह करानेवाले काउन्सिलर एक स्थानीय काउन्सिल स्थापित कर सकते हैं।

पार्टियों द्वारा न्यायाधीश-सहायक (assessor) नामज़द किये जाते हैं। यदि सफल हो तो निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य करनेवाला होता है। असफल होने पर पंच अदालत के सुपुर्द हो जाता है जिस

एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और एक-एक सदस्य स्वामी तथा भूमिक का होता है ।

कार्य-काल ३ वर्ष के लिए होता है । २० वर्ष के समय में बिना हड़ताल किये अथवा मजदूरों से अधिक काम लिये मजदूरी बढ़ी है ।

: ५ :

दक्षिणी अफ्रीका

शासनकर्ता का कार्य-काल ५ वर्ष है और उनका वेतन प्रेसीडेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है । नियुक्ति में प्रांतीय निवासियों के साथ विशेष रियायत की जाती है ।

एकजीक्यूटिव कमेटी में शासनकर्ता तथा ४ अन्य सदस्य रहते हैं—वे काउन्सिल के सदस्य हो सकते हैं पर बाहर से भी लिये जाते हैं—काउन्सिल द्वारा चुने जाते हैं—उस समय तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी न चुन लिये जावें—कार्य-काल निश्चित नहीं—इत्तफाक़्या रिक्त स्थान की पूर्ति या तो काउन्सिल चुनाव से करती है या शेष सदस्य स्वयं मिलाकर (co-opt) कर लेते हैं । चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है ।

कौंसिल उतने ही सदस्य होते हैं जितने कि उस प्रान्त के हाउस आफ़् असेम्बली में सदस्य होते हैं किन्तु न्यूनतम संख्या २५ है ।

भंग नहीं की जा सकती ।

काउन्सिल स्वयं चेयरमैन चुनती है—स्वयं अपने नियम बनाती है किन्तु गवर्नर जनरल उन्हें अस्वीकृत कर सकता है ।

भत्ता के विषय में गवर्नर जनरल की परिषद निश्चय करती है ।

शासन-सम्बन्धी अधिकार—समस्त विषयों में जो प्रांतीय सरकारों के लिये नियत नहीं । शासनकर्ता गवर्नर-जनरल का एकमात्र एजेंट होता है और काउन्सिल से अलग कार्य करता है ।

आर्थिक बिलों की पहले से ही शासनकर्ता द्वारा मफ़ारिश की

जानो चाहिए। वे समस्त आर्डीनेन्स जो पास किये जायँ गवर्नर-जनरल के पास भेजे जाने चाहिए।

शासनकर्ता तथा वे काउन्सिलर जो सदस्य नहीं हैं काउन्सिलों में भाषण देने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

शासनकर्ता को एकजीक्यूटिव कमेटी में 'कास्टिंग वोट' मिली हुई है।

सुप्रीम कोर्ट

इसमें चीफ जस्टिस, साधारण अपील के न्यायाधीश तथा प्रांतों के न्यायालयों के विभिन्न विभागों में अनेक न्यायाधीश होते हैं।

अपीलवाले विभाग से प्रिवी काउन्सिल को अपील जाती है।

चीफ जस्टिस - अनुचित व्यवहार अथवा अयोग्यता के लिए पार्लियामेंट के एक ही अधिवेशन में दोनों भवनो के प्रार्थना-पत्र पर हटाया जा सकता है।

अपील के न्यायालय—चीफ जस्टिस तथा दो साधारण न्यायाधीश तथा २ अपील के न्यायाधीश।

: ६ :

फ्रान्स

सैन्ट्रल (कमेटी)

चैम्बर आफ डिपुटीज़ के ११ ब्यूरो और सीनेट के ९ होते हैं। सभी पच्चे डालकर (allot) चुने जाते हैं। चैम्बर आफ डिपुटीज़ के १२ कमीशन हैं जिनमें से प्रत्येक के १४४ सदस्य हैं। सीनेट की १२ कमेटियां हैं जो गुप्तरूप से कार्य करती हैं। बिल का रचयिता उपस्थित हो सकता है।

कुछ बातें—हाउस आफ कामन्स—इंग्लैण्ड—की राजस्व पर पूर्ण अधिकार कानून में तथा वास्तव में प्राप्त हैं। चैम्बर आफ डिपुटीज़

को केवल वास्तव में प्राप्त है। अमेरिका की हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव को न कानून के अनुसार और न वास्तव में।

सुप्रीम कोर्ट—कोई न्यायालय चार न्यायाधीशों का निर्णय बदल नहीं सकता लेकिन या तो उसकी पुष्टि कर सकता है या उस मामले को उसी पद के अन्य निचले न्यायालय को भेज सकता है जिससे मामला आया है। समस्त न्यायाधीशों को मंत्रिमंडल नियुक्त करता है।

शासकवर्गीय न्यायालय - काउन्सिल आफ स्टेट का कानून को इस प्रकार लागू करने से संबंध है जिससे जनता शासकवर्ग की निरंकुशता से बचाई जा सके। इसके ३५ सदस्य हैं, इनमें आधे सरकारी कर्मचारी होते हैं। समस्त आर्डिनेंस इसके पास होकर जाते हैं। कभी कभी यह उन्हें फिर से बना (redraft) देता है। सर्वोच्च शासक वर्गीय न्यायालय है। २१ अतिरिक्त विशेष काउन्सिलर होते हैं। यह सरकार के एक कानूनी विशेषण परिषद के समान कार्य करती है।

: ७ :

स्विटज़र लैण्ड

राज्य

(१) दो कैन्टनों में और ४ अर्ध कैन्टनों में—कोई व्यवस्थापिक सभायें नहीं है किंतु सभी मतदाता सदस्य होते हैं। (२) छह को छोड़ कर अन्य कैन्टनों में व्यवस्थापिका सभा में केवल एक भवन है (ये ग्राण्ड काउन्सिल या कैन्टन के काउन्सिल कहलाते हैं।) वे काउन्सिलें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं। दस कैन्टनों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू है। (दस में ३ या ४ वर्ष के लिए) प्रत्येक काउन्सिल एक एक्जीक्यूटिव कमीशन नियुक्त करती है जा फंडरल काउन्सिल से मिलते जुलते हैं। (३) कैन्टनों को अपने शासन विधान बनाने की स्वतंत्रता है, किंतु संघ की स्वीकृति आवश्यक होती है।

सैन्य व्यवस्था कैन्टनों के शासन में हैं। कैन्टन आपस में कानून तथा न्याय संबंधी समझौते कर सकते हैं।

संघ को युद्ध तथा शान्ति का एक मात्र अधिकार है और व्यापारिक उन्धियों के संबंध में भी।

दो कैन्टनों तथा ४ अर्ध कैन्टनों में, समस्त जनता एक रविवार को सुबह हरे मैदान में सभा करती है (उदाहरणार्थ जूरिख)। नारियां तथा बच्चे कुछ उठी हुई भूमि पर पीछे खड़े रहते हैं। उसमें अगले वर्ष के लिये पदाधिकारियों का चुनाव होता है। उसके अधिकार बहुत विस्तृत हैं। वह कर लगा सकती है, व्यय कर सकती है, कानून बनाती है तथा व्यवस्थापिका सभा के अन्य अधिकारों का उपयोग करती है।

फडरल न्यायालय—संघ सत्ता और कैन्टनों की सत्ता में किसी मतभेद के होने पर यह निर्णय करता है।

कानून-व्यवस्था संबंधी केंद्रीकरण के साथ ही शासन संबंधी विकेंद्रीकरण (decentralisation) है। संघ के कानूनों को कैन्टन लागू करते हैं।

फै रल न्यायालय—२४ न्यायाधीश रहते हैं। वे देशद्रोह और कैन्टन और संघ के विरुद्ध अन्य अभियोगों पर विचार करते हैं। तथ्यों के निर्णय के लिये १२ सदस्यों की एक जूरी की सहायता ली जाती है—न्यायालय कैन्टनों के कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं, संघ के कानूनों को नहीं। किन्तु वे समस्त संघ के कानूनों पर विचार करते हैं—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ढंग से तुलना कीजिये।

फैडरल न्यायालय कैन्टन तथा नागरिकों के झगड़ों पर भी विचार कर सकते हैं, यदि दोनों ही ऐसा चाहें।

स्विटजरलैण्ड में भी शासक वर्गीय कानून Administrative Law हैं। मामले फैडरल काउन्सिल के सम्मुख उपस्थित होते हैं और अपील दोनों भवनो द्वारा सुनी जाती है। सन् १६१४ ई० के बाद से एक 'एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट' भी है।

कानून द्वारा वकीलों की अधिकतम तथा न्यूनतम फीस नियत है।

: ८ :

जर्मनी

राज्य

रीख की स्वीकृति से राज्य विदेशी राज्यों से कानूनों के संबंध में समझौते कर सकते हैं ।

अन्य राज्य स्वभाग्य निर्णय में सम्मिलित हो सकते हैं । राज्यों में उत्तरदायी सरकारें हैं । नये राज्य तथा विभाग रीख द्वारा उन दोनों प्रदेशों की स्वीकृति से बनाये जा सकते हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ता है यह स्वीकृति रीख के एक तिहाई की मांग पर अलग होने वाले प्रदेशों के जन-मत-संग्रह (plabisite) द्वारा ली जाती है और निर्णय मत देने के दू बहुमत से अथवा समस्त मतदाताओं के बहुमत से होता है ।

रीख कानून से सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर सकेगी ।

चुनाव संबंधी झगड़ों का निपटारा रीखस्टाग तथा सर्वोच्च शासक वर्गीय न्यायालय के न्य याधीशों का एक कमीशन करता है ।

सम्पत्ति संबंधी झगड़े जो अलग होने वाले राज्यों में उठ खड़े हों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाये जाते हैं ।

साधारण विषयों के निपटारे के लिये हाईकोर्ट तथा राज्यों के न्यायालय हैं ।

: ९ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

राज्य सरकार का प्रमुख ।

गवर्नर — बहुत महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है — चुना जाता है — जनता के मत द्वारा — उन पारटियों द्वारा नामज़द सदस्यों में से जिन्हें वे प्रत्यक्ष

प्रारम्भिक सभाओं Direct primary में चुनते हैं—मिसौसी के अतिरिक्त सभी राज्यों में यही विधान है। कुछ राज्यों में कन्वेंशन बुला कर उम्मेदवार नामजद करने की प्रथा अब भी है—कई वर्षों का नागरिक होना चाहिए—आयु ३० वर्ष—एक अवधि से राज्य का निवासी हो। शिक्षा-सम्बन्धी तथा धर्म संबंधी कोई योग्यता नहीं। आधे के लगभग राज्यों में कार्यकाल २ वर्ष है। शेष में (१ के अतिरिक्त) ४ वर्ष है। कई राज्यों में दुबारा खड़ा नहीं हो सकता। गवर्नर का राज्य में वही पद है जो कि प्रैसीडेंट का संघ में है। किन्तु वह प्रधान शासक नहीं है। उसके मातहत कार्य करने वाले उसका ध्यान नहीं रखते। वे दूसरे राजनीतिक विचारों के हो सकते हैं और जनता के द्वारा चुने जाकर उसे परेशानी में डाल सकते हैं। उदाहरणार्थ—स्टेट सैक्रेटरी, आडीटर, कोषाध्यक्ष, एकाउन्टेन्ट-जनरल—जिन्हें गवर्नर हटा नहीं सकता। उसकी शक्ति उन अफसरों पर भी, जिन्हें वह नियुक्त करता है, बहुत कम होती है। वह किसी को पदच्युत नहीं कर सकता। सरकार के समान पद वाले अफसरों में ऊपर वह केवल एक होता है। व्यवस्थापिका सभा-सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। नार्थ केरोलीना के अतिरिक्त वीटो का अधिकार है। कुछ राज्यों में कांग्रेस के समान फिर से पास करने का अधिकार दिया हुआ है। सन्देश भेज सकता है—बजट होता है—कारणों सहित गवर्नर भेजता है—व्यवस्थापिका सभा लगभग उसे पास करने के लिए बाध्य है। उसे आसाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है—जिससे उसके बताये गये विषयों पर विचार हो सके।

१—क्षमा प्रदान का अधिकार। २—सैन्य शक्ति। (i) यह वह एक बोर्ड के सहयोग से उपयोग में लाता है। (ii) आन्तरिक सेना का कमान्डर इन-चीफ है—जो गवर्नर द्वारा बाहर बुलाई जा सकती है। यह स्थाई सेना नहीं—यहां एडजुटेन्ट-जनरल के मार्फत कार्य होता है। व्यवस्थापिका सभा में राजनैतिक योग्यता का अभाव। गवर्नर बहुत शक्तिशाली है। ३५ राज्यों में लफ्टीनैन्ट गवर्नर भी हैं—जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। वे सीनेट का अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं और प्रैसीडेंट का स्थान रिक्त होने पर उस पद को ग्रहण करते हैं।

कैबिनेट नहीं होती—केवल प्रमुखों की नियुक्ति गवर्नर करता है।

राज्यों के निचले भवन:—

सदस्य संख्या १०० से १२५ तक। (न्यूनतम ३२ तथा अधिकतम ४१२ हैं—पर ये प्रति के उदाहरण हैं।) ३२ राज्यों में अधि २ वर्ष है। अधिवेशन कम से कम ४० दिन तथा अधिक से अधिक ५ माह तक चलते हैं। २ या ३ राज्यों में भवन ४ वर्ष में एक बार अधिवेशन करते हैं—शेष सभी के वार्षिक अधिवेशन होते हैं। प्रेसीडेंट निर्वाचित होते हैं (स्पीकर नियम संबंधी कमेटी में तथा सब-कमैटियों बनाने में बहुत अधिक प्रभाव रखता है। आम मताधिकार—गवर्नर तथा अन्य पदाधिकारियों का व्यवस्थापिका सभा में कोई स्थान नहीं होता। रंगीन जातियों को स्थान नहीं। किंतु उक्त का नून को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। कानून कमैटियों की सहायता से बनता है—कानून बजाय कुछ करने के आशा मात्र रह जाते हैं। केवल मैसेचुसेट्स में खुले अधिवेशन होते हैं। प्राइवेट बिलों का उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति भ्रष्टता होता है। पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्तिगत लाभ (Log rolling), धमकी देकर काम साधना (Black-mail), हड़ताल, और सार्वजनिक मतप्रदान की प्रथाएँ प्रचलित हैं।

ऊँचे भवन :

औसत संख्या ३५। लैफ्टीनेंट गवर्नर, यदि हो तो अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, नहीं तो एक प्रेसीडेंट चुन लिया जाता है।

राज्यों के पास वे समस्त अधिकार होते हैं जो संघ को न दिये गये हों—काँग्रेस के पास वही सत्ता है जो दी गई है। प्रांतीय मतदाताओं का चुनाव कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव तथा नामजदगी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। कांग्रेस के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्र निश्चय करती है। कोई भी १३ राज्य शासन-विधान में संशोधन रोक सकते हैं। धारा-सभा के सदस्य, न्यायाधीश, गवर्नर, वैभागिक प्रमुख, काउन्टी तथा नगर पदाधिकारी जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं से वास्ता है—व्यक्तिगत रूप में और समाज के सदस्य के नाते। विवाह तथा तलाक़ का नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय रेलें, प्रांतीय बैंक, बीमा कम्पनियों, पेशे जिसमें दाईं अथवा परिचायिका का कार्य भी है,

नाई, नल ठीक करने वाले, दौंतों के डाक्टर, श्रमिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य—अनाथालय, पागल खाने, दान गृह, शिक्षा, सड़कें, मछली व्यवसाय, जंगली जानवरों का शिकार, मृगया, कृषि भवन, बीज गोदाम, बाँध, सींचने के साधन सभी शामिल हैं।

: १० :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट

प्राथमिक सत्ता

१—राजदूत, सार्वजनिक मंत्री तथा काउन्सिलों के विषय में,

२—जहाँ एक पक्ष राज्य हो।

अपील की सत्ता

कानूनी तथा तथ्यों दोनों विषयों में है।

ये अपवाद हैं—

सन्धियों—बीती या भविष्यत्—के अन्तर्गत संघ के कानून।

वे समस्त मामले जो शासन-विधान के अन्तर्गत कानून अथवा औचित्य के हों।

वे समस्त मामले जिनमें राजदूत, काउन्सिल शामिल हैं। जलसेना तथा समुद्र तट सम्बन्धी मामले।

वे विवाद जिनमें संघ भी एक पक्ष के रूप में हों।

वे विवाद जो राज्यों के बीच में हों।

एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिक के बीच में हों। एक दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच में हों, उसी राज्य अथवा भिन्न राज्यों के नागरिकों में हों।

एक राज्य के नागरिकों के बीच में हों जो दूसरे राज्यों में प्रदान की गई भूमि के सम्बन्ध में दावा पेश करते हैं।

एक राज्य तथा उसके नागरिक के बीच में या विदेशी राज्यों के नागरिकों अथवा प्रजा-जनों से।

न्यायाधीश प्रेसीडेंट पर नियुक्त किये जाते हैं और सीनेट नियुक्तियों की पुष्टि करती है। अच्छे व्यवहार तक पदासीन रहते हैं। वास्तव में स्वतन्त्र हैं। संख्या में ६ होते हैं। कानूनी तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों की आलोचना करते हैं और उनकी वैधानिकता का निर्णय करते हैं और अमान्य ठहरते हैं। इस प्रकार राजनैतिक वाद-विवाद में न्यायालय भी खिंच जाते हैं।

कानून तथा शासन-विधान में मतभेद होने पर उनके निर्णय के कारण उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि न्यायाधीश जनता की राय को ठुकरा देते हैं। उत्तर यह है कि जन-इच्छा शासन-विधान में भी निहित है। इस प्रकार विधान अधिक सीमा तक मान्य है।

साधारण न्यायालय

न्यायालय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों के चलनेवाले झगड़ों में निर्णयात्मक भाग लेते हैं—यही अमेरिका की सरकार का मूल सिद्धांत है।

संघ के न्यायालय समस्त देश में बिखरे हैं। उनकी प्राथमिक (Original) सत्ता है, अपील की नहीं।

सरकीट कोर्ट—अपील के हैं। संख्या ६।

कोर्ट आफ क्लेमस—१ अध्यक्ष-पद ग्रहण करनेवाला न्यायाधीश, ४ सहायक न्यायाधीश। कांग्रेस स्थापित करती है।

कोर्ट आफ कस्टम्स अपील—निर्माण ऊपर के समान, ६ सर्किलों (circuits) में बैठता है। और चुङ्गी के मामलों की सुनवाई करता है।

: ११ :

जैकोस्लोवाकिया

वैधानिक न्यायालय में ७ सदस्य होते हैं—इनमें से २ शासन के हाईकोर्ट द्वारा चुने जाते हैं, २ कोर्ट आफ जस्टिस द्वारा नियुक्त होते हैं

और २ अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये सदस्य तथा चेयरमैन प्रजातन्त्र के प्रेसीडेण्ट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

यह निर्णय करता है कि कानून शासन-विधान की प्रथम धारा के अनुकूल हैं अथवा नहीं।

: १२ :

स्लावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य

काउन्सिल आफ स्टेट एक सर्वोच्च न्यायालय है। इसके आधे न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा उन सदस्यों में से करता है जो नेशनल असेम्बली द्वारा नामजद किये जाते हैं और शेष आधे नेशनल असेम्बली द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाते हैं जिनको राजा नामजद करता है।

: १३ :

पोलिश प्रजातन्त्र

सुप्रीम कोर्ट—

यह नियंत्रण का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका काम हिसाब की जाँच-पड़ताल करना है।

इस सुप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेण्ट का पद मंत्रियों के बराबर है—किंतु इन्हें डाइट में कोई स्थान प्राप्त नहीं। वे डाइट की $\frac{1}{2}$ के मत से पद-व्युत किये जा सकते हैं।

चुनाव सम्बन्धी झगड़ों (जहाँ विरोध हुआ है) का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है।

स्वीडन

सुप्रीम कोर्ट :

इसमें १२ न्यायाधीश हैं जो “काउन्सिलर्स आफ जजैज़” कहलाते हैं ।

सात सदस्यों की एक ‘शासन परिषद’ होती है जिसका काम राजा की सहमति के लिये ज़रूरी संबंधी अथवा उन निर्णयों के विरुद्ध जोर कानूनी तरह से लागू हो चुके हैं प्रार्थना-पत्रों को लेना और उन पर निर्णय देना होता है ।

इस ‘शासन परिषद’ के निर्णयों को छोड़कर शेष सभी की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है—यह कानून की व्याख्या करता है और सैन्य अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है । पिछले कार्य के समय दो सैनिक अधिकारी उपस्थित रहते हैं और अपने विचार पेश कर सकते हैं ।

‘कानूनी परिषद’—

इसमें २ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक शासन परिषद का सदस्य होता है । इस परिषद का काम ऐसे कानूनों को, जो राजा के विचारार्थ भेजे जाते हैं बनाना, उन्हें स्पष्ट करना अथवा रद्द करन होता है ।

सार्वजनिक अभियोग का न्यायालय—

इसमें ‘स्वी कोर्ट आफ अपील्स’ के प्रेसीडेंट और राज्य भर के समस्त शासन-बोर्डों के प्रेसीडेंट-गण होते हैं । सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध-‘शासन परिषद’ के सीनियर सदस्यों द्वारा चलाये मामलों या इन सदस्यों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा चलाये गये मामलों में, सबसे ऊँचे सैनिक और नाविक पदाधिकारी, ‘स्वी कोर्ट आफ अपील्स’ के दो उच्च सदस्य और राज्य की शासन-बोर्डों में से प्रत्येक के दो सीनियर सदस्य भी बैठते हैं ।

कोई भी न्यायाधीश बिना विशेष कारण काम करने से इन्कार नहीं कर सकता। प्रैसीडेंट के कार्यों पर भी आपत्ति उठाई जा सकती है।

मंत्री को इस कमैटी की सिफारिश पर कानून तोड़ने अथवा राजा के सामने रिपोर्ट पेश करने के अपराध में सार्वजनिक रूप से अपराधी ठहराया जा सकता है। यदि वह कुशलतापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता तो रिकस्टाग राजा से उसे पदच्युत करने की सिफारिश कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट और 'शासन परिषद' के सदस्यों की योग्यता की जाँच प्रत्येक चार वर्ष पश्चात् रिकस्टाग द्वारा नियुक्त की गई एक कमैटी करती है।

सदस्यों को वेतन का आधा पेन्शन के रूप में देकर हटाया जा सकता है।

: १५ :

आस्ट्रिया

प्रांतीय सरकार—

प्रांतीय डाइट द्वारा चुनी जाती हैं—वे डाइट के सदस्य नहीं होने चाहिये किंतु उनमें डाइट की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए।

व्यवस्थापिका सभा :

प्रान्तीय डाइटें—मताधिकार नेशनल कान्सिल के समान ही है।

प्रांतीय कानून गवर्नर लागू करते हैं। यदि ऐसा करने में संघ की सहायता की आवश्यकता पड़े या सहायता माँगी जाती है, तो यह आवश्यक है कि फैंडरल असेम्बली उन्हें मंजूर करे। किंतु सरकार की मंजूरी के पहले ही प्रत्येक कानून को संघीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाना चाहिये। यदि आठ सप्ताह में कोई एतराज उठे तो प्रांतीय डाइट (उपस्थिति ३) उसे दुबारा पास कर सकती है। उसके बाद गवर्नर उसे स्वीकार कर लेता है।

वियाना और लोअर आस्ट्रिया—

वियाना के लिये शहर असेम्बली और लोअर आस्ट्रिया के लिये प्रांतीय असेम्बली है—ये ही उनके लिये प्रांतीय डाइट के काम देती हैं। दोनों मिलकर सामान्य विषयों पर निर्णय कर लेती हैं। नहीं तो बाकी बातों में वे अपने आप अलग अलग काम करती हैं।

वियाना का 'बंगो मास्टर' ही वहाँ का गवर्नर होता है। शहर की सीनेट म्युनिसिपल काउन्सिल द्वारा चुनी जाती है। वह डाइट का प्रेसीडेंट होता है। मजिस्ट्रेट प्रांतीय शासनों के जिलों का डायरेक्टर होता है।

सामान्य विषयों के शासन के लिये 'ऐडमिनिस्ट्रेशन कमीशन' है—बारी बारी से गवर्नर सभापतित्व करते हैं।

मामूली तौर पर फॉसी की सजा नहीं दी जा सकती। न्याय संबंधी कानून एक सीनेट की नियुक्ति का निर्देश कर सकते हैं। ये संघीय सरकार के सरकार न्यायाधीशों के नामों को स्वयं भी नामजद कर सकती है—यह नामजदगियाँ खाली स्थानों से संख्या में दुगुनी या तिगुनी होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसीडेंट या मंत्री करता है।

न्यायालय कानूनों की वैधानिकता के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकते। यदि सन्देह हो तो मामला वैधानिक अदालत को भेजा जा सकता है।

वैधानिक न्यायालय को सभी दावों पर विचार करने का अधिकार है। (१) जो संघीय प्रांतों अथवा कम्यूनो पर किये जाँय जिन्हें मामूली न्याय के तरीके से नहीं निबटाया जा सकता। (२) अदालतों तथा शासक वर्ग के बीच के झगड़ों का फैसला करने का अधिकार है। (३) साधारण और शासन संबंधी न्यायालयों के बीच के मामले भी इसके अधिकार में हैं। (४) शासन और वैधानिक न्यायालयों के बीच के मामले। (५) नेशनल काउन्सिल, फेडरल काउन्सिल, और प्रांतीय डाइटों या अन्य सार्वजनिक प्रतिनिधि सभाओं संबंधी झगड़े तलब चुनावों का फैसला। (६) सार्वजनिक अभियोग लगाये जाने के प्रस्तावों पर यदि (अ) फेडरल असेम्बली फेडरल प्रेसीडेंट पर लगाने

का निर्णय करे, (इ) संघीय सरकार के सदस्य के विरुद्ध यदि नेशनल काउन्सिल ऐसा निर्णय करे, (उ) प्रांतीय सरकार के सदस्य के विरुद्ध यदि प्रांतीय हाइट ऐसा निश्चय करे; (ओ) प्रांतीय सरकार के विरुद्ध यदि वह राजनीतिक अधिकारों को छीन ले (औ) अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना पर ।

इस न्यायालय में एक प्रेसीडेंट, और एक वाइस-प्रेसीडेंट होता है जिन्हें नेशनल काउन्सिल (सब सदस्य और प्रतिनिधि-वर्ग) मिल कर चुनते हैं । बाकी के आधे सदस्य फेडरल काउन्सिल चुनती है ।

: १६ :

नार्वे

सुप्रीम कोर्ट

यह अपील का न्यायालय है । इसके सात सदस्य हैं । साथ में एक प्रेसीडेंट होता है । इसके बाद कोई अपील नहीं ।

न्यायाधीश—आयु कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिये ।

: १७ :

इंग्लैण्ड

न्याय विभाग

सन् १८७३ ई० के न्याय संबंधी कानून ने वर्तमान न्यायालयों का ढोंचा स्थिर किया:—

I न्याय का सुप्रीम कोर्ट—दो शाखाओं में विभाजित है ।

(जैसे नीचे दिखलाया गया है)

(क) न्याय का हाईकोर्ट

(ख) कोर्ट आफ अपील

II हाउस ऑफ लार्ड्स या लार्ड सभा ।

III प्रिवी काउन्सिल की न्याय संबंधी कमेटी ।

I न्याय का सुप्रीम कोर्ट

(अब इसमें तीस से अधिक न्यायाधीश हैं)

(क) न्याय का हाईकोर्ट

(ख) कोर्ट आफ अपील

(अ) चांसरी विभाग । (इ) किंग्स बेंच डिवी- (ए) प्रोवेस्ट*, डवार्स इसमें पाँच साधारण जून । इसके १५ न्याया- और एडमिरेल्टी डिवी- न्यायाधीश और लार्ड चीफ जस्टिस भी होते हैं । इनमें जून । इसमें दो न्याया- चांसलर प्रेसीडेण्ट एक लार्ड चीफ जस्टिस भी होते हैं । इसमें होता है । भी होता है जो प्रेसी- एक प्रेसीडेण्ट होता है । डेण्ट होता है ।

न्याय के हाई कोर्ट के तीनों विभागों की अधिकार सीमा उनके नामों से ही पता चल जाती है । इनमें से प्रत्येक न्यायाधीश अलग-अलग मामले लेता है और इस प्रकार सब मिलाकर यह २३ न्यायालय होते हैं:—

(ख) अपील कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीश होते हैं:—

१—(अ) ८ कानूनी लार्ड ।

(ब) 'मास्टर आफ रोलस' जिसकी अदानत स्थायी होती है ।

२—तीनों उक्त विभागों के प्रेसीडेण्ट जो कभी कभी सदस्य हो कर काम करते हैं ।

(३) लार्ड चांसलर जो अपने पद के कारण सदस्य तथा प्रेसीडेण्ट होता है ।

इनमें से किसी से भी अपील कोर्ट को अपील जा सकती है । अपील कोर्ट में तीन तीन न्यायाधीश का एक न्यायालय होता है और साधारणतया "६ स्थायी सदस्यों" की दो ही इस प्रकार की बैठकें होती हैं क्योंकि कभी कभी काम करने वाले न्यायाधीश और लार्ड चांसलर तो शायद ही कभी उपस्थित होते हैं ।

* प्रोवेस्ट (Propate) का तात्पर्य वसोयतनामों की प्रामाणिकता विषयक बातों से है ।

इनके बाद काउन्टी (ज़िला) न्यायालयों का नम्बर आता है । इनके साथ ही उन घूमने वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी स्थान है जो जिलों में “एसाइजैज़” की तरह काम करते हैं । अंत में फौजदारी मामलों पर विचार करने के लिये (अ) जस्टिस आफ पीस (अवैतनिक), (ब) बैरो (स्थानीय) न्यायाधीश (वैतनिक) और हाईकोर्ट का घूमने वाली बेंच के न्यायाधीश होते हैं । जूरी प्रथा दिन पर दिन कम होती जा रही है ।

लार्ड सभा

(ii) यह अपील का अंतिम न्यायालय है । इसकी बैठक उस समय होती है जब लार्ड सभा का अधिवेशन न हो रहा हो । लार्ड चांसलर सभापतित्व करता है । इसमें ३ अपील के साधारण लार्ड न्यायाधीश भी (अपील कोर्ट से) शामिल होते हैं । कभी कभी एक तीसरा (?) भी होता है । साथ में भूतपूर्व चांसलर और हाईकोर्टों के एक या दो ऐसे भूतपूर्व न्यायाधीश भी होते हैं जो अब लार्ड सभा में बैठने के अधिकारी हो गये हैं । लार्ड-सभा के अन्य सदस्य कभी भाग नहीं लेते ।

प्रिवी काउन्सिल की न्याय संबंधी कमैटी

(iii) इसमें लार्ड चांसलर, अपील के साधारण लार्ड न्यायाधीश, और बाहरी डोमोनियनों अथवा आधीन देशों का एक न्यायाधीश रहता है । भारत के लिये अंतिम न्यायालय यही है । क (ए) न्यायालय से भी प्रोबेट और एड मिरेल्टी विभाग की यह अपील सुनती है ।

: १८ :

बेल्जियम

सभी न्यायाधीश की आजीवन नियुक्ति होती है और बिना अभियांग चलाये किसी को पदच्युत नहीं किया जा सकता; न उन्हें पद से मन्सूख ही किया जा सकता है और न तबादला ही । ऐसा केवल उनकी सहमति से और नई नियुक्ति देकर किया जा सकता है ।

(१) सबसे ऊपर एक 'कोर्ट आफ केशेशन' ब्रूसैस में है। इसके न्यायाधीशों को राजा दो सूचियों में से, जिनमें से एक न्यायालय स्वयं तैयार करना है और दूसरी को सीनेट बनाती है, में से चुनता है।

(२) इसके बाद तीन अरील के न्यायालयों का नम्बर आता है जिसके सदस्यों को भी राजा दो सूचियों से चुनता है। इनमें एक न्यायालयों द्वारा स्वयं दी जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषदों द्वारा।

(३) इसके बाद 'प्रथम चार के न्यायालयों' का नम्बर आता है—न्यायाधीशों को राजा नियुक्त करता है। किन्तु प्रेसीडेंट तथा वाइस-प्रेसीडेंटों को राजा दो सूचियों में से नियुक्त करता है। इसमें से एक न्यायालयों द्वारा दी जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषद के द्वारा।

इसके भी बाद,

(४) 'एसाइजों' के न्यायालय फौजदारी के लिये हैं।

(५) सैन्य न्यायालय।

(६) व्यापार संबंधी न्यायालय।

(७) और 'जस्टिस आफ पीस' के न्यायालय।

इस संबंध में कोई भी शासन संबंधी न्यायालय नहीं है।

न्यायालयों की बैठकें खुली होती हैं। पर नैतिकता या सार्वजनिक हित की दृष्टि से गुप्त बैठकें हो सकती हैं।

राजनैतिक और प्रेस संबंधी मामलों में जूरी का प्रयोग आवश्यक है। न्यायाधीशों को दो सूचियों में से नियुक्त किया जाता है। प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंटों का न्यायालय स्वयं आपस में से चुनाव कर लेते हैं।

: १६ :

जापान

न्याय विभाग

१—न्यायालय सम्राट् के नाम पर न्याय करते हैं। सम्राट् को कानून और न्याय का खेत कहा जाता है। न्यायाधीशों के पद

सुरक्षित हैं। उन्हें बिना अभियोग चलाये पदभ्युत नहीं किया जा सकता।

मुकद्दमे और उनके फैसले खुली बैठकों में दिये जाते हैं, किन्तु खुली बैठक के नियम को कानून द्वारा या न्यायालय स्वयं यदि न्यायालय की कार्यबही का प्रकाशन शांति या सार्वजनिक नैतिकता की दृष्टि से हानिकर प्रतीत हो तो उसे मनसुख कर सकता है।

२—शासक सत्ता द्वारा अधिकारों पर हस्तक्षेप करने पर मुकद्दमे चलाया जाने पर, अथवा नागरिकों के अधिकारों पर हस्तक्षेप होने पर मामला “शासन सम्बन्धी मुकद्दमों” के अन्तर्गत सुना जाता है—साधारण न्यायालयों के सामने नहीं—और जूरी की सहायता से सुनवाई होती है।

३—न्यायालयों को शासन-विधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है।

सत्ता सम्राट के पास है—प्रस्तावित संशोधन सम्राट के द्वारा बाइट के सम्मुख उपस्थित किया जाता है—कोरम २।३ संख्या—प्रत्येक भवन में—संशोधनों पर विचार करने और उन्हें पास करने के लिए कम से कम उपस्थित सदस्यों के २।३ के बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए।

टोकियो में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके नौ विभाग हैं। प्रत्येक में पाँच न्यायाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त सात अपील के न्यायालय हैं। उनके भी नीचे ज़िन्ना के न्यायालय हैं। छोटे-मोटे मामलों के लिए मामूली न्यायालय भी हैं।

एक शासन-सम्बन्धी न्यायालय भी है जिसके न्यायाधीश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आजीवन के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

: २० :

एस्थोनिया

न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं।

: २१ :

डेन्मार्क

केन्द्रीय न्याय विभाग

न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं पर उन्हें वेतन मिलता रहता है।

सार्वजनिक अभियोग का न्यायालय—रीगस्ट्राट

सुप्रीम कोर्ट के सब साधारण सदस्य, और उन्नी हो संख्या में ऊपरी भवन के सदस्य होते हैं। न्यायालय अपने प्रेसीडेण्ट का स्वयं चुनाव करता है। ऊपरी भवन के सदस्य अपनी सदस्यता से अलग हो जाने पर भी न्यायाधीश बने रहते हैं और कार्यवाही में भाग लेते हैं। मंत्री या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर राजा या फार्लैण्टीन न्यायालय के सम्मुख अभियोग लगा सकती है। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

: २२ :

इटली

न्याय विभाग

सब सरकारी कर्मचारी निजी अधिकारों—स्वार्थों में नहीं—में हस्ताक्षर करने पर साधारण न्यायालयों के सम्मुख पेश किये जा सकते हैं—फ्रांस से तुलना कीजिए जहाँ अधिकारों और स्वार्थों दोनों ही मामलों में एक-सा बर्तावा होता है।

‘कोर्ट आफ सैसेशन’ (Cessation) एक विशेष न्यायालय है। यह समस्त न्यायालयों के ऊपर अन्तिम न्यायालय है। यह न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि कोई विशेष मुकद्दमा किसी न्यायालय में जाना चाहिए।

न्यायाधीशों को सम्राट मंत्रियों की सिफारिश पर नियुक्त करता है। साधारणतया तरफ़ी दे दी जाती है। कानूनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए तबादले होते रहते हैं और

पद से अलग भी किया जा सकता है—ये सभी निश्चय 'कोर्ट आफ कैसेशन' के सामने रखे जाते हैं।

जुरी प्रथा है—किन्तु संतोषजनक नहीं।

शासन सम्बन्धी ट्रिब्यूनल —प्रत्येक प्रांत में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रियों की सिफारिस पर सम्राट करता है

फ्रांस में इसी प्रकार की संस्था 'काउन्सिल आफ स्टेट' है।

: २३ :

मैक्सिको

संघीय राज्य

१—मैक्सिको के राज्य में लोक तंत्रात्मक किस्म की सरकारें हैं और उनमें लोकप्रिय प्रतिनिधि संस्थायें हैं। प्रतिनिधियों की संख्या जन-संख्या के अनुगत से है, किन्तु न्यूनतम संख्या १५ है।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य और एक स्थानापन्न चुना जाता है।

सीमायें राज्य के ऐजेन्ट के द्वारा कॉंग्रेस की स्वीकृति पर निर्धारित की जाती हैं।

इन्हें मुद्रा और विनिमय अथवा अंतर्राज्यीय चुंगी संबंधी अधिकार प्राप्त हैं।

२—शासन विधान में यह निर्देश दिया गया है कि संघ तथा राज्य की व्यवस्थापिका सभायें शराब बन्दी के लिये कानून बना सकेंगी।

३—बिना कॉंग्रेस की अनुमति के कोई भी राज्य तटकर या बजनकर (Tonnage dues) नहीं लगा सकता और न स्थायी सेना या युद्ध-पोत ही रख सकता है।

४—राज्यों को, विदेशी हमले से बचाव के लिये, लोकतंत्र की सहायता पाने का पूरा अधिकार है।

५—कोई भी व्यक्ति एक साथ दो पद, संघ के या राज्य के ग्रहण नहीं कर सकता।

॥ ६ ॥

आधारभूत अधिकार व स्थानीय सरकार

: १ :

आयरलैण्ड

आधारभूत अधिकार व स्थानीय सरकार

विधान बिलों को विचारार्थ रिज़र्व करने की सत्ता को स्वीकार करता है और व्यवस्थापिका सभा को भंग करने के अधिकार का ज़िक्र नहीं करता क्योंकि सन् १९२२ ई० तक यह प्रथा प्रचलित नहीं रही थी।

आधारभूत अधिकार और नागरिकता :—

नागरिकता—कोई भी व्यक्ति जो स्वयं, या जिसके माता-पिता या तो आयरलैण्ड में पैदा हुये हों या ७ वर्ष से रह रहे हों।

भाषा—आयरिश है पर इंगलिश भी मानी जाती है।

सिवाय 'काउन्सिल आफ स्टेट' के परामर्श से कोई पदवी नहीं दी जा सकती।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता—सिवाय सैन्य आवश्यकताओं के समय युद्ध अथवा विद्रोह के कारण—सब को प्राप्त है।

धर्म और आत्मा सम्बन्धी स्वतन्त्रता (धारा ८)।

स्वतन्त्रता पूर्वक बोलने और सभा करने का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का सब के लिये प्रबंध है।

समस्त भूमि, जल, खानें और खनिज पदार्थ राज्य की सम्पत्ति है और कानून के मुत बिक्र उनका प्रबन्ध होता है—कोई पट्टा (Lease) ९९ वर्ष की अवधि से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता।

: २ :

आस्ट्रेलिया

साम्राज्य की सरकार के अधिकार :

कोई भी ऐसा बिल जो प्रिवी काउन्सिल को जाने वाली अपीलों को सीमित करता है या जो संघीय राज्य या किसी भवन के शासन विधान को परिवर्तित करता है या जो गवर्नर के वेतन में कमी-वैशी करता है सम्राट की अनुमति के लिये रख लिये जाते हैं। अन्तिम विषय में यदि गवर्नर से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक नहीं।

निर्देश पत्र (Instrument of Instructions)—बिलों को सुरक्षित रखने के विषय में—सन् १९२६ की साम्राज्य की कांग्रेस में इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक डोमिनियन को अपने घरेलू मामलों में सम्राट को परामर्श देने का अधिकार है अर्थात् किसी बिल को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे विषयों में पहले से ही विचार-विनिमय कर लेना उचित समझा जाता है।

ध्वजाः—नीले निशानों सहित यूनियन जैक वहाँ की सेना के लिये प्रयोग किया जाता है।

: ३ :

कनेडा

आधारभूत अधिकारः—इनमें शिक्षा भी सम्मिलित है।

: ४ :

दक्षिणी अफ्रीका

साम्राज्य की सरकार के अधिकार :

कोई भी ऐसा बिल जो प्रिवी काउन्सिल को जाने वाली अपीलों को

सीमित करता है या सघीय राज्य या किसी भवन के शासन विधान को परिवर्तित करता है या गवर्नर के वेतन में कमी-वेशी करता है, सम्राट की अनुमति के लिये रख लिये जाते हैं। अन्तिम विषय में यदि गवर्नर से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक नहीं।

निर्देशपत्र (Instrument of Instructions)—बिलों को सुरक्षित रखने के विषय में—सन् १९२६ की साम्राज्य की कान्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक डोमिनियन को अपने घरेलू मामलों में सम्राट को परामर्श देने का अधिकार है अर्थात् किसी भी बिल को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे विषयों में पहले ही से विचार विनिमय कर लेना उचित समझा जाता है।

हिसाब-निरीक्षक (Auditors)—प्रत्येक प्रान्त में स्वाधीन हिसाब निरीक्षक हैं जिनको सिवाय प्रेसीडेंट और गवर्नर-जनरल को विश्वास के नहीं निकाला जा सकता। उनको गवर्नर-जनरल और प्रेसीडेंट निर्धारित करते हैं। कोष से धन लेने के आज्ञापत्रों पर 'शासक' के हस्ताक्षर होते हैं। उस पर हिसाब-निरीक्षक के भी हस्ताक्षर होने चाहिये।

सरकारी नौकरियाँ:—प्रेसीडेंटों को पद देने के लिये एक पब्लिक सर्विस कमिशन की नियुक्ति हुई, और तत्पश्चात् गवर्नर-जनरल द्वारा प्रान्तों के लिये एक स्थायी पब्लिक सर्विस कमिशन नियुक्त किया गया।

भाषा:—अंग्रेजी और डच राज्य-भाषायें हैं।

नागरिकता:—समस्त व्यक्ति जो राज्य में पैदा हुए हैं और विदेशी नहीं है—वे ब्रिटिश प्रजाजन जो यूनियन में रहते हैं अथवा जिन्हें यूनियन की नागरिकता दे दी गई है या वे जो यूनियन में तीन वर्ष से रहते हैं और यूनियन के नागरिकों के छो-बच्चे।

अन्य राज्य की नागरिकता अपनाने पर यूनियन की नागरिकता नहीं रहती।

ध्वजा:—राष्ट्रीय झन्डा और यूनियन जैक—अर्थात् पुरानी रिपब्लिकन ध्वजा।

: ५ :

न्यूजीलैंड

युद्ध के पूर्व एक सिविल सर्विस कमीशन बन गया है।

स्थानीय सरकारों में—प्रतियो की योग्यताएँ स्त्रियों के लिये भी पर्याप्त समझी जाती हैं। बौरो (Borough) काउन्सिलों के चेयरमैन चुने हुए होते हैं। कुछ बौरो नाट्यशालाएँ चलाती हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में डोमोनियन सरकार से सहायता मिलती है किन्तु प्रबन्ध १३ बोर्ड करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है।

नौकरियों में प्रतियोगिता द्वारा भर्ती होती है—आयु १४ वर्ष।

डाक, तार और रेल विभागों के अतिरिक्त यह काम एक गैर-राजनैतिक सर्विस कमीशन के सुपुर्द है।

तरक्की पद के अनुसार दी जाती है—किन्तु विभिन्न श्रेणियों में तरक्की देते समय परीक्षाएँ होती हैं।

आधारभूत अधिकार—एशियावासी, आस्ट्रेलिया और कनाडा की भाँति ही इनसे वंचित हैं। प्रत्येक चीन निवासी को जो देश में प्रवेश करता है १०० पौंड 'कर' के रूप में देने होते हैं।

ध्वजा—नीले निशान का ही परिवर्तित रूप है।

: ६ :

फ्रांस

प्रत्येक मंत्री का अपना एक छोटा-सा मंत्रिमंडल रहता है जिसका एक प्रधान और एक उपप्रधान होता है। प्रधान और उसके सहकारी, मंत्री के साथ ही आते जाते हैं—किन्तु वह जाते कभी-कभी ही हैं क्योंकि इसी बौच में उन्हें स्थायी पद मिल जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों में बहुत से अफसर हैं। विभागों का प्रमुख एक डाइरेक्टर होता है। यह विभिन्न

उप-विभागों (Bureaus) में बँटे रहते हैं और इनका प्रधान एक स्थायी अफसर होता है। लगभग ५००,००० कर्मचारी हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं। तरक्की पद-योग्यता और सिफारिश के आधार पर दी जाती है।

न्याय विभाग:—

कानून स्थान-स्थान पर अलग-अलग है। प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीशों की बैच होती है। ६०००० न्यायाधीश हैं जबकि इंग्लैंड में १०० हैं। न्याय-विभाग शासन-विभाग का एक अंग समझा जाता है।

ज़िला न्यायालय—५ : १५

केन्टन न्यायालय—३ : १६ ३०१६।

अपील का न्यायालय पेरिस में है। इसके तीन विभाग हैं—सार्वजनिक अभियोग लगाने वालों की एक स्थायी बैच है। केवल 'कोर्ट आफ एसाइज' में जूरी का प्रयोग होता है—कैज़ेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट—४६ न्यायाधीश हैं।

३ विशेष ट्रिब्युनल हैं:—

व्यापारिक न्यायालय—मज़दूर न्यायालय—क्षतिपूर्ति न्यायालय। समस्त न्यायाधीश मण्डल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं—

तरक़ियों:—तीन-चौथाई स्थानों पर ये पद और योग्यता के अनुसार की जाती हैं, शेष की अन्य तरीकों से। कैज़ेशन कोर्ट न्यायाधीशों के विरुद्ध दुर्व्यवहार सम्बन्धी मामलों की सुनवाई कर सकता है और उन्हें हटा सकता है।

फौज़दारी कार्यवाही का ढग:—प्राथमिक जॉच-पड़ताल कोठरी (कैद) में होती है—उसके बाद न्यायाधीश अभियुक्त से अच्छी तरह प्रश्नोत्तर करते हैं। साक्षी के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। पाँच न्यायाधीश अभियोग लगाने हैं। इसके बाद मामला जूरी के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसमें ३६ व्यक्ति होते हैं।

दीवानी पक्ष, जिनको कि हानि हुई है, गवाहों को बुलाती है। पहले न्यायाधीश उनसे प्रश्न करते हैं और जूरी के सदस्य भी। इसके बाद वकील लोग अपनी युक्तियाँ पेश करते हैं। अभियोग, सफ़ाई,

सफाई को युक्तियों का खन्डन, फिर सफाई । न्यायाधीश जूरी के हाथों में पूरा अधिकार नहीं सौंपती, केवल प्रश्न पूछते हैं । जूरी प्रश्नों का उत्तर मतपत्रों द्वारा देने हैं । न्यायाधीश जूरियों के कमरे में जाता है जूरी अमेरिका की तरह कभी भी न्यायाधीश के पास परामर्श के लिये नहीं जाती । जूरी सर्व प्रथम दण्ड के बारे में अपनी तसल्ली करना चाहती है—न्यायाधीश अभियुक्त को केवल सर्व सम्मति से छोड़ सकते हैं लेकिन जूरी की छः वोट पक्ष और छः विपक्ष में आने पर या सात पक्ष और पांच विपक्ष में आने पर वे अभियुक्त को दण्ड नहीं दे सकते । राजनीतिक विषयों में और हड़ताल सम्बन्धी मामलों में जूरी हलका दण्ड देती है । अपराधों और आवेश में किये गये अपराधों के अलिखित कानून हैं ।

बन्दी अपने विरुद्ध स्वयं साक्षी देता है ।

: ७ :

स्विटजरलैण्ड

जनरल बातें—केंद्रीय और राजकीय ।

कैन्टन शासन, कानून और न्याय के लिये एक दूसरे से समझौते कर सकते हैं । संघ को युद्ध और शांति, व्यापार और सन्धियों के एकमात्र अधिकार प्राप्त हैं ।

स्थायी सेना नहीं रखी जाती । प्रत्येक कैन्टन में ३०० सैनिक होते हैं । घरेलू फ्रौज का खर्च कैन्टन देते हैं, किन्तु आम फ्रौज के लिये नहीं ।

प्रत्येक स्विस नर को सैन्य-सेवा करना अनिवार्य है ।

जन निर्माण कार्य एक केन्द्रीय विषय है । इसी प्रकार पुलिस, जंगलों और बौधों पर केन्द्रीय नियंत्रण है । जल-शक्ति, फिर से जंगल लगाने, समुद्री आवागमन संबंधी कानून, बिजली, मछली पकड़ना, शिकार करना, जंगली जानवरों की रक्षा, रेलों संबंधी कानून, पेशे संबंधी शिक्षण संस्थाएँ और विश्वविद्यालय—कैन्टन के कर्त्तव्य हैं ।

आधारभूत अधिकारः—१—पद, जन्म और परिवार संबंधी

कोई विशेष सुविधायें नहीं । २—संघ के सदस्य विदेशियों से कोई भेंट, पदक इत्यादि स्वीकार नहीं कर सकते, ३—व्यापार की स्वतंत्रता सुरक्षित है—नमक, बारूद और शराब को छोड़कर । ४—कैन्टन का प्रत्येक, नागरिक संघ का भी नागरिक होता । ५—राजनीतिक अधिकारों का उपयोग केवल एक कैन्टन में किया जा सकता है । ६—नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करने के लिये तीन महीनों का निवास आवश्यक है । ७—नागरिकता प्रदान करना एक संघीय विषय है । प्रत्येक नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है बशर्ते उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो (अ) किसी अपराध में दण्डित होकर नागरिक अधिकार खिन जाने से, (इ) गम्भीर अपराधों में बारबार दण्ड पाने से, (ए) सार्वजनिक दान पर स्थायी बोझ होने से, (ओ) और जन्म स्थान के कम्यून या कैन्टन द्वारा उसका खर्चा उठाने से इन्कार करने से । ८—आत्मिक स्वतंत्रता है—पर इस की आड़ में नागरिकता के कर्त्तव्यों को उठाने से इन्कार नहीं किया जा सकता । ९—जैसूएट और इनकी कार्यवाही पर रोक लगी है । १०—नये धर्म के स्थापन और पाबन्दी लगे धर्मों को फिर से चलाने की मनाही है । ११—विवाह की रक्षा की जाती है । १२—स्त्री को पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है । १३—विवाह से पूर्व उत्पन्न सन्तानें विवाह होजाने के उपरान्त नियमित मानी जाती हैं । १४—कैन्टन प्रेस की स्वतंत्रता की गारन्टी करते हैं । १५—मृगण के लिये कोई बन्दी नहीं बनाया जा सकता, १६—किसी भी राजनीतिक अपराध में मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता । १७—मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता ।

: ८ :

जर्मनी

आधारभूत और आम अधिकार

१—ध्वजा—काला लाल और सुनहला । अब (१९३३ ई०) हटादी गई है पुरानी राजशाही ध्वजा । २—आगे से जर्मन या विदेशी पद

नहीं दिये जा सकते । ३-- न्यायालयों और शिक्षण संस्थाओं में सभी विदेशी भाषाओं का प्रयोग करने की इजाजत है । ४—राजनीतिक विचारों और समुदायों को बनाने की स्वतंत्रता है । ५—संघीय राज्यों के सदस्य आपस में स्वतंत्रतापूर्वक संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । ८—अधिक संतानों वाले परिवार विशेष सहायता पाने के अधिकारी हैं । ९—नाजायज़ बच्चों को पाला जाता है और उनकी रक्षा की जाती है । १०—खुले आम होने वाली सभायें करने के लिये सूचना देनी होती है और उन पर रोक भी लगाई जा सकती है । ११—अफसरों के अधिकार—(क) अफसरों के विरुद्ध कोई रिमार्क बिना उन्हें सफाई का अवसर दिये नहीं चढ़ाया जा सकता । (ख) सम्पूर्ण विवरण देखने को मिलते हैं । (ग) अफसरों को राजनीतिक समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है । १२—धर्म—सिवाय न्याय अथवा ओकड़े संबंधी सूचना एकत्रित करने के कोई भी अपना धर्म बताने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । १३—धार्मिक संस्थाओं के संघों को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है । १४—शिक्षा—कला, और विज्ञानों की—निःशुल्क है और इनके अध्यापन के लिये नियम बने हुए हैं । १५—निजी शिक्षण संस्थायें भी राज्य के कानूनों के मातहत काम करती हैं । १६—शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, नागरिकता, राष्ट्रीय भावना, और भाई-चारे की भावना फैलाना है । साथ ही पेशे संबंधी और व्यक्तिगत कुशलता बढ़ाना भी उसका उद्देश्य है । प्रत्येक छात्र पढ़ाई छोड़ने पर शासन-विधान की एक पुस्तिका पाता है । आर्थिक जीवन भी संगठित किया जाता है जिससे मानव जीवन रहने योग्य बनाया जा सके—सम्पत्ति पर नियंत्रण है—भूमि पर नियंत्रण इसलिये किया गया है कि स्वस्थ घर और मितव्ययिता से गृहस्थी का काम चल सके ।

: ६ :

सोवियत रूस

स्थानीय सरकार

१—चुनाव का ढंग केवल गाँवों और नगरों में प्रत्यक्ष है । ३००

व्यक्ति से कम जनसंख्या वाले गाँवों का अन्य गाँवों के साथ एक समूह बना दिया जाता है। नगरों में केवल कारखाने और बड़े गोदाम चुनाव करते हैं। यह प्रतिनिधित्व ५०० व्यक्तियों के पीछे एक के अनुपात से होता है। वार्षिक चुनाव। सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है।

२—**वोलस्त सोवियत**—१० गाँव के पीछे एक—इसका काम ग्राम शासन कार्य करना है। साल में एक बार अधिवेशन होता है लेकिन चेयरमैन की कान्फ्रेंसें अक्सर होती रहती हैं।

३—**वोलस्त कान्फ्रेंस**—ग्राम सोवियतों की यूज़द या देहाती कॉंग्रेस के लिये १००० के पीछे एक के अनुपात से डिपुटी भेजती है। अधिकतम संख्या ३०० है। एक दर्जन विभाग हैं जिनमें युद्ध श्रम, शासन, राजस्व, शिल्प, कृषि, अन्न और स्वास्थ्य भी है।

४—**प्रान्तीय कॉंग्रेस या गूबरनिया**—इसमें वोलस्त सोवियतों और नगरों से प्रतिनिधि आते हैं। वोलस्त से १००० के पीछे एक डिपुटी और नगर से २००० मतदाताओं के पीछे एक डिपुटी आता है। अधिकतम संख्या ३०० है, १५ विभाग हैं; इनमें नये विभाग हैं न्याय, डाक और तार और विशेष न्याय-विभाग भी हैं जिसे एकमट्रा-आरडीनरी कमीशन कहते हैं।

५—**प्रादेशिक कॉंग्रेस या ओब्लास्ट**—कॉंग्रेस या तो स्वयं एकज़ीक्यूटिव काउन्सिल द्वारा बुलाई जा सकती है या स्थानीय सोवियतों की माँग पर। यदि माँग करने वाले स्थानीय निवासियों के कम से कम एक तिहाई हों और यदि नगर की तरफ से माँग हो तो संख्या में आधे हों। नगरों में सप्ताह में कम से कम एक बार और देहातों में दो बार मिज़ना आवश्यक है। १५ दिन में एक बार रिपोर्ट देनी चाहिए, यदि दो रिपोर्टें न दी जाय तो हटाया जा सकता है।

६—**आल रशिया कॉंग्रेस**—इसमें नगर सोवियतों से २,५०,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और प्रान्तीय कांग्रेस से १२,५०,००० निवासियों के पीछे एक प्रतिनिधि आता है।

राष्ट्रों के स्वतन्त्र संघ का एक संघीय प्रजातन्त्र है। समस्त शोषण का अन्त कर दिया गया है। भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त कर दिया गया है। वह जनता को बिना क्षतिपूर्ति के दे दी गई है। समस्त

जंगल, भूमि के अन्दर के खनिज पदार्थ, जल शक्ति, जानवर—आदर्श काम और खेती बाड़ी को 'सार्वजनिक सम्पत्ति' घोषित कर दिया गया है। तृतीय कांग्रेस ने ऋणों को अस्वीकृत कर दिया और उसके बाद इस निश्चय की पुष्टि हो चुकी है। समस्त बैंकें सरकारको हस्तान्तरित कर दी गई हैं। काम करना प्रत्येक के लिये अनिवार्य है। मजदूरों को हथियार दिये जाते हैं। समाजवादियों की लाल सेना ने शोषण को रोकने का बीड़ा उठा लिया है। गुप्त सन्धियों को मानने से इन्कार कर दिया गया है।

तृतीय कॉंग्रेस ने अपना क्षेत्र रूस तक सीमित रखा है और अन्य प्रदेशों को इस बात की स्वतन्त्रता देदी है कि यदि वे चाहें तो सोवियतें बनाकर उसके साथ सम्मिलित हो जाँय।

प्रतिनिधियों को वापस बुलाने (Recall) का अधिकार है।

सोवियत अधिकारियों की आम कान्फ्रेंस का कार्य —

- १—बड़े निर्देशों को कार्य रूप में परिणित करना।
- २—सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के लिये व्यवस्था करना।
- ३—स्थानीय महत्व के प्रश्नों का निबटारा करना।
- ४—स्थानीय कार्यवाहियों को एक सूत्र में बाँधना।

: १० :

ज़ैकोस्लोवाकिया

ध्वजा:—श्वेत, लाल और नीली। शपथ ली जाती है; प्रजातन्त्र के प्रति वफ़ादारी—उसके कानूनों का पालन करना कर्त्तव्यों को यथा शक्ति और योग्यता के अनुसार पूरा करना।

: ११ :

अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र

राज्यों के न्यायाधीश:—सात राज्यों में गवर्नरों द्वारा आजीवन के लिये चुने जाते हैं किन्तु सीनेट या लैजिस्लेटिव काउन्सिल की सहमति

आवश्यक है। सार्वजनिक अभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पाँच राज्यों में एक निश्चित अवधि के लिये और दो में जीवन भर के लिये होते हैं। चार अन्य राज्यों में व्यवस्थापिका सभा द्वारा एक छोटी या बड़ी अवधि के लिये चुने जाते हैं। औरों में जनता द्वारा चुने जाते हैं और एक में जन्म भर के लिये। वेतन १२०० पाँड से लेकर कम-इयादा है। विशेषतायें हैं:—

(i) कम वेतन।

(ii) छोटा कार्य काल।

(iii) पार्टी लीडरों द्वारा चुनाव—इनके कारण इन पदों के लिये लोग उत्सुक नहीं रहते, राज्यों के न्यायाधीश पद में वकीलों से नीचे समझे जाते हैं।

सिविल सर्विस:—

चुंगी और डाक—वैज्ञानिक और कूटनीतिज्ञ अफसर—राजदूत; काउन्सिल—प्रेसीडेंट के साथ ही सब पदों को छोड़ देते हैं—यह पार्टी को लूट समझे जाते हैं और इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र के प्रति बफ़ादार न होकर अपनी पार्टी के प्रति बफ़ादार होते हैं। इन्हें पार्टी के कोष में चन्दा देना होता है और पार्टी के काम का पहला ध्यान रखना होता है, नहीं तो निकाले जाने का डर रहता है। न तो पद के बारे में कोई निश्चितता होती है और न तरफ़ों के बारे में। सन् १८८२ ई० से कुछ सुधार हो गये हैं। सिविल सर्विस कमिशनर नियुक्त हो गया है—२६२,००० नौकरियाँ इसके अंतर्गत आ गई हैं। फिर भी राष्ट्रीय सरकार १६०,००० पद अब भी पार्टी के हाथ में रहते हैं। वैज्ञानिकों को छोड़ कर अन्य सरकारी अफसर योग्य नहीं। एक सिविल सर्विस कमीशन है जो ५००,००० संघ की नियुक्तियों में लगभग २८५,००० नियुक्तियों से संबंध रखता है किंतु प्रेसीडेंट किमी भी आफिस को इस श्रेणी से निकाल कर अलग कर सकता है।

म्यूनिसिपैलिटियां:—दो प्रकार की हैं। (I) मेयर जो नागरिकों द्वारा चुना जाता है; अवधि ४ वर्ष। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। मेयर तथा काउन्सिलरों को वेतन मिलता

है। काउन्सिलों के कहीं कहीं एक और कहीं दो भवन होते हैं। (II) कमैटी व्यवस्था—दो से छः सदस्यों तक की एक काउन्सिल होती है—खूब वेतन दिया जाता है।

(I) नगरों का शासन स्वयं नागरिक करते हैं—वह व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो 'शासन-परिषद' बनाते हैं जिनको जॉच-पड़ताल के अधिकार रहते हैं। अगले वर्ष के अफसर चुने जाते हैं। (II) काउन्टी:—यह न्याय के विभाग (क्षेत्र) हैं। इनका शासन थोड़ी अवधि के लिये चुने हुये अफसरों द्वारा होता है। काउन्टी काउन्सिल नहीं होती।

काउन्सिलों (परिषदों) का काम निरीक्षण का नहीं है। अफसर काम चलाते हैं—कानूनों से कर्त्तव्य निर्धारित हैं। उत्तर-मध्य के पश्चिमी राज्यों में प्रबन्ध जनता के हाथों में है। काउन्टी अफसर पार्टी के आधार पर रखे जाते हैं।

शहरों का शासन असफल है। अमीरों को दिलचस्पी नहीं। मिश्रित जनता तेजी से बढ़ रही है और कोई कर नहीं हैं। नागरिक पार्टी-बाजी के शिकार हो जाते हैं। जनता के मिश्रित होने के कारण उनमें इतनी अधिक एकता की भावना नहीं रहती:—आयरिश, जर्मन, पोल स्विस, इटैलियन, ज़ैक, स्वीडिश, स्लाव, मैगियार, रशियन, ग्रीक, ऑग्रेज, सीरियन, और पोलिश यहूदी। मताधिकार बिना योग्यता का ध्यान रखे दिया जाता है।

बदमाश लोग नगर के शासन और राज्य तथा संघ पर धीरे धीरे आधिपत्य जमा रहे हैं। वे अपने एक गिरोह बना लेते हैं या स्वयं 'बादशाह' बन बैठते हैं। शक्ति रेलवे बोर्डों और विश्वविद्यालयों के हाथों में रहती है।

: १२ :

पोलिश प्रजातंत्र

आधारभूत अधिकार:—भूमि को टुकड़े टुकड़े करके नहीं बाँटा जा सकता।

: १३ :

स्वीडन

जीवन, यश, भलाई, व्यक्तिगत और वास्तविक सम्पत्ति, घर की शान्ति और आत्मा की स्वतंत्रता—सभी सुरक्षित हैं।

अभियुक्त को क्षमा-प्रार्थना या दण्ड दोनों में से चुनने की छूट है।

विदेशियों को प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकता है (धर्म शास्त्र का नहीं); सेना में नियुक्त किया जा सकता है किंतु किलों की अफसरी नहीं सौंपी जा सकता और डाक्टरों का पद दिया जा सकता है।

स्त्रियों को पादरियों के पद नहीं दिये जा सकते।

प्राकृतीकृत नागरिक को समान अधिकार होते हैं, किंतु उसे काउन्सिल आफ स्टेट में स्थान नहीं मिल सकता।

बैरन (Baron) और काउन्ट (Count) की उपाधियाँ दी जाती हैं जो व्यक्तिगत और पैतृक होती हैं। आम अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम है राजी से कोई गई भर्त्ता से बनाई गई एक स्थायी सेना भी रहती है।

प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि पहले से प्रकाशन पर नियंत्रण (Censor) नहीं होता लेकिन बाद में दण्ड दिया जा सकता है।

: १४ :

नार्वे

अपराधी यह कहने का अधिकार रखते हैं कि वे दण्ड भोगेंगे या राजा से क्षमा-प्रार्थना करेंगे।

राजकुमार उच्च पद ग्रहण नहीं कर सकते।

व्यक्तिगत अथवा मिश्रित पैतृक उपाधियों या सुविधाओं की अनुमति नहीं है।

स्टेथिंग विदेशियों को प्राकृतीकृत करने के लिये नियम बनाती है। राष्ट्रीयता—सरकारी पद केवल राष्ट्रीय नागरिकों को ही दिये जाते हैं—जो राष्ट्र-भाषा बोलते हों, राष्ट्रीय माता-पिता की सन्तान हों—जो पुत्र-जन्म के समय राज्य की प्रजा हों अथवा उस समय विदेश में हों किन्तु अन्य राज्य के नागरिक न हों और इस वैधानिक कानून के पश्चात् कम से कम राज्य में १० वर्ष तक रहे हों या स्टेथिंग द्वारा उनका प्राकृतीकरण हो गया हो।

अपवाद—अध्यापक (विश्वविद्यालय और कालेजों के), डाक्टरी अफसर और कोन्सल्स (Consuls)। ग्राम आधारभूत अधिकारों को माना जाता है। कोई अर्थ अथवा बैरन नहीं है। और न भविष्य में कोई जागीर दी जा सकती है।

एक बार अनिवार्य रक्षा के लिये बुलावा दिया जा सकता है।

ईवेन्गेलिक लूथर धर्म प्रचलित है—जैस्यूट्स (Jesuits) को सहन नहीं किया जाता।

स्टेथिंग पाँच हिसाब-निरीक्षर नियुक्त करतो है।

: १५ :

आस्ट्रिया

संघ के आय-व्यय का लेखा: एक 'कोर्ट आफ एकान्ट्स' सीधे नेशनल काउन्सिल के मातहत होता है। उसका प्रेसीडेंट नेशनल काउन्सिल की 'मुख्य कमैटी' के प्रस्ताव पर चुना जाता है—वह किसी प्रतिनिधि संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिये और न गत पाँच वर्षों में होना वाला कोई मंत्री ही होना चाहिये। नेशनल काउन्सिल के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। संघ का प्रेसीडेंट अफसरों की नियुक्तियाँ करता है।

शासकवर्गीय न्यायालय:—इसमें प्रेसीडेंट होता है। आधे न्यायाधीशों को संघ सरकार नामज़द करती है और पीपुल्स कमिशनर स्वीकृति देता है। शेष आधे न्यायाधीशों को 'मुख्य कमैटी' फ़ैडरल

काउन्सिल की सहमति से नियुक्ति करती है। इस न्यायालय का कार्य शासन और वैधानिक गारन्टियों के संबंध में अंतिम अपील सुनना है किंतु इस ढंग में लगनेवाले समय को कम करने के लिये कानून बनाया जा सकता है किंतु यह कार्यवाही साधारण न्यायालयों या वैधानिक न्यायालयों अथवा सम्मिलित बोर्ड से सम्बन्धित विषयों में नहीं की जा सकती।

स्थानीय सरकार

कम्यून स्वाधीन आर्थिक इकाई हैं। २०,००० या कम जनसंख्या होने पर स्थानीय और २०,००० से अधिक होने पर ज़िला या शहरी कहलाता है। स्वतंत्र राजस्व, कर और आर्थिक कार्य होते हैं। यह सम्पत्ति को ले सकता है और रख सकता है। स्थानीय — “एक बाजार के काम के लायक पुलिस — दस्ता स्थानीय सुरक्षा के लिये होता है।

: १६ :

स्लावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य

आधारभूत अधिकार

समुदाय बनाने का अधिकार — बोलने — प्रेसकी — टेलीग्राफ और डाक संबंधी अधिकार हैं।

युद्ध के समय वैयक्तिकता के अधिकारों को मंजूर किया जा सकता है। राजनीतिक अपराधियों के लिए मृत्यु दण्ड उड़ा दिया गया है किंतु राजद्रोह और खून के अपराधों में अब भी यह दिया जाता है।

: १७ :

ऐस्थोनिया

आधारभूत अधिकार

कोई कानून वर्ग विभाग नहीं है। कोई भी उपाधियाँ, देशी या विदेशी नहीं मानी जातों। फ़ौजदारी के कानून बीते समय के लिये उलट

कर लागू नहीं किये जा सकते। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। भाषण की स्वतंत्रता है पर नैतिकता और देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये कुछ रोकें लगी हुई हैं। डाक, तार, टेलीफोन के उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं निवाय न्यायालयों की आज्ञा के। अल्प संख्यक जातियों को अपनी संस्कृति की उन्नति के लिये अलग-अलग स्थायी बनाने की अनुमति है। अल्पसंख्यकों की भाषाओं का प्रयोग वर्जित नहीं किंतु राष्ट्र-भाषा सर्वोपरि है।

जर्मन-रशियन-स्वीडिश बोलने की या लिखने की व्यवस्थापिका सभा और न्यायालयों में छूट है।

: १८ :

इंगलैण्ड

आधारभूत अधिकार

“ब्रिटिश प्रजा” शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो राजा को मानते हैं। यह शब्द केवल ब्रिटिश द्वीपसमूहों के निवासियों तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक संस्थाओं में चलने वाले अधिकारों की कोई निवास योग्यता नहीं होती—न कोई अयोग्यता ही होती है।

: १९ :

बेल्जियम

आधारभूत अधिकार :

नागरिकता के कानून हैं—प्राकृतीकरण, केवल जब पूर्ण होता है तो, विदेशियों को समान राजनीतिक अधिकार दे देता है।

सभी बेल्जियम-निवासी समान हैं—व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित है—घर में नहीं घुसा जा सकता—तलाशी नहीं ली जा सकती और न कानून के विरुद्ध सम्पत्ति ही छीनी जा सकती है। सम्पत्ति और नागरिक

अधिकारों को एकदम पूरा नहीं छीना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता सुरक्षित है। सामाजिक विवाहों के पूर्व सदा धार्मिक कृत्य किये जाने चाहियें—निजी निर्देशों के प्रति कोई रोक नहीं है।

प्रेस स्वतंत्र है—किसी समय कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता—यदि लेखक के बारे में पता हो तो सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक या विक्रेता पर अभियोग नहीं लगाया जाता।

खुले आम सभा करने की स्वतंत्रता है, पर पुलिस के नियमों को मानना होता है—अधिकारों के लिये निवेदन-पत्र देने की छूट है—संयुक्त निवेदन-पत्र केवल कानूनी ढंग से संगठित संस्थायें ही दे सकती हैं।

वेल्लियन को भाषा के उपयोग में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। समस्त अधिकार राष्ट्र से प्राप्त होते हैं।

ध्वजा:—लाल पीली और काली।

राज्याचेहः—वेल्लियन शेर—एकता में ही शक्ति है।

: २० :

स्पेन

कैस्टेलियन भाषा है।

घोषणा कर दी है कि स्पेन युद्ध को राष्ट्रीय नीति का अस्त्र नहीं मानता।

अंतर्राष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय कानूनों का एक भाग माना जाता है।

प्रांत मिलकर राजनीतिक और शासन प्रदेश बना सकते हैं बशर्ते कि उसका अधिकार-पत्र उसकी सरकारी संस्थाओं के बहुमत द्वारा पेश किया जाय या मत-विभाजन में दो-तिहाई के बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाय और दो-तिहाई मत-दाताओं द्वारा मान लिया जाय और कोर्टाज़ द्वारा उसके लिये सहमति दे दी जाय।

कोई भेद-भाव नहीं है और कोई राज-धर्म भी नहीं है।

आम आचार भूत अधिकार दिये गये हैं।

परिवार, आर्थिक अवस्था, किसान, कलायें, और संस्कृति सभी की सुरक्षा का प्रबन्ध है।

: २१ :

डेनमार्क

पन्द्रह सदस्यों की एक कमेटी द्वाग (जिसे व्यवस्थापिका-सभा के दोनों भवन चुनते हैं) चार हिसाब-निरीक्षक चुने जाते हैं। ये कागज़ों को देखभाल के लिये माँग सकते हैं और इस बात की परीक्षा कर सकते हैं कि वे कागज़ सच्चे हैं।

पुरुष-स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

राजधर्म—ईवेंगलिकन लूथरेन—राज्य इस चर्च को चलाता है।

कानून के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जा सकता है—न सैना को इधर-उधर भेजा जा सकता है—न कोई समझौते किये जा सकते हैं—न भूमि ही दी जा सकती है।

धार्मिक कारणों से न तो किसी के अधिकार कम होते हैं और न वह कर्त्तव्यों से ही छुटकारा पा सकता है।

नागरिकों को कुछ शर्तों पर राज्य से सहायता दी जाती है

निर्धन बच्चों को निशुक्ल शिक्षा दी जाती है।

प्रत्येक व्यक्ति प्रकाशन कर कर सकता है किंतु दण्ड भी पा सकता है।

कोई नियंत्रण नहीं और न कोई रोक लगाने वाले कानून ही हैं।

सरकार किसी भी समुदाय को स्थायी रूप से भग नहीं कर सकती।

: २२ :

इटली

फ्रान्स के समान ही हैं—केन्द्रीय करण—मंत्रियों द्वारा निरीक्षण होता है—२५ सूबों में—व्यवस्था में अंतर है। प्रत्येक में प्रीफैक्ट होता है जो मंत्रियों की सिफारिस पर राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है—नीचे के अफसरों को तरकी देकर प्रीफैक्ट पद दे दिया जाता है। राष्ट्रीय सरकार का स्थानीय एजेन्ट होता है। राजनीति में सक्रिय भाग

लेता है—चुनाव के परिणामों के अनुसार उसकी उन्नति अथवा अवनति हो जाती है—प्रबन्ध विभाग के सदस्य (एक तरह का प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल) उसके काम में सहायता करते हैं ।

प्रत्येक प्रान्त में एक शासन परिषद है जिसकी बैठकें महीनों होती हैं—अवकाश के समय वह एक कमीशन नियुक्त कर देती है । किन्तु प्रीफैक्ट राष्ट्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इस प्रकार प्रीफैक्ट और प्रान्तीय परिषद मिलजुल कर काम करती है ।

जिले और कम्यून है—शहर, नगर और गाँव स्थिति में कोई कानूनी भेद नहीं है—सभी कम्यून कहलाते हैं । मेयर तीन वर्ष के लिये चुना जाता है—उसे हटाया नहीं जा सकता—लेकिन प्रीफैक्ट उसे हिदायतें देता है और इस प्रकार वह दो स्वामियों का सेवक होता है । स्थानीय व्यवस्था में पार्टीबन्दी बहुत चलती है ।

: २३ :

जापान

आधारभूत अधिकार :

१५ धाराओं में गिनाए गये हैं—शासन विधान में नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पूर्ण गारन्टी नहीं है — लेकिन कानूनों ने इस कमी को पूरा कर दिया है ।

मताधिकार का विस्तार प्रेस और भाषण की स्वतन्त्रता । सार्वजनिक सभायें और राजनीतिक समुदाय बनाने के अधिकार—फौजदारी कानून में सुधार—यह सार्वजनिक अधिकारों के विकास के परिचायक हैं ।

पार्टी व्यवस्था :—इन्दीरी (Indiri) के चारों ओर केन्द्रित है जो कि फौजदारी व्यवस्था का अवशेष है किन्तु अब व्यक्तियों का स्थान नीतियों लेती जा रही है ।

: २४ :

मैक्सिको

आधार भूत अधिकार और नागरिकता

(१) सभी व्यक्ति निजी सुरक्षाओं का उपयोग करते हैं । (२) दास-प्रथा की मनाई है । बाहर से आने वाले दास राज्य में आकर स्वाधीन हो जाते हैं । (३) शिक्षा निशुल्क है किन्तु धार्मिक नहीं । (४) कोई धार्मिक संस्था अथवा धर्माधिकारी प्राथमिक स्कूलों को स्थापित नहीं कर सकता; और निजी प्राथमिक स्कूल केवल अधिकारियों की सहमति पर खोले जा सकते हैं । (५) सभी व्यक्ति किसी भी कानूनी पेशे को अपनाने में स्वतन्त्र हैं । (६) कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून से और किसी भी तरह अपने परिश्रम के फलों से वंचित नहीं रखा जा सकता । (७) पेशों के लिये लाइसेन्स कानून के अनुसार दिये जाते हैं । (८) समस्त श्रम स्वेच्छा निर्भर हैं । (९) किन्तु निम्न सेवाएँ अनिवार्य हैं : (अ) सैन्य सेवा (आ) जूरी कार्य (इ) स्थानीय चुनावों में अफसर पद (ई) चुनाव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेवा (ए) राज्य ऐसे किसी राजीनामे या समझौते की अनुमति नहीं देता जो (i) मजदूरी (ii) शिक्षा (iii) निषेधित धार्मिक पदों या (iv) स्वेच्छा से किये गये उपचार के आधार पर स्वतन्त्रता को कम करते हैं । (१०) कोई भी श्रम-समझौता एक पक्ष के विरुद्ध या उसके हितों के खिलाफ एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं हो सकता न उसके द्वारा किसी भी नागरिक अधिकार को छोड़ा, कम या ज़प्त किया जा सकता है । (११) समझौते के भंग करने पर कोई सज़ा नहीं दी जाती केवल क्षतिपूर्ति की जाती है । (१२) लेखन स्वतन्त्रता को भंग नहीं किया जा सकता । (१३) किसी अपराध के कारण प्रेस को ज़प्त नहीं किया जा सकता । (१४) आवेदन भेजने का अधिकार—शान्तिपूर्ण और आदरयुक्त हों तो उसका उत्तर अफसर के द्वारा दिया जाना चाहिये । (१५) किसी भी सशस्त्र समुदाय को विचार विनिमय का अधिकार नहीं है । (१६) किसी भी वैधानिक और शान्तिपूर्ण स्वभाव के होने में कोई रोक नहीं ।

(१७) सिवाय पुलिस नियमों के कानून द्वारा शस्त्र रखने में कोई रुकावट नहीं है (१८) कुलीनता की उपाधियाँ नहीं बांटी जा सकती। (१९) निजी कानूनों या विशेष अदालतों द्वारा अभियोग नहीं चलाये जा सकते। (२०) कोई विशेष सुविधाएँ या वेतन नहीं है कानून द्वारा केवल मुआवज़ा निर्धारित है। (२१) सैन्य शिक्षा केवल मैक्सिमो के नागरिकों तक ही कड़ाई के साथ सीमित रखी जाती है। (२२) कानून बीती बातों पर उलटकर लागू नहीं किये जा सकते। (२३) किसी व्यक्ति का जीवन उसकी सम्पत्ति या स्वतन्त्रता को बिना पहले से बने हुए कानूनों के अनुसार अभियोग चलाये हरण नहीं किया जा सकता। (२४) ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में जो अपने देश में गुलाम हों अन्य देशों से अपराधी प्रत्यर्पण (Extradition) के लिये सन्धि नहीं की जा सकती। (२५) कानूनी तरीके के अतिरिक्त किसी भी तरह किसी को व्यक्तिगत हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। (२६) तलाशी नहीं होती न कर्ज के लिये किसी को बन्दीगृह ही भेजा जा सकता है। (२७) सिवाय ऐसे अपराधों के लिये जो दूसरे व्यक्तियों को चोट पहुँचाने से सम्बन्ध रखते हैं और दण्ड के योग्य हैं और किसी मामले में पहले से ही बन्दी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के बन्दी-गृहों के स्थान जेलों से अलग होते हैं। (२८) संघ और राज्यों की सरकारें इस आधार पर कारावास संबंधी व्यवस्थायें और उपनिवेशों को संगठित कर सकते हैं कि परिश्रम सुधार का माध्यम है। (२९) किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी देने के लिये नहीं कहा जा सकता। (३०) बन्दी-जीवन का समय भी दण्ड के भाग की तरह मान कर गिन लिया जाता है। (३१) राजनीतिक अभियोगों के लिये मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता। (३२) किसी भी औद्योगिक समूहों, एकाधिकारियों को कर से बरी नहीं किया जा सकता; न उद्योग की रक्षा का आधार लेकर सिवाय मुद्रा, कार्पोराइट, नोटों के अन्य वस्तुओं के आयात पर रोक नहीं लगाई जा सकती। (३३) ऐसी थोक खरीद की, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाय, अनुमति नहीं है।

टिप्पणी:—मजदूर संघ और सहकारी समितियों को एकाधिकारी नहीं समझा जाता।

निवास और जन्म—(I) मैक्सिकन माता पिता से उत्पन्न बच्चे चाहे वे देश में उत्पन्न हुए हों या विदेश में मैक्सिकन नागरिक समझे जाते हैं । विदेशी माता पिताओं की सन्तानें वयस्क हो जाने के एक वर्ष के भीतर मैक्सिको की नागरिकता के लिये आवेदन करने पर नागरिक घोषित कर दिये जाते हैं । (II) नागरि-करण—वे व्यक्ति जो लगातार पाँच साल तक देश में रहे हो और ईमानदारी से जीविकोपा-र्जन करते हों और ऐसे व्यक्ति जो मिश्रित रक्त के हों यदि अंगीकृत नागरिक बनना चाहें तो उनका नागरि-करण कर लिया जाता है ।



राज्य और उद्योग तथा शासन- विधान में परिवर्तन

: १ :

आयर्लैण्ड

राज्य और व्यवसाय तथा सन्धि के अधिकार:—

पेरिस, बर्लिन और कैथोलिक पोप के साथ सम्बन्ध ।

शासन विधान में संशोधन:

सन्धि की धाराओं के अन्तर्गत जो संशोधन किये जायें उन पर मत-गणना की जाती है । या तो समस्त मत दाताओं के बहुमत से उन्हें मंजूर किया जाना चाहिये या ढाले जाने वाले वोटों से ३ के बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिये ।

कौसग्रेव ने डी वेलरा के डर से कि कहीं वह उसे शपथ को उड़ा देने के प्रश्न को लेकर तंग न करे इसे १९२२ में रद्द कर दिया । जनता की पहल द्वारा संशोधन पेश किये जा सकते हैं जिनको दो साल के अन्दर पार्लियामेन्ट को मानना पड़ता है । यदि पार्लियामेन्ट ऐसा न करे तो ७५००० मत दाताओं के हस्ताक्षर सहित एक आवेदन पत्र जिसमें १५००० हस्ताक्षर एक निर्वाचन-क्षेत्र से होने चाहिये, पार्लियामेन्ट को बाध्य कर देता है कि या तो वह स्वयं संशोधन कर दे या उस प्रस्ताव को जनमत-गणना के लिये भेज दे ।

: २ :

कैनेडा

सन्धि-अधिकार

कैनेडा के सम्बन्ध टोकियो और पेरिस से हैं ।

शासन विधान में परिवर्तन

ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कर सकती है । यदि कैनेडा की पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा शीघ्र कर देती है ।

: ३ :

आस्ट्रेलिया

शासन विधान में परिवर्तन:

राज्य के किसी भवन प्रतिनिधियों की संख्या से सम्बन्धित या उसकी सीमाओं से सम्बन्धित मामलों में पहले वोट देने वाले मतदाताओं के बहुमत से स्वीकृति मिल जानी चाहिये ।

१ - वैधानिक संशोधन दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिये या किसी एक भवन द्वारा तीन माह का अन्तर देकर उसे दो बार पास कर देना चाहिये ।

२—तत्पश्चात् वह दूसरे भवन को जाता है और फिर जनमत गणना के लिये ।

३—राज्यों के बहुमत को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

: ४ :

दक्षिणी अफ्रीका

यूनियन में सब जगह निर्बाध व्यापार होता है ।

सन्धि अधिकार:—वाशिंगटन रोम और हेग के साथ सम्बन्ध है।

हर्टज़ोग का दावा था कि डोमीनियन के पास पूर्ण राजसत्ता है और उसे साम्राज्यवादी युद्धों में तटस्थ रहने का अधिकार है।

दक्षिणी अफ्रीका की पार्लियामेन्ट कुछ सीमाओं के अन्दर साधारण ढंग से संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। विशेष मामलों में दोनों भवनों की संयुक्त बैठक आवश्यक होती है और तत्पश्चात् दोनों के दो तिहाई के बहुमत से उन्हें पास करना होता है।

शासन विधान १९२६ में संशोधित हुआ। उत्तमाशा अन्तरीप के अतिरिक्त कहीं पर एशिया निवासी सदस्य नहीं हो सकते।

: ५ :

न्यूज़ीलैण्ड

ऑस्ट्रेलिया के संघ में इस दर से सम्मिलित नहीं हुआ कि वह उसके विरुद्ध तटकर नहीं लगा सकेगा। भूमिकर बढ़ती हुई आय पर बढ़ जाता है—१००० पौंड पर एक पैनस प्रति पौंड से प्रारम्भ होकर १६३००० पौंड पर पहुँच कर यह दर सात पैनस हो जाती है। अनुपस्थित मालिकों को ५०% कर अधिक देना होता है।

पहले रेलों का प्रबन्ध तीन सदस्यों का एक बोर्ड करता था। अब एक मन्त्री करता है।

ओयस्टर क्षेत्र खनिज पदार्थों के श्रोत कोयले की खाने (जीवन और आग का बीमा—अब अधिकतर कम्पनियों द्वारा किया जाता है) किसानों को सस्ते दर पर कर्ज मिलता है। घर बनाने, जलशक्ति और जंगलात के मामलों में सहकारी संस्थाओं को सहायता दी जाती है।

: ६ :

फ्रांस

दोनों भवन अलग प्रस्तावों द्वारा, जो पूर्ण बहुमत से पास होना चाहियें वैधानिक सुधार की आवश्यकता बतला सकते हैं। तत्पश्चात् वे

मिलकर संशोधन करते हैं। यह कानून नेशनल असेम्बली द्वारा पूर्ण-बहुमत से पास होना चाहिये।

प्रजातन्त्रात्मक शासन नहीं बदला जा सकता।

: ७ :

स्विट्ज़रलैण्ड

नागरिकता - स्विस् नागरिकता का दावा कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो किसी कैंटन के कम्प्यून का निवासी हो। प्रत्येक कम्प्यून को इस संबंध में नियम बनाने की स्वतंत्रता है।

शासन विधान में परिवर्तन—

सम्पूर्ण परिवर्तन—यदि एक भवन चाहे और दूसरा न चाहे—या ५०,००० मतदाता माँग करें—तो संशोधन का प्रश्न जनमत-निर्णय के लिये भेज दिया जाता है। यदि बहुमत चाहे, तो संशोधन-कार्य के लिए दोनों भवनों का नया चुनाव होता है।

अंशतः संशोधन—जनता की पहल से या साधारण ढंग से संघ की व्यवस्थापिका सभा कर सकती है। यदि कई संशोधन हों तो उनके लिए अलग अलग माँग की जानी चाहिए। यह माँग या तो आम ढंग से रखी जा सकती है या बाक़ायदा बिल बना कर भेजा जा सकता है।

संशोधन तभी लागू होता है जब नागरिकों और राज्यों का बहुमत उसे स्वीकार करे। आधे कैंटनों का आधा मत होता है।

: ८ :

जर्मनी

जर्मन के व्यापारिक जहाज़ एक बहुत बड़े संयुक्त बेड़े के पैमाने पर हैं। जर्मनी की राजनीतिक सीमायें और तट-कर सीमायें एक हैं।

तट-कर और चुंगी का प्रबंध रीढ़ के हाथ में है किन्तु राज्यों के हित का ध्यान रखा जाता है।

ग्राम रेलों का राष्ट्रीयकरण करके एक-सी आवागमन-व्यवस्था स्थापित कर दी गई है।

शासन विधान में संशोधन—रीखस्ट्राग के ३ के बहुमत से होता है। उसमें न्यूनतम उपस्थिति दो-तिहाई सदस्यों की होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इनका निर्णय जन-मत-निर्णय से होता है, वहाँ मत-दाताओं के बहुमत की राय पक्ष में होनी चाहिए।

यदि रीखस्ट्राग के बिना सहमति के संशोधन करने का निर्णय करता है और रीखस्ट्राट दो सप्ताह के भीतर नये चुनावों की माँग करता है तो प्रेसीडेंट उसे तब तक लागू नहीं करता जब तक चुनाव के बाद फिर निर्णय न हो जाय।

: ६ :

सोवियत रूस

काउन्सिल आफ लेबर एण्ड डिफ़ेन्स—

एक प्रकार का मंत्रिमंडल है जिसका कार्य आर्थिक और सैन्य विषयों का अध्ययन और उन विभागों के कमीशनों का काम, पर नियंत्रण रखना है जो नीचे काम करते हैं; जैसे राज्य की आर्थिक योजना और राज्य के चुनाव कमीशन। ये अनेकों छोटे-बड़े कमीशनों की रिपोर्टें देखती है। जो निर्णय होते हैं वे कपसरियों और कॉंग्रेस की कार्य-समिति द्वारा सोवियत की कॉंग्रेस को भेजे जाते हैं और उन्हें केवल कमीसारों की परिषद और सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमैटी ही बदल सकती है।

शासन विधान में संशोधन—

७ वीं, ८ वीं, ९ वीं कॉंग्रेसों ने (१९१९-२१ में) आज्ञाओं से वैधानिक परिवर्तन किये।

विशेष—प्रीसीडियन को पीपुल्स कमीसारों की परिषद के निर्णयों को मानने, मंजूख कर देने, टाल देने का अधिकार है। सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमैटी पुनर्विचार करती है।

टिप्पणी—सोवियत के विधान का मार्च १९३६ में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। नया शासन विधान 'स्टालिन शासन विधान' कहलाता है।

: १० :

ज़ैकोस्लोवाकिया

युद्ध घोषणा और वैधानिक संशोधन —

इनके लिये प्रत्येक भवन में समस्त सदस्यों के १ के बहुमत की आवश्यकता होती है ।

: ११ :

पोलिश प्रजातंत्र

शासन विधान में परिवर्तन —साधारण बहुमत द्वारा दोनों भवनों की सम्मिलित बैठक द्वारा होते हैं; किन्तु विधान के प्रथम १० वर्ष में केवल डाइट का १ बहुमत ही संशोधन कर सकता है ।

: १२ :

अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र

आधारभूत अधिकार

बिना दण्ड पाये बन्दी बनाने को रोकने वाले आज्ञा-पत्र मंसूख नहीं किये जा सकते ।

कुलीनता की उपाधियाँ नहीं दी जा सकती ।

दासता या अन्य अनजाने लग जाने के बंधनों को नहीं माना जाता ।

प्रथम ११ संशोधन आधारभूत अधिकारों से संबंध रखते हैं ।

कानून में कांग्रेस द्वारा नागरिक अधिकारों को छीनने के विरुद्ध आदेश है और न ऐसे कानून बनाये जा सकते हैं जो समझौतों के उत्तरदायित्व से मुक्ति दे दें ।

नागरिकता :

नागरिकता के तात्पर्य मताधिकार नहीं है। मताधिकार के नियम राज्य बनाते हैं। इसके अर्थ यह हुए कि बिना राज्य में मताधिकार पाये भी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट या कॉंग्रेस का सदस्य हो सकता है—क्योंकि विधान के अनुसार कोई भी जन्मजात नागरिक प्रेसिडेंट हो सकता है और कोई भी नागरिक कॉंग्रेस का सदस्य।

शासन विधान में परिवर्तन :

जब भी दोनों भवनों में २/३ के बहुमत से माँग हो, या २/३ राज्य परिवर्तन के लिये कन्वेंशन की माँग करें और इस प्रकार परिवर्तन के लिये प्रस्ताव हो और ३/४ कन्वेंशन उसे स्वीकार कर लें। किंतु किसी भी राज्य को सीनेट के उसके समान प्रतिनिधित्व से, बिना उसकी सह-मति के वंचित नहीं किया जा सकता।

दर्ज़ : कॉंग्रेस के कन्वेंशन के प्रस्ताव द्वारा; २/३ राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं की प्रार्थना पर और ३/४ की स्वीकृति देने पर।

ऊपर के समान प्रस्तावित किंतु राज्यों के ३/४ कन्वेंशनों द्वारा स्वीकृत किये जाने पर।

वैधानिक संशोधन अपेक्षाकृत बहुत कठिन है।

अभी तक आम कन्वेंशन नहीं बुलाये गये।

पार्टी-संगठन—प्राइमरीज़ : १ - पार्टी-उम्मेदवारों को छुँटना।

२—कन्वेंशनों के लिये पार्टी डेलीगेटों का चुनाव। ३—पार्टी के स्थानीय काम-काज करना।

: १३ :

स्लावों, सर्वों, क्रोटों का राज्य**वैधानिक परिवर्तन :**

इसके लिये पहल राजा या असेम्बली द्वारा होनी चाहिये—व्यवस्थापिका सभा फौरन भंग कर दी जाती है और ४ माह के भीतर उस

का पुनः संगठन हो जाता है—नई व्यवस्थापिका सभा शासन विधान पर विचार करने के पश्चात् फिर भंग हो जाती है और उसका फिर पुनर्संगठन होता है ।

: १४ :

स्वीडन

राज्य के बैंक रिकस्टाग की गारंटी में हैं । राज्य इसके प्रबंध के लिए कमिश्नर भेजता है ।

केवल यही नोट प्रचलित कर सकता है ।

शासन विधान में परिवर्तन—

परिवर्तन के लिये पार्लियामेण्ट को भंग करना होता है और वैधानिक प्रश्न को लेकर चुनाव लड़ा जाता है और नया भवन एक वैधानिक असेम्बली की तरह भी काम करता है ।

इसके अतिरिक्त एक निश्चित कोरम और विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है ।

: १५ :

नार्वे

शासन विधान में परिवर्तन—

प्रस्तावों को स्टोर्थिंग की पहली या दूसरी बैठक में भेजना होता है । उस पर अगले चुनाव के पश्चात् पहली या दूसरी स्टोर्थिंग में विचार हो सकता है यदि संशोधन शासन विधान की भावना के प्रतिकूल न हो । स्टोर्थिंग की २ की सहमति होनी चाहिए ।

: १६ :

आस्ट्रिया

शासन विधान में परिवर्तन—

संशोधन—कोरम १। उपस्थित सदस्यों के २ के पक्ष में मत मिलने चाहिए, यदि फ़ैडरल काउन्सिल या नेशनल काउन्सिल उसे चाहे।

वर्तमान शासन विधान में वर्तमान डाइटों द्वारा संशोधन किया जा सकता है यदि इसका प्रभाव संघ के विधान पर न पड़े (उपस्थिति-१; २ का बहुमत)—और उनका पुनर्निर्माण ३ सप्ताह में हो जाना चाहिए।

: १७ :

इंग्लैण्ड

शासन विधान में परिवर्तन—

साधारण कानून बनाने की तरह ही संशोधन भी किए जा सकते हैं।

: १८ :

बेल्जियम

शासन विधान में परिवर्तन—

एजेन्सी के समय वैधानिक परिवर्तन नहीं हो सकते—पहले व्यवस्थापिका सभा की घोषणा की आवश्यकता होती है कि संशोधन नियमित है।

तत्पश्चात् दोनों भवन भंग कर दिये जाते हैं और दो महीनों में उनका पुनर्निर्माण हो पाता है और उनकी बैठकें बुलाई जाती हैं। ज़ारा की अनुमति पर वे उस पर विचार करते हैं और निर्णय करते हैं। कोरम १ है। संशोधन के प्रश्न में २ की रायें आनी चाहिए।

: १६ :

डेनमार्क

शासन विधान में परिवर्तन—

यदि दोनों भवनों की संशोधन के संबन्ध में सहमति हो और यदि सरकार उसे चाहे तो दोनों भवनों के नये चुनाव साथ साथ कराये जाते हैं और यदि नई रीखस्टाग बिल पास कर देती है तो यह फाल्कस्टीन के मतदाताओं के निर्णय के लिए ६ माह के अन्दर भेज दिया जाता है।

यदि ४५ फ्री सदी मतदाता और वास्तव में मतदान देने वालों का बहुमत उससे सहमत है और राजा अपनी शाही स्वीकृति इस पर दे देता है, तो वह कानून हो जाता है।

: २ :

मैक्सिको

कर्त्तव्य—

(१) बच्चों और आश्रितों को जिनको आयु १५ वर्ष से कम है सार्वजनिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा, नागरिक और सैन्य शिक्षा के लिये भेजना होता है।

(२) राज्य और भूमि की रक्षा के हेतु नेशनल रक्षा-दल में भरती होना और सेवा करनी होती है।

(३) और स्थानीय बोर्डों को कर और खर्च देने होते हैं।

(४) भूमि-करो और सम्पत्ति की सूची में नाम देना होता है और मत-दाताओं की सूची में भी नाम लिखाना होता है, प्रादेशिक रक्षा-दलों में भरती होना पड़ता है, सार्वजनिक चुनावों में भाग लेना होता है। राज्य के प्रति संघ के पदों पर कर्त्तव्यों का पालन करना होता है जिसके लिये वेतन मिलता है और काउन्सिलों और म्यूनिसिपैलिटियों और जूरी पर काम करना होता है।

अधिकार—

(१) रियायतें कमीशनरों और सरकारी पदों को देते समय जहाँ नागरिकता का होना अनिवार्य नहीं मैक्सिकन, निवासियों को पसन्द किया जाता है ।

(२) किसी भी विदेशी को सेना, पुलिस या शांति काल के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग में नहीं लिया जाता ।

(३) नाविक सैन्य में वेवल जन्म से ही मैक्सिकन ही लिये जाते हैं ।

(४) विदेशियों को देश से निकाला जा सकता है ।

(५) कोई भी विदेशी देश के कामों में दखल नहीं दे सकता ।

(६) मैक्सिको की नागरिकता २१ वर्ष की आयु होने पर दे दी जाती है, बशर्ते वह ईमानदारी से जीविकोपार्जन करता हो । इससे निम्न विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं :—(अ) सार्वजनिक पद, (आ) सार्वजनिक कार्यों के लिये सभा करने का अधिकार, (इ) सेना में नौकरी, (ई) आवेदन भेजने का अधिकार ।

(७) विदेशी राज्य में नागरिकरण हो जाने पर मैक्सिको की नागरिकता जाती रहती है । यह या तो खुले आम विदेशी सरकार की सेवा करने पर होता है अथवा अन्य मतों के अधिकारियों के सामने अपने विचार स्थिर न रखने से ।

(८) नागरिकता के अधिकार और विशेषाधिकार निम्न कारणों से मंसूख किये जा सकते हैं—

(अ) कर्तव्यों का पालन न करने से—अन्य दण्ड के अलावा यह अधिकार भी एक साल के लिये मंसूख किये जा सकते हैं ।

(ब) दण्डित होने पर या न्याय से बचने के लिये भागने पर ।

(९) स्त्रियों को शारीरिक काम से काफ़ी छुट्टी मिल जाती है । प्रसव के पहले तीन महीने की और बाद में एक महीने की—लेकिन वेतन मिलता है—कुछ समय तक बच्चे के लालन-पालन के लिये दो घन्टे की विशेष छूट दी जाती है ।

(१०) न्यूनतम वेतन इतना होता है कि वह एक मज़दूर जो अपने घर का प्रधान हो, की शिक्षा, उचित आनन्द और औसतन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफ़ी हो ।

(११) खेती और उद्योग की आय में भाग बटाने की अनुमति है।

(१२) स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलता है।

(१३) प्रत्येक म्युनिसिपैल्टी में विशेष कमीशन होता है जो न्यूनतम वेतन और आय के भागों की दर निर्धारित करता है।

(१४) समय से अधिक काम के लिये सौ प्रतिशत वेतन देना होता है और यह काम एक बार में तीन घण्टे और एक सप्ताह में तीन दिन से अधिक नहीं लिया जा सकता।

(१५) किसी स्त्री या सोलह वर्ष की आयु से कम बच्चे से समय से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।

(१६) स्वच्छ घरों का प्रबन्ध है। किराया सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का आधा फी सदी प्रति माह के हिसाब से होता है।

(१७) मालिकों को, यदि वह किसी फैक्टरी में सौ से अधिक प्रादमौ काम पर लगाते हैं तो, स्कूल, अस्पतालों और अन्य आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना पड़ता है।

(१८) यदि काम करने वालों की संख्याँ दो सौ से ऊपर हो तो ५०० वर्ग मीटर भूमि, बाजार और मनोरंजन के लिये रखनी पड़ती है।

(१९) शराब घरों और जुआघरों की इजाजत नहीं है।

(२०) मालिक लोग दुर्घटना या काम के कारण उत्पन्न रोगों के लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं।

(२१) सार्वजनिक सेवा के काम में हड़तालों के लिये दस दिन का नोटिस देना पड़ता है; यदि हिंसा से काम लिया जाय या युद्ध का समय हो तो हड़ताल गैर-कानूनी समझी जाती है।

(२२) यह कानून गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होते। कारखानों का बन्द होना कीमतों पर निर्भर हैं। इस सम्बन्ध में एक समझौते और पंचायत का बोर्ड है जिसमें मिल मालिकों और ज़िंदूरो के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होते हैं और एक प्रतिनिधि सरकार का होता है।

(२४) करज़े में केवल किसी व्यक्ति का वेतन लिया जा सकता है। कर चुकाने के लिये पत्नी और सन्तान कतई उत्तरदायी नहीं हैं।

(२५) कुछ बातें ऐसी हैं जिनके होने पर समझौते गैरकानूनी समझे जाते हैं ।

(२६) सर्वोच्च न्यायालयों के प्रेसीडेन्ट, सदस्यों और न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में नहीं बदला जा सकता ।

(२७) धर्म—कोई धर्म वर्जित नहीं किन्तु संघ सरकार कानून के अनुसार दखल दे सकती है ।

(२८) विवाह एक नागरिक-समझौता है । उम्र कानून से निर्धारित है ।

(२९) चर्चें—कानून उन्हें व्यक्ति नहीं मानता । कोई भी धर्माधिकारी देश के विधान की आलोचना नहीं कर सकता ।

आम तौर पर धर्माधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं है और न वह पदों के लिये चुने जा सकते हैं ; वे राजनीतिक कार्यों के लिये सभा नहीं कर सकते, धार्मिक पदों के लिये दी गई शिद्दा सरकारी संस्थाओं द्वारा माननीय नहीं है । न उस पर कोई इनाम दिया जा सकता है । उक्त नियम के विरुद्ध यदि किसी को पेशे सम्बन्धी डिग्री मिलती है तो वह नाज़ायज़ है और कानून भंग करने वाली सत्ता को दण्ड दिया जा सकता है ।

(३०) कोई सामयिक या समाचार-पत्र अपने कार्यक्रम द्वारा, या नाम अथवा अपनी आम धार्मिक प्रवृत्तियों द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक मामलों में विचार प्रकट नहीं कर सकता ।

: ८ :

कुछ अन्य बातें

: १ :

आयरलैण्ड

कुछ अन्य बातें:

डामीनियन पार्लियामेंटें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कौ गई हैं किन्तु वे उस पार्लियामेंट के डेलीगेट नहीं।

ब्रिटिश नागरिकों को अलग किया जा सकता है और देश से निकाला जा सकता है। अपनी मुद्रा और नोट हैं—अपनी उपाधियों देती हैं और ब्रिटिश उपाधियों को नहीं मानता।

वे युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते।

: २ :

कैनाडा

कुछ अन्य बातें:

सार्वजनिक ऋण :—कैनाडा का ऋण निश्चित है। प्रांतों के पास भी सम्पत्ति है किन्तु कैनाडा को यह अधिकार है कि किले बन्दी के लिये उसे ले ले।

आंतरिक कर नहीं हैं और कैनाडा की सम्पत्ति और भूमि पर कर भी नहीं है।

कानूनों को अँगरेजी और फ्रेंच में प्रकाशित किया जाता है। ऊपरी और निचले कैनाडा के ऋण, उत्तरदायित्व, सम्पत्ति और माल के विभाजन और समझौता कराने का काम अन्टेरियो क्यूबैक और कैनाडा के तीन पंचों को सौंपा गया - चुनाव इन प्रांतों की व्यवस्थापिका सभाओं को करना था।

नये उपनिवेश कैनाडा की पार्लियामेन्ट से प्रार्थना करने पर कुछ शर्तों और दशाओं पर दाखिल किये जा सकते हैं। प्रवेश और खेती दोनों विषय सम्मिलित अधिकार में है किंतु केन्द्रीय कानून अपेक्षाकृत मान्य होते हैं।

जहाँ तक बिजली और जहाज चलने लायक नदियों का प्रश्न है यह कहना कठिन है कि कितना नियन्त्रण प्रान्त करते हैं और कितना केन्द्र।

: ३ :

आस्ट्रेलिया

कुछ अन्य बातें:

मजदूर क्रोकस—सीनेट के भी वोट होते हैं—यह पार्टी-संगठन के आधार पर बनाया जाता है।

४ बड़े शहरों में जनसंख्या का १ भाग रहता है—एक विस्तृत सूखा प्रदेश है—शेष भूमि के मालिक थोड़े से व्यक्ति हैं—छोटे कृषक कैनाडा की अपेक्षा बहुत कम महत्त्वपूर्ण हैं; मध्यम वर्ग नहीं है; न कोई स्थायी धनिक वर्ग ही है—घन ४० वर्ष से अधिक नहीं रहता—कोई पैतृक हित नहीं है—मजदूर और मालिकों के बीच अर्ध-सामन्तवादी संबंध नहीं है—भेड़ का व्यवसाय करने वाले खानाबदोस हैं—स्थायी जनसंख्या उन लोगों की है जो जहाजों को लादते हैं और सोने की खदानों में काम करते हैं और जिन्हें कोई सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं।

जहाँ कामनवेल्थ और अधिकार सम्मिलित हैं, कामनवेल्थ के कानून राज्य के कानूनों की तुलना में मान्य होते हैं।

: ४ :

दक्षिणी अफ्रीका

कुछ अन्य बातें:

समस्त कर सम्बन्धी सत्ता गवर्नर-जनरल के पास हैं

१—रेल और बन्दरगाह कोष ।

२—एक सम्मिलित कोष जिसमें से सर्व प्रथम धन करजों के भुगतान के लिये लिया जाता है ।

एक राजस्व कमीशन संघ और प्रान्तों के सम्बन्धों के निर्णय करने के लिये नियुक्त किया जाता है ।

सरकारी भूमि और खानों और खनिज पदार्थों पर गवर्नर जनरल का अधिकार समझा जाता है ।

एक कानूनी रेल और बन्दरगाह बोर्ड है जिसके तीन सदस्य हैं और गृह सदस्य उसका चेयरमैन होता है ।

संघ समस्त ऋणों की ज़िम्मेदारी लेगा—बन्दरगाह और रेलों की भी ।

विशुद्ध केन्द्रीय और अनुत्तरदायी सरकार—कारण;

१—सब प्रान्तों में कानून गवर्नर जनरल के द्वारा प्रान्तों को दी गई सत्ता के मातहत बनाए जाते हैं ।

२—गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी होती है ।

३—सब खर्चों के लिये पहले से शासक या गवर्नर जनरल को अनुमति लेनी पड़ती है ।

: ५ :

फ्रांस

कुछ अन्य बातें:

शासन विधान का विकास :

१७९३ से १८८५ ई० तक ।

कोई भी सार्वजनिक और म्युनिस्पल दफ्तर साहित्य नहीं बांट सकता ।

सीनेट बहुत आकर्षक है—डिप्टी उन्नति कर सीनेट के सदस्य बन जाते हैं और फिर प्रेसीडेंट पद के उम्मेदवार ।

फ्रांस में बड़ी प्रभावशाली पार्टियों नहीं हैं । किन्तु पार्टियों के समूह हैं जिन्हें ब्लाक कहा जाता है, जिनके कई नेता होते हैं । कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं होते और अनुशासन का एकदम अभाव रहता है ।

फ्रांस में प्रजातन्त्रात्मक सरकार है—संस्थाएं राजतन्त्रात्मक हैं और भावनायें साम्राज्यवादी ।

इंग्लैंड में मन्त्रिदमण्डल देश की भावना का ध्यान रखता है, फ्रांस में पार्लिमेन्ट की भावना का । फ्रांस एक तैरशाही है, प्रजातन्त्र नहीं ।

फ्रेंच सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने मित्रों का कुछ फायदा करायें जैसे सम्मान, तमगे, फीते, कालेज में कोषाध्यक्ष का पद और तम्बाकू की बिक्री का लाइसेन्स । फ्रेंच सदस्य अच्छे वक्ता होते हैं ।

: ६ :

न्यूजीलैंड

कुछ अन्य बातें:

न्यूजीलैंड के जन्मजात निवासियों में अशिक्षा नहीं है ।

कानून :

अर्ध-समाजवादी राज्य है ।

जन-मत-गणना केवल एक बार शराबबन्दी के लिये की गई ।

खराबियाँ नहीं हैं ।

: ७ :

ज़ैकोस्लोवाकिया

कुछ अन्य बातें:

सम्मिलित अधिवेशन प्रेसीडेन्ट द्वारा बुलाया जाता है—कार्य-वाही का ढंग चैम्बर आफ डिप्टीज़ की तरह होता है। सीनेट का चेयर-मैन वाइस-प्रेसीडेन्ट होता है।

: ८ :

स्विटज़रलैंड

कुछ अन्य बातें:

१८६१ ई० में सार्वजनिक पहल को प्रारम्भ किया गया यह लूसर्न, फ्रीबर्ग और वैली को छोड़कर शेष सभी कन्टनों में सभा और कानून पर लागू होता है।

संघ विधान २६ मई १८७५।

जन-मत-गणना:—३०००० सक्रिय नागरिक या आठ कैंटन के पास होने के ६० दिन के भीतर जनमत गणना की मांग कर सकते हैं। जन-मत-गणना ऐच्छिक होती है या अनिवार्य, संघ में वैधानिक परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिये केवल ऐच्छिक जनमत गणना का उल्लेख है।

सार्वजनिक पहल:—दोनों काउन्सिलों में से किसी के सदस्य या कैंटन पत्रव्यवहार द्वारा कानून के पहल करने का अधिकार रखते हैं।

स्वीस संघ अथवा हैल्वेटिक प्रजातन्त्र: -

संघ न्यायालय, क्योंकि राजधानी बर्ग है, अतएव फ्रान्सीसी भावना को खुश करने के लिये लौज़ेन में स्थित है और नेशनल पौलीटेक्निक स्कूल जूरिच में है।

फ्रीवर्ग में जनमत गणना नहीं होती। कुछ दिन पहले तक सन्धियों पर जनमत गणना लागू नहीं होती थी किन्तु सन् १९२१ से अन्य कानूनों की तरह सन्धियों पर भी यह हो सकती है। कैन्टनों में प्रायः अनिवार्य जनमत गणना है। यह ग्यारह कैन्टनों में है जब कि सात में इसका प्रयोग ऐच्छिक है।

: ६ :

जर्मनी

कुछ अन्य बातें:

किसी ट्रस्ट के नाम वसीयत नहीं की जा सकती। अनुपार्जित बचतें (unearned increments) सार्वजनिक कार्यों में खर्च की जाती हैं।

सामाजिक अधिकारों और अवैतनिक पदों के लिये गारन्टी की जाती है—जर्मनों को अवैतनिक पद अनिवार्य रूप से ग्रहण करने होते हैं।

मजदूर संगठित हैं—यह जिला मजदूर परिषदों और रीख की आर्थिक परिषदों से सम्बन्धित है।

उपरोक्त अवस्थाओं में यदि मतदाता किसी कानून के बारे में चाहें तो वह रीखस्टाग के ३ भाग पर राय जानने के लिये प्रचारित किया जा सकता है।

(अ) रीख का प्रेसिडेंट चाहे तो उसे लागू करने के पहले एक महीने के अन्दर।

(ब) या यदि मतदाता पहले से किसी बिल को पेश करने की प्रार्थना करें तो वह सरकार के द्वारा रीखस्टाक में उपस्थित करना होता है। यदि ऐसे बिलों का सम्बन्ध कर या खर्च से हो तो प्रेसिडेंट उन्हें लेकर नये चुनाव करा सकता है।

: १० :

सोवियत रूस

कुछ अन्य बातें:

आलरशियन कांग्रेस ने विधान बनाया है जिसके मूल सिद्धान्तों को पढ़ना स्कूल में अनिवार्य है ।

विधान के मूल सिद्धान्त:—

(१) शहर और गांव के मजदूरों की तानाशाही का स्थापन और पूँजीपतियों का दमन । (२) सत्ता शहरी और देहाती सोवियतों में निहित है (३) प्रदेश की सोवियतें मिल कर प्रादेशिक कांग्रेस और संघ बना सकती हैं । (४) चर्च का राज्य और स्कूलों से कोई सम्बन्ध नहीं (५) सोवियतों की आल रशियन कांग्रेस और उसकी कार्यकरिणी सर्वोच्च है । (६) समाचार पत्रों के समस्त प्रकाशन के साधन मजदूरों को दे दिये गये हैं । (७) सभा करने, जलूस निकालने और संगठन करने की स्वतन्त्रता है— हाल (Hall) का उपयोग उन्हें गर्म करने और प्रकाशित करने की अनुमति है । (८) स्वयं-संगठन के समस्त साधन जिसमें निशुल्क शिक्षा भी है मजदूरों और किसानों को बिना रोक-टोक मिले हुए हैं । (९) जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा (१०) समाज वादी पितृभूमि की रक्षा और सैन्य-सेवा अनिवार्य है । (११) विदेशियों को नागरिकता और मजदूरी के अधिकार सोवियतों के मार्फत दिये जाते हैं । (१२) धार्मिक या राजनीतिक अपराधी विश्राम पाने के हकदार हैं । (१३) सब नागरिक समान हैं—कोई विशेष सुविधाएं नहीं। अल्प मतवालों का दमन नहीं होता । (१४) व्यक्ति और विभाग ऐसे काम करने के लिये वर्जित हैं जो समाजवादी शासन को ठेस पहुंचावें ।

: ११ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

शासन विधान में परिवर्तन:—

सार्वजनिक पहल:—१९ राज्यों में कानूनों के लिये और २१ में वैधानिक परिवर्तनों के लिये लागू है—कभी कभी नागरिकों को पहल के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये पॉंच सैन्ट या अधिक दिया जाता है। कैलीफोर्निया में पहल पर औसतन खर्च १५०० पौंड पड़ता है। शक्ति-प्रयोग और धोकेबाजी चलती है क्योंकि अस्पष्ट हस्ताक्षरों को अनियमित नहीं माना जाता। कभी कभी पहल करने के पहले उन विषयों पर पैम्फलेट लिखकर बांटे जाते हैं।

पहल के बिल सरकारी नहीं होते।

वैधानिक संशोधन के द्वारा आधारभूत अधिकारों को कम किया जा सकता है।

जनमत-गणना के डर से अनेकों बिल पास नहीं किये गये और पहल होने से अनेक अच्छे बिल अस्वीकृत नहीं किये गये।

वापसी का अधिकार है किन्तु बहुत कम उपयोग में लाया जाता है।

चुने हुए अफसरों, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, की वापसी छः राज्यों में हो सकती है और न्यायाधीशों को छोड़ कर अन्यो की दस राज्यों में।

१६ वां संशोधन—आय-कर राज्य का विषय करार दिया गया।

देश द्रोह:—राज्यों के विरुद्ध युद्ध करना। निष्कासन में खून खराब नहीं किया जाता। सब राज्यों में एक ही सुविधाएँ और सुगम-ताएँ हैं—किन्तु अपराधी प्रत्यर्पण चलता है।

कुछ राज्यों में नाबालिगों से मजदूरी लेना अपराध है।

१५ वाँ संशोधन प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के चुनावसम्बन्धी।

१७ वाँ संशोधन शराब बन्दी के मामले में सम्मिलित अधिकार।

१९ वाँ संशोधन स्त्री-मताधिकार।

१५ वॉ संशोधन दक्षिणी राज्यों ने नीग्रो के लिये समानाधिकार सम्बन्धी नियम रद कर दिये।

रोक-थाम की व्यवस्था:—(१) व्यवस्थापक विभाग (२) प्रबन्धक विभाग (३) न्याय विभाग—एक दूसरे से अलग और स्वतन्त्र रखे जाते हैं। पहला दूसरे या तीसरे के साथ, दूसरा पहले या तीसरे के साथ, तीसरा पहले या दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

प्रेसीडेंट कांग्रेस के विल को वीटो कर सकता है किन्तु कांग्रेस के बहुमत से उक्त वीटो को अमान्य कर सकता है। न्यायालय कांग्रेस के कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। कांग्रेस और प्रेसीडेंट का आपस में विरोध हो सकता है या दोनों का ही न्यायालयों से।

अमेरिका का प्रेसीडेंट शासन भी करता है और सरकार भी चलाता है—ब्रिटिश राजा शासन करता है किन्तु सरकार नहीं चलाता—फ्रांसिसी प्रेसीडेंट न शासन चलाता है और न ही सरकार चलाता है—जनरल प्रेसीडेंट सरकार चलाता है।

मुकद्दमेबाजों को न्यायालयों की अयोग्यता के कारण बहुत किजून-खर्ची करनी होती है—फौजदारी के न्यायालय और भी बुरे हैं—बहुत अधिक समय लगता है—जुरी का प्रबन्ध होने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि (अ) कोई ठीक सूची नहीं (ब) जुरी के नामों के बारे में एतराज किया जा सकता है।

अकेले न्यायाधीशों के सम्मुख उठाये गए एतराजों पर पूरे न्यायालय द्वारा विचार होते-होते एक वर्ष या अधिक बीत जाता है। वकील यदि चाहें तो जुरी पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं—दक्षिणी राज्यों में सार्वजनिक गैर कानूनी कठोर दण्ड आम बात है।

बुराईयाँ—धमकाना ; वोटों को गलत गिनना ; टैमनी के इथ-कण्डे—टैमनी के पास पुलिस और न्याय-विभाग में दिलाने के लिए नौकरियाँ रहती हैं—निरीक्षक और प्रचारक होते हैं—चुनाव-अदालतें उनके आदमियों से भरी रहती हैं—प्रेस को पैसा देते हैं—पत्रिकाओं की मदद करते हैं—सभी पार्टियों के उन मशीन मालिकों को जो राजनीति में नैतिकता के सिद्धान्त को नहीं मानते, शुद्धता की बात नापसन्द होती है।

अमेरिका के नागरिक रेगिस्तान के परमाणुओं के रेत के समूह के समान हैं जिन्हें ओंघी इधर या उधर ले जाती रहती है ।

अपराध—ठेकों का क्रय विक्रय—मतों का विक्रय—कानून तोड़ने वाले प्रायः दण्ड से बरी रहते हैं और पुलिस प्रायः स्वयं इन गड़बड़ियों में फँसी रहती है ।

धार्मिक मेदभाव नहीं है—कोई कटुता नहीं है—महाद्वीप की तरह वर्गभेद नहीं है—पार्टियाँ खाली बोटलों पर लेबिल की तरह हैं—शायद ही कहीं कोई प्रेस किसी राजनीतिज्ञ के अधिकार में हों ।

नागरिक को खूब सूचनाएँ प्राप्त होती हैं किन्तु पार्टों के दलदल में फँसे रहते हैं—वे कानूनों के बुरे निर्णायक किन्तु मनुष्यों के अच्छे निर्णायक हैं ।

: १२ :

स्वीडन

कुछ अन्य बातें:

यूरोप में प्राचीनतम विधान है ।

बिना राजा की अनुमति के यदि राजकुमार शादी करे तो गद्दी का हकदार नहीं रहता ।

जन-मत-गणना—राजा किसी भी विषय को जनमत गणना के लिये भेज सकता है । इसमें अधिक संख्यावाले भवन के मतदाता भाग लेते हैं । रिकस्टाग हर चौथे साल ६ व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त करती है जो न्याय के मामलों के अटर्नी के साथ प्रेस की स्वतन्त्रता की निगरानी रखते हैं—इनमें दो वकील होते हैं । इनके द्वारा दी गई आज्ञा लेखकों को उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है ।

: १३ :

एस्थोनिया

कुछ अन्य बातें:

सार्वजनिक पहल और जनमत गणना का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

प्रस्तावना

अच्छी है ; अनिवार्य सैन्य सेवा ।

: १४ :

आस्ट्रिया

कुछ अन्य बातें:

आम परिश्रम किया जाता है । जंगलों और खेतों के मजदूरों के अतिरिक्त ।

कुछ विषयों में कानून बनाने के अधिकार प्रांतों के पास हैं जैसे नागरिकता, पेशे, प्रतिनिधित्व और कर ।

भूमि-सुधार के सम्बन्ध में अन्तिम अपील संघ द्वारा नियुक्त एक कमीशन में होती है जिसमें न्यायाधीश प्रबन्ध करनेवाले अफसर और विशेषज्ञ होते हैं ।

जनमत-गणना में सफलता के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रेसीडेण्ट द्वारा कराई जाती है ।

: १५ :

बेल्जीयम

कुछ अन्य बातें:

सेना में राज्य से भरती होती है ।

संधियाँ सार्वजनिक होती हैं ।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स लु: कमेटियाँ या विभागों में बटा है जिन्हें विचार के लिए बिल भेजे जाते हैं । विशेष बिलों के लिए विशेष कमेटियाँ नियुक्त की जा सकती हैं । उपरोक्त कमेटियों को हर महीने परचे डालकर नए सिरे से बना लिया जाता है । प्रत्येक विभाग का एक रिपोर्टर नियुक्त किया जाता है । इन सब रिपोर्टों का एक केन्द्रीय विभाग

होता है जिसके रिपोर्टरों की नियुक्ति चेम्बरों का प्रेसीडेंट करता है। हाउस द्वारा प्रत्येक अधिवेशन में गुप्त वोट से दो स्थायी कमेटियाँ चुनी जाती हैं। (i) राजस्व और हिसाब की कमेटी; कृषि-व्यापार और उद्योग की कमेटी।

हाउस जब उचित समझता है तो विशेष कमेटियाँ नियुक्त करता है और सीनेट में इनका आम रिवाज है।

: १६ :

नार्वे

कुछ अन्य बातें:

विधान संयुक्त राष्ट्र (१७८७ ई०) फ्रांस (१७९१ ई०) स्पेन (१८१२ ई०) के आधार पर बना है।

कानून ध्वजा के बारे में निर्णय करता है।

: १७ :

इंग्लैंड

कुछ अन्य बातें:

ब्रिटेन का शासन विधान अनेकों चार्टरों, प्रथाओं, निर्णयों नज़ीरो और कानूनों से मिलकर बना है जो बराबर बढ़ते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते।

चर्च आफ नेशनल असेम्बली एक्ट, १९१९ ई०—यह चर्च असेम्बली को कानून बनाने की अनुमति देना है जिन्हें पार्लियामेन्ट के प्रस्ताव द्वारा उसकी सहमति मिल जाने पर राजा मान लेता है।

परिशिष्ट

यू. एस. एस. आर. (सोवियत् रूस)

के

शासन विधान का मसविदा

॥ ६ ॥

यू. एस. एस. आर. (सोवियत् रूस)

के

शासन विधान का मसविदा

क्षेत्रफल : ८८, १६ ७६१ वर्ग मील ।

जनसंख्या : १६, २६, ६५, ०००.

राजधानी : मास्को ।

पहला अध्याय

सामाजिक संगठन

धारा १—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों का यह संघ मजदूरों और किसानों का समाजवादी राज्य है ।

धारा २—यू. एस. एस. आर. का राजनीतिक आधार काम करनेवालों के प्रतिनिधिओं की सोवियतें हैं जो जमींदारों और पूँजीपतियों की सत्ता को उलट देने पर सर्वहारा एकाधिपत्य की विजय से बनी और मज़बूत हुई हैं ।

धारा ३—यू. एस. एस. आर. में सम्पूर्ण शक्ति गावों और नगरों में काम करने वालों को उनके प्रतिनिधियों की सोवियतों के रूप में मिली हुई है ।

धारा ४—यू. एस. एस. आर. का आर्थिक आधार उसकी वह समाजवादी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन साधनों तथा ढंग का समाजीकरण है जो पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने, उत्पादन के साधनों और ढंग में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करने तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य शोषण को समाप्त करने के बाद मज़बूती के साथ कायम किया गया है ।

टिप्पणी—सोवियत रूस में 'सुप्रीम काउन्सिल' व्यवस्थापिका सभा को कहते हैं । 'सोवियत' के अर्थ साधारणतः प्रतिनिधि-सभा समझा जा सकता है; 'पीपुल्स कमीसार' वहाँ उसी तरह होते हैं जैसे कि अन्य देशों में मंत्री; 'काउन्सिल आफ पीपुल्स कमीसार्स' से तात्पर्य मंत्रिमंडल से होता है; 'कमसरियत' का तात्पर्य शासन के विभाग (Department) से है; डिपुटियों से तात्पर्य प्रतिनिधियों से है; 'प्रेसीडियम' वहाँ की अपनी निराली संस्था है जो व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन में न होने के समय उसकी लगभग समस्त अधिकारों का उपयोग करती है ।

धारा ५—यू. एस. एस. आर. में समाजवादी सम्पत्ति का रूप या तो राज्य का अधिकार (जब सम्पत्ति) है या उसका रूप सहाकरिता और सामूहिक ढंग की खेती का अधिकार (व्यक्तिगत सामूहिक खेतों की सम्पत्ति, सहाकरिता समितियों की सम्पत्ति) है ।

धारा ६ भूमि, उसमें स्थित चीजें, जल, जंगल, मिलें, फैक्टरियों खानें, रेलें, जल तथा वायु के यातायात के साधन बैंक, संदेश के साधन, राज्य द्वारा संगठित बड़े खेन (राज्य के खेन, मशीनें, ट्रैक्टर स्टेशनें इत्यादि) और साथ ही शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में घरों के आवश्यक भाग राज्य की यानी सार्वजनिक सम्पत्ति हैं ।

धारा ७—सामूहिक खेतों के सार्वजनिक उद्योग और सहाकरिता संगठन, अपने पशुओं, औज़ारों और सामूहिक खेतों और सहाकरिता संगठनों की उपज और साथ ही उनकी सार्वजनिक इमारतें सामूहिक खेतों और सहाकरिता संगठनों की सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति हैं ।

प्रत्येक सामूहिक खेती में भाग लेने वाले परिवार के पास निजी उपयोग के लिये घर से लगा हुआ एक ज़मीन का टुकड़ा होता है और व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में उस ज़मीन में छोटे-मोटे काम, एक घर, उत्पादक पशु और चिड़ियाँ और छोटे-मोटे खेती के औज़ार हो सकते हैं— यह खेती संबंधी धारा के अंतर्गत होता है।

धारा ८—समूहिक खेतों द्वारा जो भूमि घिरी हुई है, वह बिना किसी अवधि यानी सदा के लिये उनको दे दी गई है।

धारा ९—यू. एस. एस. आर. की प्रधान समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के अनिरिक्त कानून ऐसी छोटी छोटी अलग-थलग किसानों और कारीगरों की आर्थिक व्यवस्था की भी अनुमति देता है जिसमें निजी श्रम लगता हो और दूसरों की मज़दूरी का शोषण न होता हो।

धारा १०—नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, उनकी आय और बचत में, घर और अन्य सहकारी घरेलू कामों में, अन्य घरेलू या गृहस्थी की वस्तुओं में और साथ ही व्यक्तिगत उपयोग और आराम की चीजों में सुरक्षित है।

धारा ११—यू० एस० एस० आर० का आर्थिक जीवन राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा सार्वजनिक धन को बढ़ाने के लिये काम करने वालों के भौतिक और सांस्कृतिक मापदण्ड को लगातार ऊँचा करने के लिये और यू० एस० एस० आर० की स्वतंत्रता को मज़बूत करने और उसकी रक्षा-संबन्धी योग्यता को बढ़ाने के लिये निश्चित और निर्देशित किया जाता है।

धारा १२—यू० एस० एस० आर० में प्रत्येक कार्य कर सकने योग्य व्यक्ति का इस सिद्धान्त के अनुसार काम करने का कर्त्तव्य है : “वह, जो कार्य नहीं करता, भूखा रहेगा।” यू० एस० एस० आर० में समाजवाद के इस सिद्धान्त को पूरा किया जा रहा है : “प्रत्येक से योग्यतानुसार कार्य, प्रत्येक को कार्यानुसार (आय का) भाग।”

दूसरा अध्याय

राज्य संगठन

धारा १३—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों का यह संघ एक सघ-राज्य है जो सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों को स्वेच्छा के आधार पर बना हुआ समुदाय है जिसमें उन्हें समान अधिकार प्राप्त है :—

राशियन सोवियत फ़ेडरेटैड सोशलिस्ट रिपब्लिक,

यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

व्हाइट रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

जार्जियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

आर्मीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

तर्कमीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

ताज़िक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

उज़बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

कज़ाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,

किर्गिज़ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक

धारा १४—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों के संघ, जिसका प्रतिनिधित्व उसके सर्वोच्च विभाग और शासन के विभाग करते हैं, के निम्नलिखित अधिकार हैं :—

(क) संघ का विदेशी मामलों में प्रतिनिधित्व, अन्य देशों के साथ सन्धि करना..... और उन्हें अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना ;

(ख) युद्ध और शान्ति के प्रश्न ;

(ग) नये प्रजातंत्रों का संघ में प्रवेश ;

(घ) यू० एस० एस० आर के शासन विधान की मान्यता के लिये नियन्त्रण और यह देखना कि संघ के प्रजातंत्रों के शासन विधान यू, एस, एस, आर के शासन-विधान के अनुकूल हैं ;

(ङ) संघ के प्रजातंत्रों के बीच होने वाले सीमा परिवर्तनों के लिये स्वीकृति देना ;

- (च) यू, एस, एस, आर की रक्षा का संगठन और यू, एस, एस, आर की समस्त हथियार बन्द फौजों का निर्देशन ;
- (छ) राज्य के एकाधिकार के आधार पर विदेशी व्यापार ;
- (ज) राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध ;
- (झ) यू, एस, एस, आर के लिये राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाना
- (ञ) यू, एस, एस, आर के लिये एक संयुक्त बजट की और यू, एस, एस आर संघ के प्रजातन्त्रों और स्थानीय बजटों के लिये करें तथा अन्य आय की मदों के लिये स्वीकृति देना ;
- (ट) बैंकों, औद्योगिक और खेती के कारबार और पूरे संघ के महत्व के व्यापारिक कामों का शासन ;
- (ठ) यातायात और सन्देश के साधनों का प्रबन्ध ;
- (ड) मुद्रा और उधार-व्यवस्था का निर्देशन ;
- (ढ) सम्पत्ति का राज्य के द्वारा बीमा की व्यवस्था ;
- (ण) ऋण लेना और देना ;
- (त) भूमि के उपयोग और उसमें स्थित पदार्थों, जंगलों और जल के उपयोग के लिये मूल सिद्धान्त निर्धारित करना ;
- (थ) शिक्षा के क्षेत्र में और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये मूल सिद्धान्त निर्धारित करना ;
- (द) राष्ट्र का आर्थिक हिसाब-किताब रखने के लिये एक केन्द्रीय पद्धति स्थिर करना ;
- (ध) मजदूर-सम्बन्धी बुनियादी कानून बनाना ;
- (न) न्याय और कानूनी कार्यवाही के ढंग। दीवानी और फौजदारी के कानूनों के संग्रह सम्बन्धी नियम बनाना ;

(प) संघ की नागरिकता के कानून विदेशियों से अधिकारों के कानून ;

(फ) पूरे संघ के लिये आम रिहाई के कानून पास करना ।

धारा १५—संघ के प्रजातन्त्रों की राज्यशक्ति केवल यू० एस, एस आर, के, शासन विधान की धारा १४ सीमित करती है। इन सीमाओं के बाहर संघ का प्रत्येक प्रजातन्त्र अपनी राज्यसत्ता का स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग करता है। यू, एस, एस, आर संघ के प्रजातन्त्रों की राज्य-सत्ता के अधिकारों की रक्षा करता है।

धारा १६—प्रत्येक संघ में प्रजातन्त्र का अपना अलग शासन विधान है जो संघ की विशेषताओं को ध्यान में रखता है और यू, एस, एस, आर के शासन विधान के पूर्ण अनुकूल बनाया जाता है।

धारा १७—संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र को यू, एस, एस, आर, से स्वतन्त्रता पूर्वक अलग हो जाने का अधिकार है।

धारा १८—संघ के प्रजातन्त्रों के क्षेत्र बिना उनकी इच्छा के परिवर्तित नहीं किये जा सकते।

धारा १९—यू, एस, एस, आर के कानून संघ के समस्त प्रजातन्त्रों के क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं।

धारा २०—यदि संघ के प्रजातन्त्र का कोई कानून संघ के कानून से भिन्न हो तो संघ का कानून ही-मान्य होता है।

धारा २१—यू, एस, एस, आर के समस्त नागरिकों के लिये संघ की नागरिकता का एक ही कानून है। संघ के प्रजातन्त्रों का प्रत्येक नागरिक यू, एस, एस, आर का भी नागरिक होता है।

धारा २२—रशियन सोवियत कैडरेटड सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित प्रदेश हैं:—अज़ोव—कालासागर, सुदूरपूर्व, पश्चिमी साइबेरिया, कैस्नोर्यास उत्तरी कौकेशस प्रान्त, बोरोनेज़, पूर्वी साइबेरिया, गोरकी पश्चिमी इवानोव, कालिनिन, किरोव, ठिबीशेव, कक्स, लिनिनग्राड, मौस्को, ऑर्स्क औरैनवर्ग, सारातोव, स्वर्डलोवस्क उत्तरी स्टेलिनग्राड, चैलियाबिन्स्क, यारोस्लाव्ल; **खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक**:—तातार, बश्किर, दागिस्तान, बुर्यात-मंगोलिया; काबार दिनों, क्रोमिया, मरी, मोर्द्रिवा, जर्मन बोल्गा, उत्तरी औसेटिया, उद्मर्त, चेचेन—इन्गुश, चूवाश, याकूत; **खुदमुख्तार प्रांत**:—एडीगेइ, यहूदी काराचैव, ओइरोत, खाकाश, चेकेंश।

धारा २३—यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित प्रांत हैं:—विन्नीत्सा, नीप्रो—पैट्रोवस्क, डौनेत्स, कीव, औडेसा, खारकोव चेर्नो गोव और खुद मुख्तार मोल्डेवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।

धारा २४—अजेरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में खुद मुख्तार नारवीचेवन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और नागोर्नो-काराबाख का खुद मुख्तार प्रान्त है।

धारा २५—जार्जियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में अन्खा जियन का खुद मुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अज़ारियन का खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और दक्षिणी औसतियन का खुदमुख्तार प्रान्त है ।

धारा २६—उज़बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में कारा-अल्पाक का खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्र है ।

धारा २७—ताज़िक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में गोर्नो-बादा-ख्शा का खुदमुख्तार प्रान्त है ।

धारा २८—कज़ाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित प्रान्त हैं; अकत्यूबिन्स्क, आल्माआता, पूर्वी कज़ाकस्तान, पश्चिमी कज़ाकस्तान कारागान्दा और दक्षिणी कज़ाकस्तान ।

धारा २९—आरमीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, व्हाइट रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तुर्कमोनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और किर्गिज़ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में कोई खुदमुख्तार प्रजातन्त्र प्रदेश या प्रांत नहीं है ।

तीसरा अध्याय

समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों के संघ की राज्यसत्ता के सर्वोच्च विभाग

धारा ३०—यू, एस, एस, आर की राज्यसत्ता का सर्वोच्च विभाग यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल है ।

धारा ३१—यू, एस, एस, आर, की प्रधान समिति समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों के संघ के शासन विधान धारा १४ में बताए गये उन समस्त अधिकारों का उपयोग करती है जो शासन विधान द्वारा यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल के मातहत यू, एस, एस, आर के अन्य विभागों को नहीं सौंपे गये हैं । ये विभाग हैं—यू, एस, एस, आर की

सुप्रीम काउन्सिल के यू, एस, एस, आर के पीपुल्स कमिसारों की काउन्सिल और यू, एस, एस, आर की पीपुल्स कमिसरयें ।

धारा ३२—यू, एस, एस, आर के कानून बनाने के अधिकार का यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा एक मात्र उपयोग किया जाता है ।

धारा ३३—यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दो भवन हैं : संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद् ।

धारा ३४—संघ परिषद का चुनाव यू, एस, एस, आर के नागरिक प्रति ३००००० की जन संख्या के पीछे एक डिपुटी की अनुमति से करते हैं ।

धारा ३५—राष्ट्रों की परिषद यूनियन की खुदमुखतार प्रजातन्त्रों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा प्रत्येक खुदमुखतार प्रान्तों में श्रम जीविकों के डिपुटियों की सोवियतों द्वारा प्रत्येक संघ के प्रजातन्त्र से दस डिपुटियों के अनुपात से, प्रत्येक खुदमुखतार प्रजातन्त्र से पांच डिपुटियों के अनुपात से और प्रत्येक खुदमुखतार प्रान्त से दो डिपुटियों के अनुपात से चुने जाते हैं ।

धारा ३६—यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल चार वर्ष की अवधि के लिये चुनी जाती है ।

धारा ३७—यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों भवनों (संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद) के समान अधिकार हैं ।

धारा ३८—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद दोनों ही समान रूप से कानून बनाने में पहल कर सकते हैं ।

धारा ३९—यदि यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों भवनों में कोई कानून अलग अलग साधारण बहुमत से पास हो जाय तो वह बाकायदा कानून बन जाता है ।

धारा ४०—यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाए गए कानून यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम के चेयरमैन और सैक्रेटरी के हस्ताक्षरों के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं ।

धारा ४१—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद के अधिवेशन साथ साथ प्रारम्भ होते हैं और साथ ही साथ उनका अन्त होता है ।

धारा ४२—संघ परिषद अपने लिये एक चेयरमैन और दो वाइस-चेयरमैनो को चुनती है ।

धारा ४३—राष्ट्रों की परिषद अपने लिये एक चेयरमैन और दो वाइस-चेयरमैनो को चुनती है ।

धारा ४४—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद के चेयरमैन अपनी अपनी भावनाओं के अधिवेशनों पर नियन्त्रण रखते हैं और उनकी आन्तरिक व्यवस्थाओं का प्रबन्ध करते हैं ।

धारा ४५—यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों भवनों के सम्मिलित अधिवेशनों का निर्देशन बारी बारी से संघ परिषद का चेयरमैन और राष्ट्रों की परिषद का चेयरमैन करता है ।

धारा ४६—यू, एस, एस, आर, की काउन्सिल के अधिवेशन एक वर्ष में दो बार यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम बुलाती है ।

यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम अपनी इच्छा से अथवा संघ के किसी प्रजातन्त्र की मांग पर विशेष अधिवेशन बुला सकती है ।

धारा ४७—यदि किसी प्रश्न पर संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद में आपस में मतभेद हो तो समझौते के लिये वह प्रश्न एक समझौता-कमीशन के पास भेज दिया जाता है जो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्मित किया जाता है । अगर समझौता-कमीशन किसी निर्णय पर नहीं आ पाता अथवा उसका निर्णय दोनों में एक को संतुष्ट नहीं करता तो वह प्रश्न दोबारा विचारार्थ भेज दिया जाता है । यदि फिर दोनों भवन किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो पाते तो यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल को भंग कर देती हैं और नये चुनाव कराती है ।

धारा ४८—यू, एस, एस आर की सुप्रीम काउन्सिल दोनों भवनों के सम्मिलित अधिवेशनों में यू एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का जिवमें यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल प्रेसीडियम का एक चेयरमैन चार वाइस-चेयरमैन प्रेसीडियम का सिक्रेटरी और प्रेसीडियम के ३१ सदस्य होते हैं, चुनाव करती है ।

यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम अपने समस्त कार्यों के लिये यू, एस, एस आर की सुप्रीम काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी है।

धारा ४९—यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम:—

(क) यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल अधिवेशन बुलाती है ;

(ख) उचित निर्देश देकर लागू कानूनों की व्याख्या करती है ;

(ग) यू, एस, एस, आर के शासन विधान की धारा ४७ के अन्तर्गत यू, एस, एस आर की सुप्रीम काउन्सिल को भंग करती है और नये चुनाव कराती है;

(घ) अपनी इच्छा से या यूनियन के किसी प्रजातन्त्र की माँग पर जन मत-गणना (Referendum) कराती हैं।

(ङ) यू, एस, एस, आर० के पीपुल्स कमीसारों की परिषद और प्रजातन्त्रों के पीपुल्स कमीसारों की परिषदों के निर्णय और आज्ञाओं को यदि वे कानून के अनुसार न हों तो रद्द कर देती है;

(च) यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल के अधिवेशनों के बीच में यू, एस, एस, आर० के पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के चेयरमैन की इच्छा पर यू, एस, एस, आर० के विभिन्न पीपुल्स कमीसारों को पद से अलग और उन पर नई नियुक्तियाँ करती है जो बाद में यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल की स्वीकृति के लिये पेश कर दी जाती हैं।

(छ) यू, एस, एस, आर० के पदक प्रदान करती है;

(ज) क्षमा प्रदान के अधिकार को उपयोग करती है;

(झ) यू, एस, एस, आर० की सशस्त्र फौज के उच्चतम आफीसरों को नियुक्त करती है और हटाती है;

(ञ) यदि यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल के अधिवेशनों के बीच में यू, एस, एस, आर० पर सशस्त्र आक्रमण हो तो युद्ध की घोषणा कर सकती है;

(ट) जर्नल या आधिकारिक मैन्यु संग्रहण की आज्ञा देती है:

(ठ) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को अन्तिम अनुमोदन देती है;

(ड) यू, एस, एस, आर० के विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करती है और उन्हें वापस बुलाती है ;

(ढ) विदेशी राजदूतों के परिचयात्मक प्रमाण पत्रों को स्वीकार करती है।

धारा ५०—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद अपने अपने भवन के डिपुटियों की प्रामाणिकता की जाँच करने के निमित्त प्रमाण-पत्रों के देखने वाले कमीशनों के चुनाव करती है ।

इन प्रमाण-पत्रों को देखने वाले कमीशनों के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम काउन्सिल के भवन इस बात का निर्णय करते हैं कि व्यक्तिगत डिपुटियों के प्रमाण-पत्रों को माना जाय या उनके चुनावों को रद्द कर दिया जाय ।

धारा ५१—यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल, जब आवश्यकता समझती है, तब किसी भी विषय पर जाँच करने वाले और हिसाब का निरीक्षण करने वाले कमीशनों की नियुक्ति कर देती है ।

समस्त संस्थायें और अफसर इन कमीशनों की माँग को पूरा करने के लिये बाध्य हैं और उन्हें कमीशनों को आवश्यक चीजों और कागजातों को पेश करना होता है ।

धारा ५२—यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल के किसी डिपुटी पर बिना यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल की स्वीकृति के न तो अभियोग चलाया जा सकता है और न उसे बंदी बनाया जा सकता है । जब यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल का अधिवेशन न हो रहा हो तो यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम की सहमति लेनी होती है ।

धारा ५३—यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अथवा अपनी अवधि के पूर्व सुप्रीम काउन्सिल के भंग हो जाने पर यू, एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम उस समय तक सत्तारूढ़ रहती है जब तक कि यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम का नया चुनाव न हो जाय ।

धारा ५४—जब यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल

की सत्ता समाप्त हो जाती है अथवा कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही वह भंग कर दी जाती है तो यू. एस. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम यू. एस. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की सत्ता समाप्त होने अथवा उसके भंग होने के अधिक से अधिक दो माह के भीतर नये चुनाव कराती है।

धारा ५५—यू. एस. एस. आर. की नव-निर्वाचित सुप्रीम काउन्सिल को यू. एस. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की पुरानी प्रैसीडियम अधिक से अधिक चुनाव के एक माह के भीतर बुलाती है।

धारा ५६—यू. एस. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल अपने दोनों भवनों की संयुक्त बैठक में यू. एस. एस. आर. की सरकार—यू. एस. एस. आर. की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल का निर्माण करती है।

चौथा अध्याय

संघ के प्रजातन्त्रों को राजसत्ता के सर्वोच्च विभाग

धारा ५७—संघ के प्रजातन्त्र की राजसत्ता का सर्वोच्च विभाग संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल है।

धारा ५८—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र के नागरिकों द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है।

प्रतिनिधित्व का अनुपात संघ के प्रजातन्त्रों के शासन विधान निश्चित करते हैं।

धारा ५९—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र का एकमात्र कानूनवाला विभाग है।

धारा ६०—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल—

(क) प्रजातन्त्र का शासन-विधान बनाती है और यू. एस. एस. आर. के शासन विधान की.....धारा १६ के अनुसार उसे संशोधित करती है ;

(ख) उन खुद मुखतार प्रजातन्त्रों के जो उसके क्षेत्र में हैं, शासन-विधानों पर अन्तिम स्वीकृति देती है और उनके क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती हैं ;

(ग) प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय आर्थिक योजना और वजट पर सह-मति देती है ;

(घ) संघ के प्रजातन्त्रों के न्यायालयों द्वारा दिए गए दण्डों में आम रिहाई और क्षमा-प्रदान के अधिकार का उपयोग करती है ।

धारा ६१—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल को प्रेसीडियम को चुनती है जिसमें एक संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का चेयरमैन, उसके सहकारी और संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं ।

संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के अधिकार संघ के प्रजातन्त्र का शासन विधान निश्चित करता है ।

धारा ६२—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल अपनी बैठकों का काम चलाने के लिए अपना चेयरमैन और उसके सहकारी नियुक्त करती हैं ।

धारा ६३—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल संघ के प्रजातन्त्र की सरकार को संघ के प्रजातन्त्र की पीपुल्स कमिसारों की काउन्सिल संगठित करती हैं ।

पाँचवाँ अध्याय

सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ का शासन के अंग

धारा ६४—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ को सर्वोच्च शासन और प्रबन्ध विभाग की राज्यसत्ता यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमिसारों की काउन्सिल में निहित है ।

धारा ६५—यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की पीपुल्स कमिसारों की काउन्सिल उसके प्रति उत्तरदायी है ।

धारा ६६—यू० एस० एस० आर की पीपुल्स कमीसारों को काउन्सिल कानूनों के अन्तर्गत और उनको वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए निर्णयों और आशाओं को निकालती हैं और उनकी तामील पर नियंत्रण करती है ।

धारा ६७—यू० एस० एस० आर० को पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के निर्णयों और आशाओं को मानना अनिवार्य है और यू० एस० एस० आर० के समस्त क्षेत्र में उनका पालन होना चाहिए ।

धारा ६८—यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल—

(क) यू० एस० एस० आर० के संघ की और संघ के प्रजातन्त्रों की पीपुल्स कमसरियतों और अपनी सत्ता के अन्तर्गत आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के काम का संचालन और एकीकरण करती है ।

(ख) राज्य के बजट और राष्ट्रीय आर्थिक योजना को पूरा करने के लिए और मुद्रा तथा उधार व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए कदम उठा सकती है ;

(ग) सार्वजनिक शांति स्थापित करने के लिए, राज्य के हितों की रक्षा के लिए और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा सकती है ;

(घ) विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को आम निर्देश देती है ;

(ङ) यह निश्चित करती है कि प्रतिवर्ष कितने नागरिक सक्रिय सैनिक सेवा के लिए बुलाए जाते हैं और देश की सशस्त्र फौजों की आम देखभाल और भलाई का ध्यान रखती है ।

धारा ६९—यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल को यू० एस० एस० आर० के अधिकार-क्षेत्र की समस्त शासन और आर्थिक शाखाओं और संघ के प्रजातन्त्रों की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के निर्णयों और आशाओं को मंजू कराने और यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की आशाओं और निर्देशों को रद्द करने का अधिकार है ।

धारा ७० - यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल में जो यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई जाती है, निम्नलिखित सदस्य होते हैं :—

यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल का चेयरमैन ;

यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल का वाइस-चेयरमैन ;

यू० एस० एस० आर० की 'स्टेट प्लानिंग कमीशन' का चेयरमैन ;
'सोवियट कंट्रोल कमीशन' का चेयरमैन ;

यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमीसार ;

कृषि के उपज को खरीद करनेवाली कमेटी के चेयरमैन ;

उच्च शिक्षा की कमेटी का चेयरमैन ।

धारा ७१—यू० एस० एस० आर० की सरकार अर्थात् पीपुल्स कमीसारों से सुप्रीम काउन्सिल के डिपुटी कोई प्रश्न करे तो उन्हें सभा में उसका मौखिक अथवा लिखित उत्तर अधिक से अधिक तीन दिन में देना पड़ता है ।

धारा ७२—यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमीसार यू० एस० एस० आर० की सत्ता के अंतर्गत आने वाले शासन की सभी शाखाओं का निर्देशन करते हैं ।

धारा ७३—यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमीसार अपने पीपुल्स कमसरियत के क्षेत्र की सीमा में कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिये आज्ञायें और निर्देशों को जारी करते हैं । साथ ही साथ वे यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के निर्णयों और आज्ञाओं को भी लागू करते हैं और यह देखते हैं कि उन्हें पूरा किया जाता है ।

धारा ७४—यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमसरियतें या तो संघ के हैं अथवा संघ के प्रजातंत्रों के ।

धारा ७५—संघ की पीपुल्स कमसरियतें यू० एस० एस० आर० के समस्त क्षेत्र में शासन की शाखाओं का प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके द्वारा बनाये गये संगठनों द्वारा निर्देशन करती हैं ।

धारा ७६—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतें उनके अंतर्गत शासन की शाखाओं का उसी नाम की संघ के प्रजातंत्रों की पीपुल्स कमसरियतों के द्वारा निर्देशन करती हैं ।

धारा ७७—संघ की पीपुल्स कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुल्स कमसरियतें हैं :—

रक्षा ;
विदेशी मामले ;
विदेशी व्यापार ;
रेलें ;
संदेश के साधन ;
जल-यातायात ;
बड़े उद्योग-धंधे ।

धारा ७८—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुल्स कमसरियतें हैं :—

भोजन संबंधी उद्योग का ;
प्रकाश संबंधी उद्योग का ;
लकड़ी उद्योग का ;
कृषि का ;
राज्य के अनाज और पशु फार्मों का ;
राजस्व का ;
गृह-व्यापार का ;
गृह-विभाग का ;
न्याय का ;
स्वास्थ्य का ।

अध्याय छठा

संघ के प्रजातंत्रों के शासन के अंग

धारा ७६—संघ के प्रजातंत्र की सर्वोच्च शासन और प्रबन्ध के अंग की राज्यसत्ता संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल में निहित है।

धारा ८०—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल संघ के प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी और उसके नियंत्रण में है।

धारा ८१—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल यू० एस० एस० आर० और संघ के प्रजातंत्र में लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरा कराने के लिये आशाओं और निर्णयों को निकालते हैं। साथ ही वे यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के निर्णयों और आशाओं को भी पूरा करते हैं और उनकी तामील का नियंत्रण करती है।

धारा ८२—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल खुदमुखतार प्रजातंत्रों की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल की आशाओं तथा निर्णयों को मंजूख करने का अधिकार रखता है और भ्रम जीवियों के डिपुटियों के प्रदेशों, प्रांतों, खुदमुखतार प्रांतों की सोवियतों की कार्य-कारिणी समितियों के निर्णयों और आशाओं को रद्द कर सकती है।

धारा ८३—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल में जो संघ के प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई जाती है निम्न-लिखित सदस्य होते हैं :—

संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल का चेयरमैन ;
वाइस-चेयरमैन ;

‘स्टेट प्लानिंग कमीशन’ का चेयरमैन ;

पीपुल्स कमीसार :—

भोजन संबंधी उद्योग का ;

प्रकाश संबंधी उद्योग का ;

लकड़ी उद्योग का ;
 कृषि का ;
 राज्य के अनाज़ और पशु फार्मों का ;
 राजस्व का ;
 गृह व्यापार का ;
 गृह विभाग का ;
 न्याय का ;
 स्वास्थ्य का ;
 शिक्षा का ;
 स्थानीय उद्योग का ;
 समुदाय की आर्थिक व्यवस्था का ;
 सामाजिक भलाई के कामों का ;
 कृषि के उत्पादनों की खरीद संबंधी कमीशन का एक प्रतिनिधि ;
 कला के प्रबन्ध का प्रधान ;
 संघ के पीपुल्स कमसरियतों के प्रतिनिधि-गण ।

धारा ८४—संघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीसार संघ के प्रजातंत्र की शासन-सत्ता के अंतर्गत समस्त क्षेत्र में शासन की शाखाओं का प्रबन्ध करते हैं ।

धारा ८५—संघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीसार अपने अपने पीपुल्स कमसरियतों के अधिकार-क्षेत्र की सीमा में यू० एस० एस० आर० और संघ के प्रजातंत्र के कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिये तथा यू० एस० एस० आर० की और संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल की आज्ञाओं और निर्देशों को पूरा करने और लागू करने के लिए आज्ञाओं और निर्देशों को दे सकती है ।

धारा ८६—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतें या तो संघ-प्रजातंत्र की हैं अथवा प्रजातंत्र की हैं ।

धारा ८७—संघ-प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतें राज्य के उस भाग का प्रबन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं । वे संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतों की काउन्सिल और उसी प्रकार की यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमसरियतों के मातहत होती हैं ।

धारा ८८—प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतें राज्य के शासन के उस भाग का प्रबन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं। ये सीधी संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के मातहत होती हैं।

अध्याय सातवाँ

खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्यसत्ता के सर्वोच्च अंग

धारा ८९—खुदमुख्तार प्रजातंत्र की राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की सुप्रीम काउन्सिल होती है।

धारा ९०—खुदमुख्तार प्रजातंत्र सुप्रीम काउन्सिल उस प्रजातंत्र के नागरिकों द्वारा खुदमुख्तार प्रजातंत्र के शासन विधान द्वारा निश्चित अनुपात के अनुसार चार वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा ९१—खुदमुख्तार प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक मात्र कानून बनाने वाला विभाग है।

धारा ९२—प्रत्येक खुदमुख्तार प्रजातंत्र का अपना शासन-विधान है जो खुदमुख्तार प्रजातंत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखता है और संघ के प्रजातंत्र के शासन-विधान को अनुकूलता में बनाया जाता है।

धारा ९३—खुदमुख्तार प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का चुनाव करती है और खुदमुख्तार प्रजातंत्र के शासन-विधान के अनुसार एक पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल बनाती है।

अध्याय आठवाँ

राज्यसत्ता के स्थानीय अंग

धारा ६४—क्षेत्रों, प्रान्तों, खुदमुखतार प्रांतों, प्रदेशों, जिलों, शहरों और गांवों (स्टेनीत्सास, खूतोर्स, किश्लक्स, ओल्स) में राज्य-सत्ता के अंग भ्रम जीवियों के डिपुटियों के सोवियत हैं ।

धारा ६५—भ्रम जीवियों के डिपुटियों की सोवियतें, क्षेत्रों, प्रांतों खुदमुखतार प्रांतों, प्रदेशों, जिलों, शहरों और गांवों में नागरिकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों, प्रांतों, खुदमुखतार प्रान्तों, प्रदेशों जिलों, शहरों और गांवों से दो वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा ६६—भ्रम जीवियों के डिपुटियों की सोवियतों में प्रति-निधित्व का अनुपात संघ के प्रजातंत्रों के शासन-विधान निर्धारित करते हैं ।

धारा ६७—भ्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतें उन शासन के विभागों के कार्यों की देखभाल करती हैं जो उनके मातहत हैं । वे राज्य में शांति बनाये रखने, कानूनों का पालन कराने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, स्थानीय आर्थिक और सांस्कृतिक निर्माण का कार्य और स्थानीय बजट बनाने का कार्य करती हैं ।

धारा ६८—भ्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतें यू० एस० एस० आर० और संघ के प्रजातंत्र के कानूनों द्वारा निर्धारित राजसत्ता की सीमा के अंतर्गत निर्णय करती हैं और आशयें निकलाती हैं ।

धारा ६९—क्षेत्रों, प्रांतों, खुदमुखतार प्रांतों, प्रदेशों, जिलों और शहरों, की भ्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले विभाग उनके द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी समितियों होती हैं जिनमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और सदस्य होते हैं ।

धारा १००—छोटे स्थानों में भ्रमजीवियों के डिपुटियों की ग्राम सोवियतों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले अंग, संघ के प्रजातन्त्रों के शासन-विधानों के अनुसार, एक चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्य होते हैं ।

धारा १०१—श्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों के कार्य-कारिणी विभाग श्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों के प्रति जो उन्हें चुनती है और साथ ही श्रम जीवियों के डिपुटियों की ऊंची सोवियत के कार्यकारिणी विभाग के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं ।

अध्याय नवाँ

न्यायालय और अभियोग

धारा १०२—यू० एस० एस० आर० में निम्नलिखित न्यायालय हैं —यू० एस० एस० आर० का सुप्रीम कोर्ट, संघ के प्रजातन्त्रों का सुप्रीम कोर्ट, प्रादेशिक और प्रान्तीय न्यायालय, खुद मुख्तार प्रान्तों के न्यायालय, यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल के निर्माण से स्थापित यू० एस० एस० आर के विशेष न्यायालय, और जनन्यायालय न्याय करने के लिये ।

धारा १०३—इन समस्त न्यायालयों में कानून द्वारा विशेषतया बताए गये मामलों के अतिरिक्त अन्य अभियोगों की सुनवाई जनता के सहकारी न्यायाधीशों की सहायता से होती है ।

धारा १०४—यू० एस० एस० आर० का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्याय विभाग है इसके सुपुर्द यू० एस० एस० आर० और संघ के प्रजातन्त्रों के समस्त न्याय विभागों की कार्यवाही का नियन्त्रण है ।

धारा १०५—यू० एस० एस० आर० का सुप्रीम कोर्ट और यू० एस० एस० आर० के विशेष न्यायालय यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा पाँच वर्ष के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०६—संघ के प्रजातन्त्रों के सुप्रीम कोर्ट संघ के प्रजातन्त्रों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०७—खुदमुख्तार प्रजातन्त्रों के सुप्रीम कोर्ट उन प्रजातन्त्रों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०८—प्रादेशिक और प्रांतीय न्यायालय और ख़ुदमुखतार प्रान्तों के न्यायालय भ्रमजीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक और प्रांतीय सोवियतों और ख़ुदमुखतार प्रान्तों के भ्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा १०९—जन-न्यायालय जिले के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष, आम, समान, मताधिकार के आधार पर गुप्त मत से तीन वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा ११०—न्यायालयों की कार्यवाही संघ अथवा ख़ुदमुखतार प्रजातन्त्र अथवा ख़ुदमुखतार प्रान्त की भाषा में होती है। जो व्यक्ति इस भाषा को नहीं जानते उन्हें मुकद्दमे की तमाम बातों के जानने का अवसर एक अनुवादक के मार्फत दिया जाता है और उसे न्यायालय के सामने अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है।

धारा १११—यू० एस० एस० आर० के समस्त न्यायालयों में केवल कानून द्वारा निर्धारित मामलों के अतिरिक्त सुनवाई खुले आम होती है और अभियोगी के सफाई का अधिकार सुरक्षित है।

धारा ११२—न्यायाधीश स्वतन्त्र हैं और केवल कानूनों के मातहत हैं।

धारा ११३—यू० एस० एस० आर० में समस्त पीपुल्स कम-सरियतों, और उनके मातहत संस्थाओं, साथ ही उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों और नागरिकों द्वारा कानूनों के यथोचित पालन की सर्वोच्च देखभाल यू० एस० एस० आर० के सरकारी वकील के हाथ में है।

धारा ११४—यू० एस० एस० आर० का सरकारी वकील यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है।

धारा ११५—यू० एस० एस० आर० के सरकारी वकील द्वारा प्रजातन्त्रों, प्रदेशों और प्रान्तों के सरकारी अभियोक्ता और साथ ही ख़ुद-मुखतार प्रजातन्त्रों और ख़ुद-मुखतार प्रान्तों के सरकारी वकील पाँच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

धारा ११६—जिले के सरकारी वकील संघ के प्रजातन्त्रों के सर-

